लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवा सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation
24-8-...
Fumigated
On 30-7-85
Parliament Library

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सची/CONTENTS

अंक 3 गुरुवार, 21 फरवरी, 1974/2 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 3 *Thursday, February* 21, 1974/*Phalguna*, 2, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
21.	हिन्द महासागर में डिएगो गार्शिया में अमरीका का पूर्ण सैनिक अड्डा	U. S. Full fledged Military Base at Diego Garcia in Indian Ocean	1–3
24.	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के साथ राजनयिक संबंध	Diplomatic Relations with P.R.G. of South Vietnam .	4–5
26.	पेट्रोल, मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस की खपत में कमी करने के प्रस्ताव	Proposals to Curtail consumption of Petrol, Kerosene and Cooking Gas . . .	6–8
27.	श्रीलंका के प्रधान मंत्री के साथ कच्चातिबू द्वीप के बारे में बातचीत	Talks with Prime Minister of Sri Lanka on Kachchativu Island	8–10
28.	उत्पादन में कमी और परिवहन सुविधाओं के अभाव का कोयले की उपलब्धता पर प्रभाव	Availability of coal affected by Short Fall in Output–and want of Transport Facilities	10–13
29.	पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध पुनःस्थापित करना	Restoration of Diplomatic Relations with Pakistan . .	13–15
30.	कनिष्ठ डाक्टरों में असंतोष	Unrest among Junior Doctors	15–16
36.	हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने के बारे में श्रीलंका के प्रधान मंत्री से बातचीत	Talks with Prime Minister of Sri Lanka on Indian Ocean as a Zone of Peace . .	3–4

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
22.	प्रभावी स्वास्थ्य आयोजना के लिये महत्वपूर्ण तथ्यों संबंधी आंकड़े	Data on Vital Facts for Effective Health Planning . . .	16

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बातका द्योतक है कि प्रश्न कों सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—38 LSS/73

ता० प्र० संख्या/S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
23.	कोयले की मांग में वृद्धि	Increased Demand of Coal .	17
25.	पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	Registered Educated Unemployed Persons . . .	17–18
31.	पश्चिम बंगाल में जूट कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Jute Workers in West Bengal	18
32.	कोयले के वितरण में राशन-प्रणाली	Rationing on Distribution of Coal	19
33.	केरल में सैनिक स्कूल और सेना भर्ती केन्द्र	Sainik Schools and Army Recruiting Centre in Kerala .	19
34.	कोयला खनन के तरीकों को सुधारने में सहायता हेतु रूसी विशेषज्ञ	Russian Experts to help Improve Coal Mining . . .	19–20
35.	तेल संकट के बारे में युगोस्लाविया के राष्ट्रपति और श्रीलंका तथा भारत कि प्रधान मंत्रियों के बीच शिखर वार्ता	Summit Meet between President of Yugoslavia and Prime Ministers of Sri Lanka and India on Oil Crisis . . .	20
37.	पश्चिम बंगाल को कोयले की सप्लाई	Coal Supply to West Bengal	20–21
38.	विदेशी मामलों के बारे में भारत और सोवियत संघ के बीच नियमित परामर्श	Regular Consultations between India and U.S.S.R. on Foreign Affairs . . .	21
39.	कारों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Cars .	21
40.	मरमागाव पत्तन में गोदी श्रमिकों की हड़ताल	Dock Workers Strike in Mormugao Harbour . . .	21–22
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
201.	विदेश जाने वालों के लिये भारतीय संस्कृति का जानना आवश्यक होना	Knowledge of Indian Culture Essential for Person going Abroad	22
202.	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के खनिज अयंस्क	Mineral Ores of Adivasi Areas of Madhya Pradesh . .	22
203.	195 युद्ध अपराधियों के बंगलादेश को सौंपना	Transfer of 195 War Criminals to Bangladesh . . .	22–23
204.	ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति	Persons of Indian Origin in U. K.	23
205.	जर्मन जनवादी गणतंत्र में भारतीय डाक्टरों की संख्या	Number of Indian Doctors in G.D.R.	23
206.	युगोस्लाविया से भारतीय इंजीनियरों की वापसी	Return of Indian Engineers from Yugoslavia	23–24
207.	केरल में बोक्साइट निक्षेप	Bauxite Deposit in Kerala .	24
208.	पांचवीं योजना में नये भारी उद्यगों की स्थापना	Setting up of New Heavy Industries in Fifth Plan . .	24–25

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
209.	भारत हैवी प्लैट्स एण्ड वेसल्ज लिमिटेड द्वारा आक्सीजन बनाने वाली मशीनरी का निर्माण करना	Manufacture of Oxygen Manufacturing Machinery by Bharat Heavy Plates and Vessels Limited	25
210.	बोकारो स्टील लिमिटेड का दिल्ली स्थित सम्पर्क कार्यालय	Liaison Office in Delhi of Bokaro Steel Limited	25–26
211.	समुद्र की तलहटी से खनिजों की खोज	Exploration of Minerals from Sea Bed	27
212.	रेल के माल डिब्बे बनाने वाले गैर-सरकारी एककों का सरकारी करण	Take over of Private Sector Railway Wagons Manufacturing Units	27
213.	दिल्ली राज्य औषध नियंत्रक के विरुद्ध भारतीय उपभोक्ता समिति के प्रतिवेदन में नकली दवाईयों के बारे में आरोप	Charges against Delhi State Drug Controller in Report of Consumer Council of India on Spurious Drugs . .	27–29
214.	मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अनुमति	Permission for Pilgrims visiting Mansarovar.	29
215.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा रडार का निर्माण	Manufacture of Radar by Bharat Electronic Limited, Ghaziabad	29
216.	भारत और पाकिस्तान के बीच शिखर वार्ता	Summit Talk between India and Pakistan	29–30
217.	नई दिल्ली में भारत, श्रीलंका और युगोस्लाविया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता	Tripartite talks between India, Sri Lanka and Yugoslavia in New Delhi	30
218.	मक्खन और पनीर में मिलावट	Adulteration of Butter and Cheese	30
219.	राज्य श्रम मंत्रियों का 24 वां सम्मेलन	24th Session of State Labour Ministers' Conference .	31
220.	मिलावट की समस्या के बारे में भारतीय उपभोक्ता परिषदद्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट	Report of Survey Conducted by Consumers Council of India on problem of Adulteration	31–32
221.	जाफ्ना (श्रीलंका) में अंतर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन	International Tamil Conference in Jafna (Sri Lanka) . .	32–33
222.	ट्रेक्टरों की मांग	Demand of Tractors .	33
223.	महाजन समिति द्वारा राष्ट्रीय छात्र सेना दल (एन० सी० सी०) संबंधी प्रतिवेदन	Report by Mahajan Committee Regarding N.C.C. . . .	33–34
224.	बेरोजगारों में वृद्धि	Increase in Unemployment .	34–35
225.	कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ताओं द्वारा अंशदान देने की पात्रता	Eligibility to Employer's Share of E.P.F. Contribution .	35

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
226.	कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सुरक्षित तथा जब्त खाता	Reserve and Forefeiture Account of E.P.F. Scheme . . .	35–36
227.	स्कूटर्स इंडिया लि० लखनऊ द्वारा लम्ब्रेटा स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Lambretta Scooters by Scooters India Ltd. Lucknow	36
228.	हिन्दु जाति की जन्म दर में कमी	Fall in Birth Rate of Hindu Community . . .	36
229.	पाकिस्तान में चीनी सहयोग के साथ धरती से आकाश को मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण	Production of Ground to Air Missiles in Pakistan with Chinese Collaboration . .	36
230.	टाइम्स आफ इंडिया उद्योग समूह में छटनी	Retrenchment in Times of India group of Industries .	37
231.	कोयला खानों में मजूरी बिलों में वृद्धि	Increase in Wage Bills in Coal Mines	37
232.	दिल्ली के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण हुई मौतें	Deaths Due to Lack of Emergency Medical Facilities in Hospitals of Delhi . .	37
233.	गणतंत्र दिवस परेड और समापन समारोह के लिये टिकटों की बिक्री	Sale of Tickets for Republic Day Parade and Beating Retreat Ceremony	38–39
234.	चिकित्सा शिक्षा आयोग की स्थापना करना	Setting up of a Medical Education Commission . . .	40
235.	पाकिस्तान के साथ व्यापार, यात्रा, संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का पुनः शुरू किया जाना	Resumption of Trade, Travel, Communications and Cultural Exchanges with Pakistan .	40
236.	फ्रांस द्वारा पाकिस्तान में मिराज जेट विमान फैक्टरी का निर्माण	France to set up Mirage Jet Factory in Pakistan . .	41
237.	कोयला उद्योग का पुनर्गठन	Reorganisation of coal Industry	41–42
238.	श्रीलंका में भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में समझौता	Agreement regarding persons of Indian origin in Sri Lanka .	42
239.	अमरीकी कम्पनियों द्वारा भारत को रडार उपकरणों की सप्लाई	Supply of Radar Equipments to India by U.S. Companies .	42–43
240.	दिल्ली में प्रभावी व्यक्तियों द्वारा भूमि हथियाना	Land Grab by Influential persons in Delhi . . .	43
241.	भारत के प्रति अमरीका की नीति	U.S. Policy towards India .	43
242.	मारुति एण्ड कम्पनी, हरियाना द्वारा छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car by Maruti and Company, Haryana	43–44

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
243.	केरल में इस्पात की कमी	Shortage of Steel in Kerala .	44
244.	केरल स्थित काफी तथा चाय बागानों के अस्थायी श्रमिकों को स्थायी बनाना	Confirmation of temporary workers of Coffee and Tea Estates in Kerala . .	44
245.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार	Registered Educated Unemployed S.C. and S. T. . .	45
246.	यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा	Visit by President of Yugoslavia	46
247.	दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों द्वारा हड़ताल	Strike by Nurses of Delhi Hospitals	46–47
248.	भारत-ईरान वार्ता	Indo-Iran Talks .	47
249.	हिन्द महासागर में गस्ती जहाजों की संख्या में वृद्धि करने के लिये अमरीका का निर्णय	U. S. decision to increase Patrol Ships in Indian Ocean .	47–48
250.	एलकाक एंड एशडाउन कंपनी को सरकारी नियंत्रण में ले लिये जाने के पश्चात् उसके कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-employment of Employees after takeover of Alcock and Ashdown Company . .	48
251.	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में अनियमितताये	Irregularities in E. P. F. by Laxmi Ratan Cotton Mills, Kanpur	48
252.	जूनियर डाक्टरों की 48 घंटे की देश-व्यापी हड़ताल	Forty-Eight Hour Nation Wide Strike by Junior Doctors .	48–49
253.	21–26 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि	Increase in Unemployed People in Age of Group of 21—26 .	49
254.	भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा एस० एस० मेडिकल कालेज, रीवा को मान्यता दिया जाना	Recognition of S.S. Medical College, Rewa by Indian Medical Council . . .	49–50
255.	दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत काम कर रहे अध्यापकों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदानों को जमा न कराना	Non Deposit of E.P.F. Contributions of Teachers under Delhi Municipal Corportion	50
256.	बंगला देश से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की निकासी	Clearance of Pakistani Nationals from Bangladesh . . .	50
257.	भारत और सोवियत संघ के बीच हुए विभिन्न समझौतों की जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव	Committee to go into various agreements between India and U.S.S.R. . . .	51–53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
258.	परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन	Implementation of Family Planning Programme .	53
259.	सिंगरौली कोयला खान	Singrauli Coal Mines . .	53-54
260.	पाकिस्तान में विदेशी सहयोग से भारी मात्रा में सैनिक साज-सामान का निर्माण	Large Scale Build up of Military Hardware in Pakistan with Foreign Co-operation	
261.	दिल्ली में कोयले की उपलब्धता	Availability of Coal in Delhi	54-55
262.	उपदान निधि की योजना बनाने के लिये विशेषज्ञ समिति	Expert Committee to evolve a Scheme for Gratuity Fund	55
263.	एन० सी० सी० को लोकप्रिय बनाना	Steps to Popularise N.C.C. .	55
264.	रक्षा सामग्री का निर्माण करने वाले कारखाने	Defence Item Manufacturing Units	55-56
265.	पाकिस्तान को चीन से हथियारों की सप्लाई	Chinese Arms Supply to Pakistan	56
266.	राष्ट्रीय मंजूरी नीति के लिए एक सेल की स्थापना	Setting up of a cell for National Wage Policy . .	56-57
267.	वर्ष 1974-75 में कोयले का उत्पादन	Coal Production during 1974-1975	57
268.	खाद्य वस्तुओं के मानक स्तर में छूट	Relaxation of Standard in food-grains	57
269.	दुबई तट पर भारतीय आप्रवासियों का डूब जाना	Indian immigrants drowned off Dubai	58
270.	हिन्द महासागर में विभिन्न देशों के जहाजी बेड़े	Presence of Naval fleets of various countries in Indian Ocean	58
271.	वर्ष 1973 में सरकारी क्षेत्र के कारखानों में हड़तालें तथा तालाबंदी	Strikes and lock outs in public sector factories in 1973 .	58-59
272.	अभ्रक की खानों का बंद हो जाना	Closure of Mica Mines . .	59
273.	दिल्ली को कोयले की सप्लाई	Supply of Coal to Delhi .	59-60
274.	रोजगार कार्यालयों का असंतोषजनक कार्यकरण	Poor functioning of employment Exchanges	60
275.	भारत, बंगला देश और पाकिस्तान में त्रिपक्षीय समझौते की प्रगति	Progress of Tripartite Agreement between India, Bangladesh and Pakistan . . .	61

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
276.	कोयला गैस संयंत्र	Coal gas Plants	61
277.	वाणिज्यिक वाहनों के पुनर्विक्रय पर प्रतिबंध	Brn on re-sale of commercial vehicles	62
278.	तेल संकट के विषय में तटस्थ देशों का सम्मेलन	Meet of neutral nations on oil crisis	62–63
279.	देश में नकली औषधियों के निर्माण में असाधारण वृद्धि को रोकने के लिए तंत्र की व्यवस्था	Machinery to check alarming increase in Manufacture of Spurious drugs in the country	63
280.	औद्योगिक संबंध विधेयक	Industrial Relations Bill . .	63
281.	सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों में दाखिल रोगियों के लिए उपलब्ध रोगी शय्यायें	Beds available for indcor patients in Government and private Hospitals	63–64
282.	पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की सहायता	Help to Pakistan for flood victims	64–65
283.	इंडियन क्रेन कम्पनी, कलकत्ता में तालाबंदी	Lock out in Indian Crane Company, Calcutta . .	65
284.	पूर्ति विभाग के सचिव द्वारा विदेशों में ठहरना	Stay abroad by Secretary to Department of Supply .	65
285.	वर्ष 1974–75 के लिए इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य	Production target of Steel for 1974-75	65–66
286.	श्रीलंका और भारत के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता	Talks held between the Prime Ministers of Sri Lanka and India	66–67
287.	उत्तर प्रदेश में अभ्रक के निक्षेप	Mica deposits in U.P. . . .	67
288.	गरीब देशों के लिए आयल फंड का निर्माण करने संबंधी ईरान का कथित प्रयास	Reported move by Iran to create fund for poor Nations . .	67
289.	राष्ट्रीय विवाचन सम्वर्दधन बोर्ड द्वारा विवाचन नियमों का संशोधन	Amendment of Arbitration Rules by National Arbitration Promotion Board . .	67–69
290.	कानपुर के औद्योगिक एककों को कोयले की कमी से हुई हानि	Kanpur Industrial units hit by Coal Shortage . . .	69
291.	अरब देशों के धन तथा फ्रांस के विशेषज्ञों की सहायता से पाकिस्तान द्वारा आयुध कारखानों की स्थापना	Setting up of Arms Factories by Pakistan with Finances of Arab States and French Expertise	69–70
292.	पाकिस्तानी युद्धबंदियों को स्वदेश भेजना	Repatriation of Pakistan P. O. Ws.	70

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
293.	हिन्द महासागर में अमरीकी नौसेना फ्रिगेट बेनब्रिज की उपस्थिति	Presence of U. S. Navy Frigate bainbrige in Indian Ocean	70
294.	देश में प्रोटीन तथा केलोरी की कमी से प्रभावित बच्चे	Children suffering from Protein and Caloria Mal nutrition in the country . . .	70–71
295.	अखिल भारत रक्षा कर्मचारी संघ द्वारा वर्गीकरण न्यायाधिकरण नियुक्त करने की मांग	Demand of All India Defence Employees Federation for appointment of classification Tribals	71
296.	बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन	Report of Bonus Review Committee	71
297.	रक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों को बोनस की अदायगी	Payment of Bonus to Civilian Employees of Defence Establishment	71–72
298.	आयुध कारखानों में अंशकालिक मजदूरों को बकाया राशि का भुगतान	Payment of Arrears to piece workers of Ordnance Factories	72
299.	रक्षा विभाग में वेतन आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित करना	Implementation of Pay Commission's Recommendations in Defence	72
300.	खेतड़ी तांबा परियोजना	Khetri Copper Projects .	73
301.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के हृदय-रोग एकक में गहन देखभाल	Intensive Care Unit in Cardiac Unit of All India Institute of Medical Sciences . .	73
302.	इस्पात संयंत्रों में इस्पात एकत्रित होना	Accumulation of Steel with Steel Plants . . .	73–74
303.	मद्रास हवाई अड्डे पर भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Crash of Indian Air Force Plane at Madras Air Port . .	74
304.	भारत-रुमानिया संयुक्त आयोग	Indo Romanian Joint Commission	74
305.	भारत-ईरान संयुक्त आयोग	Indo-Iranian Joint Commission	75
306.	सीमा वर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना	Resettlement of Ex-servicemen in Border Areas . .	75
307.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन	Production in Public Sector Steel Plants. . . .	75
308.	न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री के साथ सामूहिक सुरक्षा के मामले पर बातचीत	Talks with Prime Minister of New Zeland on Collective Security	76
309.	परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रोत्साहन	Incentives for Popularising Family Planning . . .	76

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
310.	कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग लगाना	Setting up of Heavy Industries in Backward Areas of Karnataka in Public Sector .	76
311.	रेलवे वैगनों का निर्माण	Manufacture of Railway Wagons	76–77
312.	शीत लहर के कारण मरने वाले व्यक्ति	Deaths due to cold wave . .	78
313.	गलत इंजैक्शन दिये जाने के फलस्वरूप इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में एक व्यक्ति की मृत्यू	Deaths in Irwin Hospital, New Delhi, due to Wrong Injection	78
314.	जाली औषधियों का पता लगाना	Fake Drugs unearthed .	78–79
315.	दिल्ली क्लाथ मिल्स में हड़ताल	Strike in Delhi Cloth Mills	80
316.	दिल्ली में जाली औषध कारखानों का पता लगाना	Spurious Drugs Factories unearthed in Delhi . . .	80–81
317.	तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार रक्षा कार्मिकों का वेतन नियतन	Pay Fixation of Defence Personal under Third Pay Commission Report	81
318.	विदेशों के रक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण	Training to Foreign Defence Personnel	81
319.	बम्बई के कपड़ा कारखानों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Bombay Textile Workers	81–82
320.	बिहार रेजिमेंट में अल्प संख्यक समुदायों के लोगों की भर्ती	Recruitment of Minority Communities in Bihar Regiment .	82
321.	बोकारो में तीसरी धमन भट्टी का निर्माण कार्य ठप्प होना	Work suspended on Third blast Furnace in Bokaro . .	82–83
322.	कोकिंग कोयला और साफ्ट कोक के लिये समान मूल्य निश्चित करना	Prices for coking coal and Soft Coke	81
323.	चीनी उद्योग में अकुशल कर्मचारियों को रिटेनिंग एलाउंस	Retaining Allowance to Unskilled Workers in Sugar Industry	83
324	इस्पात संयत्र द्वारा दिया गया विलंब शुल्क	Demurrage paid by Steel Plants	83–84
325	संयुक्त राष्ट्र संघ मे प्रयोग की जाने वाली भाषायें	Languages used in U.N.O.	84–85
326.	विदेशों में रहने वाले भारत वंशी व्यक्ति तथा उनके द्वारा वोली जाने वाली भाषाएं	Persons of Indian Origin residing abroad and languages spoken by them	85–86
327.	जीपों के निर्माण में एकाधिकार	Monopoly in Manufacture of Jeeps	86
328.	मुंगफली के तेल में मिलावट	Adulteration of Groundnut oil	86

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
329.	भरत स्थित पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of expenditure incurred on P. O. Ws. in India	87
330.	लघु इस्पात संयंत्रों में रद्दी लोहे का उत्पादन और उसकी खपत	Production and consumption of Scrapiron in Mini Steel Plants	87
331.	पाकिस्तान के लिए फ्रान्सीसी पनडुब्बिया	French Submarines for Pakistan	87
332.	औद्योगिक संबधों के बारे में सम्मेलन	Conference on Industrial Relations	87–88
333.	कारों और स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Cars and Scooters	88
334.	संसदसदस्यों द्वारा गणतंत्र दिवस परेड के निमंत्रण पत्र को वापिस करना	Return of Republic Day Parade invitation cards by Members of Parliament . . .	88–89
335.	मरमागाव पत्तन में मजदूरों के काम की शर्तों के बारे में अदालती जांच	Judicial probe into working Conditions of workers in Mormugao Port . . .	89
336.	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में श्रम न्यायालय	Labour Courts in Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, and Maharashtra. . .	89–90
337.	मनीपुर और त्रिपुरा के बागान मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा किया जाना	Deposit of Employees provident Fund by Plantation owners of Manipur and Tripura .	90
338.	चोर बाजार मे विक्री हेतु इस्तात का पकड़ा जाना	Seizure of Steel Meant for sale in Blackmarket . . .	90
339.	राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफरिशों का क्रियान्वयन	Implementation of Recomendations of National Commission on Labour	90–91
340.	कुछ भारतीय और विदेशी एजेन्सियों द्वारा मानव-रक्त की खरीद उसका निर्यात	Purchase and Export of Human Blood by some Indian and Foreign Agencies . .	91
341.	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के शेयर धारी	Share holders of Naltionalised Coal Mines	91
342.	डुबाई सरकार द्वारा भारतीय अप्रवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार	Inhuman Treatment to Indian Immigrants by Dubai Government	92
343.	गंभीर रूप से संकट ग्रस्त कोरबा संयंत्र	Korba Plant in serious trouble	92
344.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा 500 मेगावाट का विद्युत् जेनेरेटर चालू किया जाना	Commissioning of 500 MW power Generator by Bharat Heavy Electricals. . . .	92–93
345.	इंडिया गेट, नई दिल्ली में जवान-ज्योति पर व्यय	Expenditure on Jawan Jyoti at India Gate, New Delhi .	93

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
346.	भारत और सोवियत संघ में एक दूसरे के नागरिकों को विशेष दर्जा	Special Status to each others' Citizens in India and U.S.S.R.	93-94
347.	पूरे उत्तर भारत में कोयले की कमी तथा इस के मूल्य में वृद्धि	Shortage of coal and rise in its price all over North India .	94
348.	जहाज द्वारा कोयले का परिवहन	Coal transportation by Ship	94-95
349.	छोटे इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plants . . .	95-96
350.	भारत के रक्षा व्यय में कमी	Reduction in Defence Expenditure of India . . .	96
351.	बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansions of Bokaro Steel Plant	96
352.	न्युजीलैंड के प्रधान मंत्री का दौरा	Visit by Prime Minister of New Zealand	97
353.	मध्य प्रदेश के प्राथमिएता वाले उद्योगों के लिए इस्पात	Steel for prirotity industries of Madhya Pradesh . .	97-98
354.	मध्य प्रदेश को कोयले का आवंटन	Allocation of Coal to Madhya Pradesh	98
355.	अमरीका के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to promote Trade with U.S.A.	98
356	बंगला देश को मान्यता दिये जाने के लिये भारत, रूस मांग पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया	Pak reaction to Indo-Soviet Call for recognition of Bangladesh	98-99
357.	भारत और बंगला देश के बीच त्रिपक्षीय स्वदेश वापसी के बारे में बातचीत	Talks between India and Bangladesh about three way repatrition	99
358.	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया राशि के बारे में अनिर्णीत याचिकायें	Undisposed of petitions regarding retirement dues in nationalised Coal Mines . .	99
359.	गिरीश घोष रोड, बलूर स्थित आयरन वर्कस में दुर्घटना	Accident in Iron works on Girish Ghosh Road, Belur . .	99
360.	गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन	Non aligned Nations Conference	100
361.	कच्चाटिबु द्वीप में खनिज तेल की संभावनाए	Prospects of Mineral Oil in Kachchati Island . .	100-101
362.	भारतीय सैनिक प्रशिक्षण प्रक्रिया का पुर्निर्धारण	Reorientation of Indian Army Training Procedures . .	101
363.	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में प्रोग्रेसिव प्राविडंट फंड इम्प्लायीज फेडरेशन आफ इंडिया से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from Progressive Provident Fund Employees Federation of India for implementation of recommendations of Third Pay Commission .	101

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
364.	1971 के पश्चात भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये कार्यवाही	Steps for rehabilitation of Ex-servicemen after 1971 . .	102
365.	दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्ति	Persons registered with Employment Exchnges in Delhi .	102–103
366.	भूतपूर्व सैनिकों की सहायता के लिये निगम	Corporation to help Ex-servicemen	103
367.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० नाशिक में मिग 21 एम० एस० विमानों को निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to manufacture Mig 21 Ms at HAL Nasik . .	103
368.	साफ्ट तथा हार्ड कोक का उत्पादन	Production of Soft and Hard Coke	103–106
369.	कोयले का उत्पादन	Production of Coal	107
370.	डाक्टरों की हड़ताल से पूर्व दिल्ली के अस्पतालों में प्रतिदिन इलाज कराने वाले मरीजों की औसत	Daily Average of Patients Attended to in Delhi Hospitals prior to Strike by Doctors .	107–108
371.	दिल्ली के जमुना पार क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार	Expansion of Medical Facilities in Trans-Jamuna area of Delhi	108
372.	हास्पेट, विशाखापतनम और सलेम इस्पात संयंत्रों पर व्यय	Outlay on Hospect, Vizag and Salam Steel Plants . .	108–109
373.	सरकारी क्षेत्र में भारी औद्योगिक कारखानों में उत्पादन कम होना	Low Production in Heavy Industrial Units in Public Sector	109
375.	दिल्ली में कपड़ा उद्योग आन्दोलन का मुकाबला करने के लिये भारत रक्षा नियमों का प्रयोग	Use of D.I.R. to meet Delhi Textile Stir . . .	109–110
376.	"टिस्को" की गैस संबंधी आवश्यकता	Gas requirement of T.I.S.C.O.	110
377.	आल इंडिया आक्सीजन एण्ड ऐसीटिलीन इम्प्लाइज फेडरेशन द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike threat by All India Oxygen and Acetylene Employees Federation	110–111
378.	विशेष इस्पात का उत्पादन	Production of special steel	111
380.	मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पाये गये खनिज भंडार	Mineral diposits found in Bastar District, M. P. . . .	111–112
381.	कोयले पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on coal	112
382.	बालको एल्यूमीना प्लांट, कोरबा, मध्य प्रदेश का बंद होना	Closure of BALCO Alumina Plant Korba, Madhya Pradesh	112

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
383.	अमरीका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पुनः स्थापित करना	Restoring cordial relations with U.S.A.	112–113
384.	नीवेली में लिग्नाइट का उत्पाद	Lignite production at Neyveli	113
385.	इस्पात की कतरनों का आयात	Import of Scrap	113
386.	प्रेस प्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस परेड में पास जारी करना	Issue of Republic Day Parade Passes for Press Representatives	113–114
387.	गुजरात में कोयले की कमी	Coal shortage in Gujarat .	114
388.	सोवियत संघ को कोरबा के अलुमिना का निर्यात	Export of Korba Alumina to U.S.S.R.	114
389.	ब्रिटेन में अवैध प्रवेश को रोकने के लिये भारत ब्रिटेन करार	Indo-British agreement to check Illegal entry into Britain .	114
390.	चीनी सैनिक दल द्वारा पाकिस्तानकी यात्रा	Visit of Chinese military team to Pakistan	115
391.	अडरा के प्रादेशिक सेना कार्मिकों में असंतोष	Discontentment among Territorial Army Personnel at Adra	115
392	प्रादेशिक सेना के कार्मिकों की सेवा शर्तें	Terms and conditions of Service of Territorial Army Personnel	115
393	औद्योगिक कारखानों द्वारा इस्पात का कथित दुरुपयोग	Alleged misuse of Steel by Industrial Units . . .	116
395	पाकिस्तान द्वारा बिहारियों को लेने से इन्कार करना	Pakistan declined to accept Biharis	116
396	कानपुर में निर्मित आग्नेय अस्त्र	Fire arms manufactured at Kanpur	116–117
397	अमरीका तथा अन्य देशी द्वारा हिन्द महासागर में सैनिक शक्ति सुदृढ़ करना	Strengthening of Military Power by U.S.A. and others in Indian Ocean	117
398	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इन्दौर यार्ड से आवंटित इस्पात में चोर बाजारी	Blackmarket in Steel allotted from Indore Yard of Hindustan Steel Limited . .	117
399	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इंदौर स्थित यार्ड से इस्पात के कोटे का आवंटन	Allotment of Steel quota from Indore Yard of Hindustan Steel Limited . . .	117–118
400.	इंदौर और उज्जैन में कपड़ा मिलों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा न कराना	Non deposit of E. P.F. by Textile Mills in Indore and Ujjain .	118
	ध्यानाकर्षण के बारे में	Re. Calling Attention .	118

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
गुजरात में पुलिस द्वारा गोली चलाने की बढ़ती हुई कथित घटनाएं—	Reported increasing police firings in Gujarat—	
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta . .	118व 120–121
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	119, 121–122 व 123–124
श्री सरोज मुखर्जी, संसद सदस्य की कथित गिरफ्तारी के बारे में कर्तव्य—	Statement re. alleged arrest of Shri Saroj Mukherjee, M.P.—	
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	124–125
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	126
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills . .	127
प्रत्यक्ष कर (संशोधन विधेयक)—	Direct Taxes (Amendment) Bill—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुत करने के समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Select Committee . . .	127–128
संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक	Constitution (Thirty-second Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee . . .	128
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक—	Taxation Laws (Amendment) Bill—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of report of Select Committee . . .	128
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
36 वां प्रतिवेदन	Thirty Sixth Report .	129
नियम 377 के अंतर्गत मामला—	Matter Under Rule 377—	
पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा संसद सदस्यों को पीटे जाने का समाचार	Alleged beating of Members of Parliament by Police in West Bengal . . .	129
राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) विधेयक—	Presidential and Vice Presidential Elections (Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as reported by Joint Committee—	
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	129–130
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale .	130–131

विषय	SUBJECT	PAGES
खंड 2 से 9 और 1	Clauses 2 to 9 and 1 . .	132–135
संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended—	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	134
काठगढ़ में रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Railway Accident at Kathgarh—	
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qurashi .	134–135
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव—	Water (Prevention and Control of Pollution) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री भोला पासवान शास्त्री	Shri Bhola Paswan Shastri	135–136 व 141–142
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy .	137
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	137
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen .	138
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	138–139
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni .	139–140
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	140
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	140
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	140–141
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh .	141
खंड 2 से 64 और 1	Clauses 2 to 64 and 1 . .	142–150
संशोधित रूप पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass, as amended—	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	150
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	150
श्री भोला पासवान शास्त्री	Shri Bhola Paswan Shastri	150
लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक के बारे में	Re. Public Financial Institutions laws (Amendment) Bill	150
लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—	Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित किये रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H Mohsin. . .	151
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	151

विषय	SUBJECT	PAGES
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1 . . .	152–153
संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	153
चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक—	Cinematograph (Second Amendment Bill)—	
राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed Rajya Sabha—	
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral . .	153

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 21 फरवरी, 1974/2, फाल्गुन, 1895 (शक)
Thursday, February 21, 1974/Phalguna 2, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

अध्यक्ष **महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 21 ।

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्न संख्या 21 तथा प्रश्न संख्या 36 की विषय सामग्री एक जैसी ही है अथवा एक दूसरे से मिलती जुलती है अत: मेरा सुझाव है कि दोनों प्रश्नों को एक साथ ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : वह बिल्कुल ही दूसरा प्रश्न है ।

हिन्द महासागर में डिएगों गार्शिया में अमरीका का पूर्ण सैनिक अड्डा

21. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने हिन्द महासागर में डिएगो गार्शिया में संचार केन्द्र को पूर्ण अमरीकी सैनिक अड्डे में बदलने का फैसला किया है;

(ख) क्या हिन्द महासागर में रूस द्वारा कथित परमाणु परीक्षण किये जाने के कारण अमरीकी सरकार ने हिन्द महासागर में और अधिक रूचि लेने का फैसला किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन समाचारों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि अमरीका और रूस हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे बना रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अमरीका सरकार ने यू० के० सरकार की सहमति से दीगो गार्सिया द्वीप में विद्यमान सैनिक सुविधाओं का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है ।

2—38 LSS/73

(ख) सोवियत संघ द्वारा हिन्द महासागर क्षेत्र में कोई नाभिकीय-अस्त्र परीक्षण नहीं किया गया है, और अमरीकी सरकार ने भी इसे दीगो गार्सिया में सैनिक सुविधाओं की स्थापना का कारण कभी नहीं बताया है ।

(ग) दीगो गार्सिया में विद्यमान सुविधाओं के विस्तार से संबंधित हाल ही एंग्लो-अमरीकी कार्रवाई के प्रति सरकार ने अमरीका और यू० के० की सरकारों से अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त की है। यह सुविदित है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा के 16 दिसम्बर 1971 के प्रस्ताव का बराबर समर्थन किया है जिसमें हिन्द महासागर को सदैव एक शांत-क्षेत्र बनाये रखने की घोषणा की गई है और बड़ी ताकतों से कहा गया है कि वे हिन्द महासागर में अपने सैनिक उपस्थिति का विस्तार न करें ।

सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि सोवियत संघ द्वारा हिन्द महासागर में कोई सैनिक अड्डा स्थापित किया गया है ।

श्री पी० एम० मेहता : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की गतिविधियां इसलिये बढ़ रही हैं कि बड़ी शक्तियों की विचारधारा यह है कि भारत ने रूस के साथ कोई प्राप्त समझौता किया है . . .

एक माननीय सदस्य : यह केवल कल्पना है ।

श्री पी० एम० मेहता : क्या सरकार हिन्द महासागर में रूस को आणविक परीक्षणों सहित अन्य गतिविधियों के लिये अनुमति देती है और यदि ऐसा है, तो सरकार बड़ी शक्तियों की इस सही अथवा गलत विचारधारा को समाप्त करने के लिये क्या उपाय करेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य ने जिस विचारधारा के बारे में कहा है वह पूर्णतया गलत और निराधार है । इस मामले में भारत और रूस के बीच कोई गुप्त समझौता नहीं है ।

जहाँ तक हिन्द महासागर में आणविक परीक्षण करने की बात है, मैं मुख्य उत्तर में बता चुका हूँ कि जहां तक हमें पता है उन्होंने हिन्दमहासागर में कोई परीक्षण नहीं किया है ।

श्री पी० एम० मेहता : इस सागर को शान्तिक्षेत्र बनाये रखने के लिये विश्व विचारधारा इस पक्ष में करने हेतु सरकार का विचार क्या ठोस उपाय करने का है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस मामले से केवल भारत ही चिन्तित नहीं है, समस्त विश्व को इसका पता है, हिन्दमहासागर के तटीय देश और भीतरी देशों के साथ इस क्षेत्र से बाहर के देश भी इस मामले से अवगत हैं । यह मामला गुटनिर्पेक्ष राष्ट्रों के सम्मेल्लन में दो बार उठाया गया और एक संख्या पारित किया गया । संयुक्त राष्ट्रसंघ में इस मामले पर तीन संकल्प पारित किये गये अत: हम तथा हमारी विचार-धारा से सहमत देश इस कार्य के विरुद्ध विश्व की विचारधारा जाग्रत करने के लिय प्रत्येक संभव कार्यवाही कर रहे हैं । इस दिशा में हमारे प्रयत्न जारी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न प्रो० मधु दंडवते के प्रश्न की तरह ही है । अतः प्रश्न 36 के बारे में भी पूछा जा सकता है । यदि उन्होंने वह प्रश्न नहीं पृछा है तब अलग बात है । परन्तु अब वह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपना प्रश्न इस प्रकार पूछुंगा कि दोनों प्रश्नों को एक साथ लेने का तात्पर्य सार्थक हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आप जिस प्रकार चाहें पूछिये ।

हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने के बारे में श्रीलंका के प्रधान मंत्री से बातचीत

*36. **श्री मधु दण्डवते**† :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिएगो गार्शिया द्वीप को नौसैनिक अड्डा बनाने के संबंध में आंग्ल-अमरीकी कथित वार्ता को ध्यान में रखते हुए हिन्द महासागर को "शांति का क्षेत्र" बनाये रखने की आवश्यकता पर श्रीलंका के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत में विचार हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) श्रीलंका की प्रधान मंत्रीकी यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में जैसा कि उल्लिखित है दोनों प्रधान मंत्रियों ने हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा, तनाव तथा सैनिक वृद्धि से मुक्त शांति का क्षेत्र बनाने के विचार के प्रति अपने समर्थन को पुनः दुहराया है । उन्होंने हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा पर अपनी चिन्ता और इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाना इस क्षेत्र में तनाव और प्रतिस्पर्धा की कमी की दिशा में एक ठोस कदम होगा । उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिन्द महासागर के तटवर्ती तथा पृष्ठ प्रदेशीय देश सम्मिलित प्रयास करेंगे जिससे हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के संबंध में दिसम्बर 1971 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा को क्रियान्वित किया जा सके ।

प्रो० मधु दंडवते : भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष श्री एडमिरल नंदा ने हिन्द महासागर पर एक गोष्टी का उद्घाटन करते हुये कहा था :

"हिन्द महासागर में डायगो गार्शिया में नया अमरीकी नौसैनिक अड्डे से अमरीका हिन्द महासागर में व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण रख सकता है और इस क्षेत्र में अपने सातवें बेड़े को पर्याप्त सहायता पहुँचा सकता है । रूस प्रत्यक्षरूप में इसे अपनी सुरक्षा के लिये खतरा समझेगा और हिन्द महासागर में अपनी नौसैनिक शक्ती बढ़ाने का प्रयत्न करेगा जिससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा होगी "।

इस संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिये भारत की नौसैनिक शक्ति में वृद्धि करने की भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष के सुझाव पर विचार करेगी ? प्रश्न संख्या 36 के भाग (ख) के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ इस विषय पर बातचीत की है ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमारे प्रधान मंत्री ने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर अलग अलग श्रीलंका की प्रधानमंत्री से बातचीत की है । जहाँ तक श्री नंदा के सुझाव की बात है हम उससे सहमत हैं । हम भी यह महसूस करते हैं कि हिन्द महासागर में ऐसी गतिविधियों से इस क्षेत्र के देशों को खतरा पैदा होगा ।

श्री राम सहाय पांडे : वर्ष 1971 में लुसाका में गुटनिर्पेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में पारित किये गये संकल्पों को विचार में रखते हुये कि शान्ति की दृष्टि से हिन्दमहासागर में किसी भी शक्ति द्वारा कोई गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिये तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, कि ब्रिटिश सरकारने भारत पर आधात करते हुये वक्तव्य दिया है कि जब ब्रिटेन और अमरीका कुछ करते हैं तो भारत उसकी आलोचना करता है और जब रूस ऐसी ही चीजे करता है तब भारत चुप रहता है, हिन्द महासागर में शान्ति रखने के प्रश्न पर रूसका क्या विचार है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहाँ तक ब्रिटेन के विदेश सचिव के वक्तव्य की बात है, हमने भी वह समाचार पढ़ा है। हम यह महसूस करते है कि उनका वक्तव्य अवांछनीय है। सीधी सीधी अपनी विचारधारा व्यक्त करने के बजाय रुक्षता से वक्तव्य दिया गया है। जहाँ तक रूस की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, सदन को विश्वास दिलाते हुये मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले में रूस की विचारधारा सही तथा मैत्रीपूर्ण है। उन्होंने हिन्द महासागर को शान्तिपूर्ण क्षेत्र बनाये रखने की बात को स्वीकार किया है और हाल ही में श्री ब्रजनेव के दौरे के दौरान उन्होंने स्वयं रूसी विज्ञप्ति में यह इच्छा व्यक्त की कि रूस किसी भी ऐसे सम्मेलन और चर्चा में भाग लेने के लिये तैयार है जहाँ बड़ी शक्तियां इस मामले पर बात-चीत करें और एक संतोषप्रद समाधान निकालें। अत: रूस मामले पर बात-चीत करने के लिये तैयार है।

श्री भागवत झा आझाद : हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के संबन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ में सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुये मैं यह जानना चाहती हूँ कि सरकार अब ब्रिटेन के संयुक्त नव उपनिवेशवाद जो श्री ऐलैक डगलस होम के वक्तव्य से प्रकट होता है, और हिन्द महासागर को संघर्ष क्षेत्र बनाने के प्रयास से प्रकट अमरीकी साम्राज्यवाद का किस प्रकार सामना करेगी ? एक ओर पी० एल० 480 के चैक पर हस्ताक्षर किये जाते है दूसरी ओर ब्रिटेन के साथ करार किया जा रहा है। ब्रिटेन और अमरीका के द्वारा संयुक्त साम्राज्यवाद का सामना सरकार किस प्रकार करेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मेरे विचार से पी० एल० 480 तथा अन्य मामलों को इसमें नहीं लाया जाना चाहिये, ये मामले अलग हैं। इस विशेष मामले के बारे में मैं बता चुका हूँ कि हम अन्तर्राष्ट्रीय की रूप में इस मामले को उठा रहे हैं। हम स्वयं इसे हल नहीं कर सकते। अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर इस के लिये संघर्ष किया जा सकता है और इस मामले के विरुद्ध विश्व की विचारधारा जाग्रत करने के लिये हम प्रत्येक संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्री लंका के उप विदेशमंत्री के हाल ही के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि वे इस मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ में उठाने की बात सोच रह हैं मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस मामले को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्रसंघ में उठाने का विचार रखती है क्यों कि आंग्ल-अमरीकी कार्यवाही संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासभा में बहुत बड़े बहुमत से पारित संकल्प का उल्लंघन है ? क्या मैं यह बात भी जान सकता हूँ कि क्या सरकार का विचार इस प्रश्न पर बात-चीत करने के लिये तटीयदेशों तथा मैडा-गास्कर के अन्य सम्बद्ध देशों के सम्मेल्लन में सहयोग करने का है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहाँ तक इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ में उठाने की बात है मैंने बताया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में इस मामले पर पहले से ही बात-चीत चल रही है। यह सच है कि इस कार्य से संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा पारित संकल्प का उल्लंघन हुआ है और हमें विश्वास है कि कभी न कभी संयुक्त राष्ट्रसंघ में इस मामले पर चर्चा होगी ही। परन्तु इस समय यह बताना कि चर्चा कब होगी तभी किस रूप में होगी मेरे लिये कठिन है।

मैंने वह प्रेस समाचार देखा है जिसमें कहा गया है कि श्रीलंका का विचार इस मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ में उठाने का है। इस मामले में हम श्रीलंका के साथ हैं और यदि वे इसे फिर संयुक्त राष्ट्रसंघ में उठाना चाहते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे।

जहाँ तक गुट-निर्पेक्ष देशों के सम्मेल्लन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि इस मामले पर चर्चा करने के लिये कोई सम्मेल्लन आयोजित होगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के साथ राजनयिक संबंध

***24. श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के साथ राजदूत स्तर पर पूरे राजनयिक संबंध स्थापित करने का निर्णय कर लिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री बी० एन० रेड्डी : हमारी सरकार ने उस सरकार से जिसके अधिकार में बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे लोगों का बहुमत प्राप्त है पूरे राजनयिक सम्बन्ध क्यों स्थापित नहीं किये है ? विश्वशक्तियों ने इसे अस्थायी सरकार के रूप में मान्यता दी है। हमारी सरकार जो गुटनिरपेक्ष होने का दावा करती है तथा गैर साम्राज्यवादी नीति पर चलती है इस सरकार को मान्यता क्यों नहीं देती है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैंने उत्तर में बताया है कि मामले पर विचार किया जा रहा है। वह स्थिति अभी नहीं आयी है जिसमें हम अन्तिम निर्णय कर सकें। हमारे विचार से दक्षिण वियतनाम में स्थिति अभी भी अस्थिर है और हम स्थिति का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कर रहे हैं, उपयुक्त समय पर इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री बी० एन० रेड्डी : सरकार ने अभी तक अमरीकी साम्राज्यवाद की कठपुतली सरकार को जिसे दक्षिण वियतनाम सरकार कहा जाता है क्यों मान्यता दे रखी है ? इस सरकार में वहाँ के लोगों का विश्वास नहीं रहा है और इस नियंत्रण बहुत बड़े राज्यक्षेत्र से समाप्त हो गया है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : उनसे हमारे केवल वाणिज्यिक सम्बन्ध हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पैरिस शान्तिवार्ता में अमरीका तथा अन्य देशो ने इस सरकार को मान्यता दी है सरकार के सामने अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने में क्या बाधायें हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सच है कि पैरिस शान्तिवार्ता में जिस अस्थायी क्रांतिकारी सरकार ने भाग लिया उसने भी पैरिस शान्ति समझौते से सहमति प्रकट की थी। क्योंकि माननीय सदस्य ने पैरिस समझौते का संदर्भ दिया है मैं उनका ध्यान समझौते के अनुच्छेद 9 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है (क) सभी देशों को दक्षिण वियतनाम के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का स्वागत करना चाहिये और (ख) विदेशों को दक्षिण वियतनाम के लोगों पर कोई राजनैतिक विचारधारा अथवा पद्धति अथवा कोई राजनैतिक व्यक्तित्व नहीं थोपना चाहिये। इन दोनों खंडों के अनुसरण में हम कोई ऐसी कार्यवाही करना नहीं चाहते। जिससे पैरिस समझौते के पूरे क्रियान्वयन में कोई बाधा उत्पन्न हो। इसी लिये हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। यदि पैरिस समझौते को क्रियान्वित किया जाता है तो बहुत अच्छा है, यदि ऐसा नहीं होता है तब हम यह देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि भारत सरकार को यह विदित होना चाहिये कि सैगोन अपने अमरीकी सहयोगियों के साथ मिलकर इस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है जिससे पैरिस समझौता क्रियान्वित नहीं होगा, सरकार अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने में क्यों विलम्ब कर रही है। बहुत से देश मान्यता दे चुके हैं और भारत वियतनाम के मामलेपर देशों से सहमत है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : वही प्रश्न फिर पूछा जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब तक पैरिस समझौते के क्रियान्वयन की थोडी बहुत आशा है, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे कठिनाइयां पैदा हों अथवा जो क्रियान्वयन के मार्ग में बाधक हो। इसी लिये मैंने बताया है कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं।

पेट्रोल, मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस की खपत में कमी करने के प्रस्ताव

***26. श्री ई० बी० विखे पाटिल : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल के आयात के खर्च में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुये उनके मंत्रालय ने पेट्रोल, मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस की खपत में कमी करने के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रुपरेखा क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं के किस प्रकार तथा कितने समय में लागू किये जाने की संभावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के अधिकारियों को सड़क से दौरा करने में अत्यधिक कमी करने और पेट्रोल तथा पेट्रोल के उत्पादों की खपत में अधिक से अधिक बचत करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं । मंत्रालय ने स्थल से स्थल टैक्सियां चलाने की पद्धति तैयार की है और बढ़ती हुई संख्या में मुसाफिरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेष रुप से शहरों में योजना लागू करने के बारे में राज्य सरकारों को लिख रहा है । मंत्रालय ट्रक-ट्रेलर के मेल को चालू करनेके लिए एक योजना पर भी विचार कर रहा है । यह योजना जब पूर्णरुप से कार्यान्वित हो जायेगी तो इससे कुछ सीमा तक डीज़ल ईंधन की खपत में कमी होगी । यह मंत्रालय यात्री कारों और जीपों में पेट्रोल की बचत करने के विषय पर सचिवों की संचालन समिति द्वारा किए गए विचार विमर्शों में भी भाग ले रहा है । इन गाड़ियों और सहायक सामान निर्माताओं के साथ भी बात-चीत की गई है । इन बात-चीतों के परिणामस्वरूप गाड़ियों के एक निर्माता ने अपनी कारों में एक्सीलेरेटर पम्प को ब्लाक करना पहले ही शुरु कर दिया है जिससे पेट्रोल की लगभग 5% की बचत होगी । गाड़ी निर्माता कार्बुरेटर निर्माताओं की सहायता से छोटे जेटों से परीक्षण करने पर कार्यवाही कर रहे है । गाड़ियो के एक निर्माता ने परीक्षण पहले ही पूरा कर लिया है और अन्य निर्माता इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं । गाड़ियों और कार्ब्युरेटरों के सिमांताओं ने स्वेच्छा से कहा है कि जेटों के स्थान पर उपयुक्त किट इनको बनाने के लिए कच्चे माल उपलब्ध होने पर तीन महीनों के अंदर बाजार में प्रस्तुत किए जायेंगे । उपयुक्त जांच और सेवा सुविधाओं सहित विज्ञापन आन्दोलन गाड़ी बनाने वाले दो निर्माताओं द्वारा शुरु कर दिया गया है और अन्य निर्माता आगे और ब्यौरा तैयार कर रहे हैं । महत्वपूर्ण फालतू पुर्जो का उत्पादन बढ़ाने और इंजनों के उचित अनुरक्षण और समस्वरण (ट्यूनिंग) में उपयोक्ताओंको शिक्षा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ।

इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम को घरेलू तथा औद्योगिक काम के लिए कलकत्ता और बंबई को कोयला-गैस की अतिरिक्त मात्रा का संभरण करने के लिए कम तापक्रम के कार्बनाइंजेशन संयंत्री की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगाने का काम सौंपा गया है । ये प्रस्ताव जब कार्यान्वित होंगे, तो इससे मिट्टी के तेल और खाना पकाने की गैस की खपत कम होगी ।

उपर्युक्त के अलावा, इस मंत्रालय का मिट्टी के तेल और खाना पकाने की गैस के इस्तेमाल से प्रत्यक्ष रूपसे कोई संबंध नहीं है जिनकी खपत पर नियंत्रण करने के लिए पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ।

Shri E. V. Vikhe Patil : Mr. Speaker, Sir, in the Third part of my question I have asked that how and when these schemes are likely to be executed? Some schemes have been mentioned in the statement. I want to know, whether orders have been issued to the officers of the Public Sector to curtail the consumption of petrol by minimising the use of cars, what is the result of this order?

It has been stated in the statement that a scheme to introduce a truck trailor combination is being pursued. I want to know whether the consumption of petrol by this combination will be less or more as compared to the quantity of petrol being consumed by truck? It has also been stated in the Statement that by installing a new type of acceleration pump the consumption of petrol will be reduced by 5 per cent. May I know whether there accelerator pumps are available in the market and whether they are being produced in Public Sector or Private Sector.

भारी उद्योग मंत्री श्री टी० ए० पाई : जब तेल संकट शुरु हुआ था, तो हमें इस स्थिति से निपटने के लिये विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों के बारे सोचना पड़ा था। अतः मोटर गाड़ी के निर्माताओं से हम और ध्यान देते तथा यह देखने की अपेक्षा की गयी थी कि कार्बूरेटर में क्या क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं ताकि खपत को कम किया जा सके। उन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं। हम मोटर गाड़ियों में इन विचारों को कार्यान्वित करना चाहते हैं और यथाशीघ्र उन्हें बाजार में बिक्री के लिये प्रस्तुत करना चाहते है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के एककों का संबंध है मेरे मंत्रालय के अधीन जो एकक हैं, वे खपत संबंधी सुझावों को कार्यान्वित कर रहे हैं। हम अम्बैसेडर कारों में डीजल सेटों को लगाने के लिये उपयुक्त बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। हम इन सेटों का निर्माण शीघ्र करवा रहे हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि इसमें कितना समय लगेगा. किन्तु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूँ हम इस ओर तुरन्त ध्यान दे रहे है जितना कि हमारे लिये इन परिस्थितियों में करना सम्भव हो सकता है।

Shri E. V. Vikhe Patil : It has been mentioned in the statement that by setting up low temperature carbonisation plants in big cities like Bombay and Calcutta, the consumption of gas and Kerosene will be reduced what would be total investment if these plants are set up in all the cities, the time by which the work would be completed and the quantity of gas or kerosene would be saved thereby? Whether this saved gas or kerosene would be available to consumers at less or more price and how much coal is required for this Plant? As our big Plants have been closed due to shortage of coal and non availablity of transport facilities...

Mr. Speaker : Please ask a brief question.

Shri E. V. Vikhe Patil : Keeping inview of all these things how much amount is required for this and the extent of saving thereby.

श्री टी० ए० पाई : माननीय सदस्य मुझ से यह पूछना चाहते है कि मैं उन्हें यह बात स्पष्ट कह दूं कि क्या सभी समस्याओं का समाधान हो जायेंगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि हम ने तो केवल यह सुझाव दिया है कि हम ऐसे संयंत्रों की व्यवस्था करने की स्थिति में हैं जो नगरों को कोयला और गैस की सप्लाई कर सकें। अब हमें बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे नगरों के लिये इन प्रस्तावों पर विचार करना चाहिए।

Shri E. V. Vikhe Patil : How much money and coal is required for this?

श्री टी० ए० पाई : इस मामले में पूंजी विदेश 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।

डा० रानेन सेन : बिजली और गैस की कमी के कारण कलकत्ता के लोग पहले ही बहुत अधिक कष्ट सहन कर रहे है। अब इस विवरण में बताया गया है :—

> "इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम को घरेलू तथा औद्योगिक काम के लिये कलकत्ता और बम्बई को कोयला-गैस की अतिरिक्त मात्रा का सम्भरण करने के लिये कम तापक्रम के कार्बनाइजेशन संयंत्रों की स्थापना करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का काम सौंपा गया है।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिये कलकत्ता और बम्बई के नगरों में इस प्रकार की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये वस्तुतः कितना समय लगेगा कि बिजली और कोयले की कमी को समाप्त किया जा सके ?

श्री टी० ए० पाई : इन संयंत्रो की सप्लाई करने का काम मेरे मंत्रालय का है। इन संयंत्रो की स्थापना करने का काम विभिन्न एजेंसियां के जिम्मे होता है। हम ने तो केवल उन्हें यह बताने का प्रयास किया है कि यदि वे इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये तैयार हैं जिनके बारे में बेशक उन्होंने नयी स्थितियों को रखते हुये हो विचार करना होता है, तो हम निश्चय हो अपने वायदे को पूरा करेंगे।

डा० रानेन सेनई : अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने "विभिन्न एजेंसियों" का उल्लेख किया है। कौन सी एसी एजेंसियां हैं जिन्हें यह काम सौंपा गया है?

श्री टी० ए० पाई : उदाहरणार्थ राज्य सरकार एक ऐसी एजेंसी है, क्योंकि जहां तक गैस परियोजना का सम्बन्ध है, पाईपों को बिछाना होता है। अतः नगर निगम को भी कुछ जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। अतः, इस प्रस्ताव को तुरन्त कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। इसे कार्यान्वित करने में कम से कम एक या दो वर्ष लगेंगे।

श्री नरेन्द्रकुमारी सोधी : क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई प्रयास किये हैं कि पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों का कुल खपत को तुलना में प्रतिरक्षा संगठन, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, अन्य संगठनों तथा सामान्य जनता द्वारा पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थो की कितनी खपत की जाती है ताकि हम यह जान सकें कि कहां किफायत की जा सकती है?

श्री टी० ए० पाई : यह प्रश्न पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री से पूछा जाना चाहिये। हमारे मंत्रालय से शायद इस विचार से पूछा गया है कि हम पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई करते हैं। हम तो गाड़ियों का निर्माण करते हैं। पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई अथवा खपत के लिये हम उत्तरदायी नहीं हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हालार : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि दिल्ली बम्बई तथा कलकत्ता जैसे नगरों में गैस सप्लाई की जायेगी। क्या दुर्गापुर इस्पात नगर को भी गैस सप्लाई की जायेगी?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से पैदा नहीं होता है। यह मुख्य प्रश्न की सीमा से बाहर है।

श्रीलंका के प्रधान मंत्री के साथ कच्चतिबू द्वीप के बारे में बातचीत

*27. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका के प्रधान मंत्री के हाल के दौरे के समय काफी समय से चल रही कच्चतिबू द्वीप संबंधी समस्या के बारे में बातचीत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत और श्रीलंका की प्रधान मंत्रियां ने कच्चतिबू और सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श किया। इस बातचीत के दौरान संतोषजनक प्रगति हुई जिसके परिणामस्वरूप इस बात पर सहमति हुई कि पाक जलडमरूमध्य और एडम्स ब्रिज के मध्य भारत और श्रीलंका के बीच के ऐतिहासिक समुद्र के बारे में भी जल्दी ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मंत्री महोदय ने कहा है कि चर्चा में संतोषजनक प्रगति हुई थी। क्या वह यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि श्रीलंका उस क्षेत्र में सोवियत संघ की सहायता से तेल प्राप्त करने के लिये कार्यवाही कर रहा है और यदि हां, तो क्या श्रीलंका से ऐसी इस विवादास्पद क्षेत्र में तेल निकालने संबंधी गतिविधियां उस समय तक रोकने का अनुरोध किया गया था जब तक कि इस क्षेत्र के बारे में कोई निर्णय नहीं हो जाता ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मेरी जांच-पड़ताल से यह सिद्ध नहीं हुआ है कि श्रीलंका कच्चतिबू द्वीप में तेल निकालने की गतिविधियां कर रहा है।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : मेरे विचार से मंत्री महोदय को मालूम नहीं है—कि वहां क्या कुछ हो रहा है क्योंकि उसके व्यापक रूप से समाचार एकत्रित हुए हैं कि वहां तेल निकालने संबंधी गतिविधियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह पूछा था कि इस क्षेत्र के बारे में चर्चा हुई थी अथवा नहीं और मंत्री महोदय ने बताया कि चर्चा हुई थी।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या वहां तेल निकालने संबंधी गतिविधियों को रोक देने का अनुरोध किया गया था या नहीं—यह सर्वथा संबंधित प्रश्न है—क्योंकि श्रीलंका वहां उस द्वीप पर अपना दावा सिद्ध करने के लिये तेल निकालने के लिये कार्यवाही करने के कदम उठा रहा है। मैंने यह पूछा था कि क्या इस बात की भी चर्चा की गई थी या नहीं। दूसरे, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह क्षेत्र कब श्रीलंका के कब्जे में गया था ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर यहां कई बार चर्चा हो चुकी है।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : यदि इस पर चर्चा हुई थी तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य ने तेल की खोज के बारे में प्रश्न पूछते समय इस क्षेत्र का हवाला दिया था। यह बहुत संभव है कि तेल की खोज संबंधी गतिविधियां श्रीलंका के तट या तट दूर क्षेत्र में चल रही हों। मैं तो अपने आपको केवल कच्चतिबू के प्रश्न तक ही समित रख रहा हूं। हमारी पूछताछ से यह पता नहीं लगता कि उस द्वीप में तेल की खोज का कार्य चल रहा है। इसलिये मैंने उत्तर नकारात्मक दिया है।

जहां तक इस द्वीप के श्रीलंका के कब्जे में जाने की बात है तो हमारा दावा है कि यह हमारा क्षेत्र है और उनका दावा है कि वह क्षेत्र उनका है और इस बारे में अनेक बार चर्चा हुई है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सरकार का ध्यान तामिलनाडु के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य के ओर दिलाया गया है कि तमिल नाडु सरकार के पास कच्चातिबू के बारे में दस्तावेजी प्रमाण हैं और इस मामले में इस सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया है, और कि यदि ऐसा किया जाता तो यह प्रश्न संतोषजनक ढंग से हल हो जाता ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : कच्चातिबू संबंधी मामले पर अपना दावा तैयार करते समय तमिलनाडु के पास से उपलब्ध सभी प्रमाणों पर विचार किया गया है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कच्चातिबू में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव में पीने के पानी सहित सभी चीजें श्रीलंका से भेजी जाती हैं और भारत से कुछ भी नहीं जब कि वहां अनेक भारतीय तीर्थयात्री भी जाते हैं ? इसका क्या कारण है ? क्या यह इसलिये है कि वहां भारत की चीजों को जाने की मनाही है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस क्षेत्र का उपयोग मत्स्य-मौसम में भारत तथा श्रीलंका के मछुवों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। सेंट अनथनी उत्सव के समय दोनों देशों के मछुवे वहां जाते हैं और दोनों पक्षों कि ओर से उचित सुविधाओं का संबंध किया जाता है। यह सही नहीं है कि केवल श्रीलंका से ही पानी भेजा जाता है, भारत से भी पानी जाता है।

उत्पादन में कमी और परिवहन सुविधाओं के अभाव का कोयले की उपलब्धता पर प्रभाव

*28. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन में कमी और परिवहन सुविधाओं के अभाव का कोयले की उपलब्धता पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) चालू वर्ष में कोयले का उत्पादन पिछले प्रत्येक वर्ष के उत्पादन से अधिक रहा है किंतु मांग में, विशषतया बिजली-घरों तथा इस्पात संयंत्रोंकि मांग में वृद्धि हो जाने और हाल ही के कुछ महीनों में रेलवे कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न संकट के कारण अनेक उपभोक्ता केन्द्रों पर कोयले की पूर्ति में कमी हुई है। इस कमी के बारे में सही सही आंकड़े देना संभव नहीं है।

(ख) कोयला उत्पादक इकाइयों द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा रेलवे द्वारा विभिन्न उद्योगों को अधिकाधिक कोयला पहुंचाने का समन्वित प्रयास किया जा रहा है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : देश में ऊर्जा की भारी कमी को देखते हुए क्या देश में आपत्तकालीन आधार पर कोयले का उत्पादन आगामी वर्ष में बढ़ा कर 160 लाख टन तक करने की योजनायें बनाई गयीं है और यदि हां, तो क्या उत्पादन में इतनी वृद्धि करने के कार्य में आने वाली संगठनात्मक तथा अन्य समस्याओं का अध्ययन कर लिया गया है ; और यदि हां, तो हम उक्त अध्ययन का ब्यौरा जानना चाहेंगे।

श्री सुबोध हंसदा : हम इससे पूरी तरह अवगत हैं कि तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण आगामी वर्ष 1974–75 में कोयले का उत्पादन बढ़ाकर 160 लाख टन करना होगा। हम उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं ; इस संबंध में हम रेल मंत्रालय का सहयोग भी ले रहे हैं जोकि कोयले की खानों से उपभोक्ता केन्द्रों तक पहुंचायेगा।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : कोयले की कमी की समस्या कई बार कोयले के उत्पादन में कमी के कारण नहीं होती बल्कि अधिकतया इसका कारण रेल-परिवहन का संकट होता है। मैं मंत्री महोदय से जाना चाहूंगा कि इस अवरोध को हल करने के लिये रेलवे के साथ किस प्रकार के समन्वय संबंधी प्रयास किये गये हैं ?

श्री सुबोध हंसदा : यह कमी, जैसा कि मैंने कहा उत्पादन के कारण नहीं है। यह कमी परिवहन प्रणाली विशेषकर रेलवे में हड़तालों जैसे विभिन्न कारणों मे होती है

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय सदनको गुमराह कर रहे हैं।

श्री सुबोध हंसदा : मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके विषय को मत छेड़िए। दृढ़ता इनका विषय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी हां, ऐसा ही है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप लोग इन हड़तालों के लिय जिम्मेवार हैं।

श्री सुबोध हंसदा : और यह बात बार बार सभा के सम्मुख आती रही है कि परिवहन की समस्या के कारण कुछ कम वरीयता वाले उद्योग . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सब कुछ आपको त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण होता है।

श्री सुबोध हंसदा : कुछ कम वरीयता वाले उपभोक्ताओं को कठिनाई होती है क्योंकि हमें इस्पात संयंत्रों, सीमेंट के कारखानों आदि जैसे उच्च वरीयता प्राप्त उपभोक्ताओं की मांग पूरी करनी पड़ती हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या यह सच है कि कोयले का उत्पादन बढ़ता गया है और इसे बढ़ाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं? दूसरे, क्या यह भी सच है कि गत तीन मास से भी अधिक समय से रेल मंत्री तथा इस्पात और खान मंत्री दोनों ही अलग अलग तथा एक साथ सभा को बार बार यह आश्वासन देते रही हैं कि वे परस्पर सहयोग और समन्वय बनाये रखने के लिये ठोस कदम उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता कि यह समन्वय पर विचार करने का मामला कब तक चलेगा और क्या इस समन्वय को प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र गठित किया गया है क्योंकि यह देखते हुए कि अहमदाबाद और गांधीनगर में कोयला गत एक सप्ताह से नहीं पहुंच रहा है इससे इस संकट में भी किसी प्रकार कार्य करते रहे वहां के कारखानों तथा कपड़ा मिलों को बन्द हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। क्या सरकार चाहती है कि वहां कोयले की दोषपूर्ण सप्लाई के कारण वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति और अधिक बिगड़ जाये? यह समन्वय करने के विचार का पचड़ा कब तक चलेगा और क्या इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही किये जाने की संभावना है?

श्री सुबोध हंसदा : हम नहीं जानते कि अहमदाबाद में कारखानों तथा उद्योगों के बन्द हो जाने का खतरा है। यदि यह मामला हमारी जानकारी में लाया जाता है तो हम निश्चय ही आवश्यक कदम उठायेंगे।

श्रीमती टी० लक्ष्मी कान्तमा : कोयले की कमी के कारण न केवल बड़े उद्योग ही प्रभावित हुए हैं . .

श्री पी० जी० मावलंकर : सरकार का क्या उत्तर है? मैं तथ्य बता रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कोयले की सप्लाई की गलत प्रणाली कब ठीक की जायेगी? क्या उत्तर दे रहे हैं।?

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में भी गुजरात के वातावरण से प्रभावित नजर आते हैं।

श्री एस० ए० शमीम : यह तो प्रशंसा है।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या आप चाहते हैं कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति और अधिक बिगड़ जाए?

श्री एस० ए० शमीम : मंत्री महोदय की प्रवृत्ति के विरुद्ध वह बहुत ही जजबाती है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि आप नम्रतापूर्वक बोलें, उत्तर मिलेगा। जब आप उत्तेचित होते हैं तो सब कुछ गड बड़ हो जाता है। क्या मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं?

श्री सुबोध हंसदा : हम इन समस्याओं का हल निकालने के लिये समय समय पर बैठकें कर रहे हैं। क्योंकि गत अगस्त तथा नवम्बर में, विशेषकर जकि जबकि रेलवे कर्मचारियों में अनुशासनहीनता व्याप्त थी . . . **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री पी० वेंकाटासुब्बैया : श्रीमन्, मंत्री महोदय को उत्तर देने दिया जाय . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया बैठ जायेंगे ? आप रेलवे की हड़ताल की केवल बात पर ही क्यों भडक उठते हैं ? आप यह बात कहने को नहीं देते ?

श्री सुबोध हंसदा : मैं तो केवल तथ्य बता रहा हूं । रेलवे कर्मचारियों में अनुशासनहीनता व्याप्त थी । ट्रेन बज्जामिनरो ने हड़ताल कर रखी थी । दक्षिणपूर्व रेलवे के कर्मचारियों में भी अनुशासनहीनता व्याप्त थी । माल डिब्बों की जांच करने वाले कर्मचारी भी अपना कर्त्तव्य यही प्रकार नहीं निभा रहे थे और काम ठप्प पड़ा था, माल-डिब्बे नहीं चल रहे थे ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : अनेक गृहिणियों की ओर से एक शिकायत है कि उन्हें घण्टों तक लाइन में खड़ा रहने पर भी कोयला नहीं मिलता है । रेलवे के माल समन्वय बनाने के अतिरिक्त इस स्थिति को आप कैसे ठीक कर रहे हैं ?

श्री सुबोध हंसदा : माननीय सदस्य सॉफ्ट कोक की सप्लाई के बारे में कह रहे हैं। हमने राज्य सरकारों को और अधिक कोयला भंडार खोलने के लिये कहा है ताकि वे कोयला सप्लाई कर सके और उसका राज्य वितरण व्यवस्था द्वारा वितरण किया जा सके । अब एक प्रयास और कर रहे हैं । वह यह कि हमने कहा है कि राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता की मात्रा बतायें—प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आवश्यकता बताये—ताकि हम उनकी आवश्यकतानुसार सप्लाई कर सके ताकि ये छोटे उपभोक्ता ईटों के भट्टे वाले और छोटे औद्योगिक उपभोक्ता राज्य सरकारों से सरलतापूर्वक अपनी आवश्यकतानुसार सप्लाई ले सकें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय परिवहन की कमी की बात करते है । क्या मैं जान सकता हूं कि परिवहन की कमी के कारण कितनी मात्रा में कोयला भेजे जाने से रुका पड़ा है ?

श्री सुबोध हंसदा : हमें प्रतिदिन 8 000 डिब्बों की आवश्यकता होती है । हमें केवल 5000 या 6000 डिब्बे प्रतिदिन मिलते हैं । यह एक बड़ा अन्तर है ।

Shri Ramavatar Shashtri : I would like to know from the hon. Minister that although enough coal is lying for transportation and you have got vagons also, then how is it that coal in Delhi is selling at Rs. 30 a maund? What are the reasons for the rise in prices there for why this blackmarketing and what steps are being taken to check it?

The Minister of Steel and Mines (Shri K.D. Malviya) : It is a very bad State of affairs that we are not able to control the prices fully. There are certain reasons therefor blackmarketing is going on, lesser quantity of coal reaches at the required time. Sometimes wagons do not arrive and if at all those arrive, the distribution is not proper. But certainty the situation has improved in the recent days, and I hope the situation here will improve further. After a little patience, you will see that the situation get engough improved.

श्री मोइतुल हक चौधरी : मंत्री महोदय ने "यहां" शब्द प्रयोग शायद इसलिये किया है कि यह समस्या केवल यहां दिल्ली में ही है । परन्तु ऐसी स्थिति तो देश-भर में व्याप्त है बल्कि देशव्यापी कमी ही नहीं काफ़ी अफ़रा तफ़री भी है । मेरा प्रश्न यह है कि रेल उप-मंत्री अधिकारियों के साथ कलकत्ता गए समन्वय के लिये । यह भी बड़ी विचित्र बात है कि आधिकारीगण भी परस्पर समन्वय स्थापित नहीं कर सकते । मैं जानना चाहता हूं कि उनके कलकत्ता के दौरे के फलस्वरूप स्थिति में क्या सुधार हुआ—श्री क़ुरेशी अधिकारियों के एक दल के साथ कलकत्ता गए थे ।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे रेल उपमंत्री के इस विशिष्ट दौरे की जानकारी नहीं है । परन्तु यह सत्य है कि हम अपनी गतिविधियों को समन्वित करने तथा प्रक्रिया में सुधार करने, की समस्या की गहनता को समझने और कोयले को उनके गन्तव्यस्थानों को पहुंचाने क लिये व्यापक

प्रयास कर रहे हैं । मुझे यह भी मालूम है कि कुछ बातों के कारण दिक्कत हो रही हैं। तथा कठिनाइयां अनुभव दे रही है। हम इस संबंध में सुधार करने के लिये सभी उपाय कर रहे है । • स्थिति का सामना करने के लिये और अधिक समन्वय की जरूरत है । हम इस कार्य में लगे है और यदि हमें कुछ और समय दिया गया तो निश्चय ही स्थिति में सुधार हो जायेगा।

श्री वसन्त साठे : क्या किसी उद्योग को विशेष रूप से संयंत्रों आदि को अपना उत्पादन कम बनाये रखने के लिये यह आश्वासन मिलना चाहिये कि उसे दो सप्ताह तक का कोयले का स्टॉक उपलब्ध कराया जायगा ? क्या आप इन एककों के लिये पर्याप्त मात्रा में कोयले की ढुलाई करेंगे ताकि वे अपने उत्पादन क्रम में स्थिरता बनाये रख सकें ? उदाहरणार्थ बिजली-घरों आदि को ही ले लिजिए। क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय मुहानों पर कितना कोयला पड़ा है ?

श्री सुबोध हंसदा : मुहानों पर इस समय 60 लाख टन कोयले का स्टॉक है । उपभोक्ता केंद्रों पर हमारे पास कोयले का काफी स्टाक है। मैं मानता हूं कि विशेष रूप के उचित संयंत्रों के लिये कोयले का काफ़ी स्टॉक होना चाहिये । तथापि मैं यह कहना चाहूंगा कि मुहानों पर काफ़ी कोयला गया है और हम इस कोयले को इन इस्पात संयंत्रों तक ले आने की स्थिति में नहीं है । यह भी एक कारण है कि वहां कोयले के स्टांक को कमी है । अन्यथा कोयल की कमी तो नहीं है ।

श्री वसन्त साठे : क्या मैं जान सकता हूं कि इस्पात सयंत्रों में कोयले का भंडार कितना है ?

श्री अध्यक्ष महोदय : साठे साहेब यदि आपको इसके लिये विशिष्ट उत्तर चाहिये तो आप इसके लिये अलग से नोटिस दें ।

श्री वसन्त साठे : मेरा प्रश्न वर्तमान चर्चा से पैदा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पता लगाने का प्रयास करुंगा कि क्या यह इसी चर्चा से पैदा हुआ है ।

Shri Amrit Nahata: The lack of coordination between coal and railways has resulted in stoppage of trains itself since there is no coal avaiable to run them. Whereas 14 trains used to run every week on Jodhpur Barmer Sector, there are only two trains now. I want to know as to when coal would be available to the trains to run?

श्री सुबोध हंसदा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुहानों पर तो काफ़ी कोयला उपलब्ध है । यह तो बस रेलों के चलने पर निर्भर करता है । यदि रेल ले जाती हैं तो कोयले की कमी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध पुनःस्थापित करना

*29. **श्री एम० सुदर्शनम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने हमारे देश के साथ पुनः राजनयिक संबंध स्थापित करने की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने प्रधान मंत्री भुट्टो के इस आशय के वक्तव्यों की अखबारी रिपोर्टें देखी है ।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान सरकार से शिमला समझाते के परा 3 में विहित सामान्यीकरण के पहलुओं पर बातचीत करने का सुझाव पहले ही दिया था। शिमला समझौता के पैरा 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सामान्यीकरण की प्रगति के आधार पर ही पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री एम० सुदर्शनम : क्या विदेश मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय से उस देश के साथ व्यापार-करार करने की सिफारिश करेगा ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सभी मामलों पर चाहे वे व्यापार के संबंध में हों या संचार के हों पाकिस्तान और हमारे बीच विचार-विमर्श के लिये प्रस्तावित हैं और हमने पाकिस्तान को इसलिये लिखा भी है परन्तु उनका उत्तर सीमित ही रहा है। कठिनाई यह है कि उन्होंने समझौते के पैरा में उल्लिखित मदों में से केवल 1—2 मदों ही चर्चा के लिये चुना है।

श्री एस० ए० शमीम : प्रधान मंत्री भुट्टो ने कई बार राजनीतिक संबंध पुन: स्थापित करने की बात कही है परन्तु हमारी प्रधान मंत्री का कहना है कि इन संबंधों से पूर्व सामान्य स्थिति के लिए वार्ता पूरी हो। हमारी प्रधान मंत्री इसे प्रतिष्ठा का विषय क्यों बनाती है जबकि श्री भुट्टो राजनयिक संबंध पुन:स्थापित करना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : प्रश्न प्रतिष्ठा पर अड़े रहने का नहीं है। शिमला समझौते के अनुसार राजनयिक संबंध पुन:स्थापित करने से पूर्व अनेक उपाय करने होंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं समझौते के पैरा 3 में व्यापार संबंधीय, सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान, समुद्री और वायु संचार आदि पुन:स्थापित किये जाने के बारे में अनेक उपायों का उल्लेख है। हमने सदा यही कहा है कि राजनीतिक संबंधों से पूर्व ये उपाय किये जायें क्योंकि यदि ये संबंध स्थापित कर लिये जायें तो यही भ्रांति होगी कि हमारे संबंध सामान्य हो गए हैं जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होगा। तथापि हम राजनयिक संबंध पुन:स्थापित करने के विरुद्ध नहीं हैं। हमारा दृष्टिकोण तो यही है कि इससे पूर्व उक्त पैरा 3 के उपबन्धों का पालन हो जाये।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने कहा है कि शिमला समझौते का पालन हो ही राजनयिक संबंध पुन:स्थापित हो जायेंगे। क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान इस्लामिक सम्मेलन में काश्मीर का प्रश्न उठाना चाहता है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि यह उक्त समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है? स्पष्ट ही है कि एक ओर तो वह राजनयिक संबंध चाहते हैं और दूसरी ओर यह प्रश्न उठाना चाहते हैं। ये परस्पर विरोधी बातें हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह ठीक है कि श्री भुट्टो का वक्तव्य उक्त समझौते के अनुरुप नहीं है। उनका राजनयिक संबंधों पर जोर देना समझौते के अनुसार वरियता-क्रमों के विपरित है। यह बात हमने सभी संबंधित पक्षों को बता दी है। जहां तक हमारा संबंध है, हम इन बातों पर शेष मदों पर समझौते होने पर ही विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : मेरा प्रश्न तो दूसरा था। मैं जानना चाहता था कि पाकिस्तान के कश्मीर का प्रश्न इस्लामिक सम्मेलन में उठाने के प्रयासों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बी० बी० नायक : यह बहुत महत्व का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

श्री बी० वी० नायक : आपकी अनुमति से मैं जानना चाहता हूं कि क्या . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

कनिष्ठ डाक्टरों में असन्तोष

*30. **मौलाना इसहाक सम्भली**† :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्ठ डाक्टरों में असंतोष फिर से बढ़ता जा रहा है ;

(ख) क्या करतार सिंह समिति के प्रतिवेदन की घोषणा कर दी गई थी और इस की सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर दिया गया था परन्तु इससे डाक्टर संतुष्ट नहीं हुए; और

(ग) क्या डाक्टरों का यह असंतोष अन्य राज्यों में भी फैलता जा रहा है ; और यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए किन तात्कालिक उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) मैंने 19 फरवरी, 1974 को इस सदन में जो वक्तव्य दिया था तथा सदन के पटल पर जो विवरण रखा था उसमें यह सूचना दी हुई है ।

Shri Ishaq Sambhali : Sir, this involve, lives of thousands of people. The Ministry is responsib'e for the pre ent state of affairs. We are misled on T.V. and in the press where in it has been claimed that situation is improving . If you go to Safdarjang Hospital you will find that Six of the Sven surgical wards are looked. In view of this I want to know whether the Secretary, Ministry of Health and Family Planning has signed an agreement with doctors and according to that...

Mr. Speaker : Only a couple of minutes remain. Kindly see that the question is covered.

Shri Ishaq Sambhali : According to the Agreement, the House Surgeons and Post Graduate are registered with the Medical Council of India and should therefore be regarded as full-fledged doctors, I want to know whether this was actually signed and if so whether it was implemented? why it was not honoured?

Dr. Karan Singh : Sir, this Agreement appears on page 27 of the note and although they have been recognised as full-fledged doctors, no mention has been made about then being full-fledged Government servants as well. We have carefully gone through it. It only mentions grant of suitab'e running pay-scale, allowance and suitab'e graded scale of emoluments. We are sure that the award fulfils the provisions of the said agreement.

Shri Ishaq Sambhali : I want to know why there is discrimantion between the emolument of C.G.H.S. doctors and House Surgeons, who are generally first divisions when they have been accepted full-fledged doctors?

Dr. Karan Singh : The basic lact is that those who go to G.D.M.O. are selected by U.P.S.C. through an all-India competition and posts are reserved by Scheduled Castes/Tribes. The doctors selected by U.P.S.C. are transferab'e throughout India-Delhi or Andaman and Nicobar Islands. He has military liability also. On the other hand, House Surgeon are not selected through U.P.S.C. but by local selection. They study here and after acquiring more qualifications, they can go in for Government Service. So whereas we agree about betterment of their lot, I would also. submit that it would not be proper to compare then with Government servants because their selection procedure is entirely different.

Shri Ishaq Sambhali: Then qualifications and duties are same. The hon. Minister is personally a through gentleman but he has been misled by his staff resulting in geopardising the lives of thounds of people but the blames goes to you.

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि डिमांस्ट्रेटरों की नियुक्ति क्या अस्पताल प्राधिकारियों और क्या उनकी योग्यता अधिकांशतः हाउस सर्जनों से कहीं कम होती है ? यदि हां, तो उनके वेतन-क्रमों में फर्क क्यों हैं ?

डा० कर्ण सिंह : पहली बात तो यह है कि डिमांस्ट्रेटर जूनियर डाक्टरों से काफ़ी नीचे की पदाली के हैं। यदि सदस्य महोदय मेरे द्वारा सभापटल पर रखे गए नोट का पृष्ठ 16 देखे तो पाएंगे कि डिमांस्ट्रेटरों की स्थिति काफ़ी स्पष्ट कर दी गई है। ये कर्मचारी मुख्यतः अवर-स्नातक शिक्षा और प्रयोगशाला सेवा हेतु रखे गए हैं और उनकी सेवा पूर्णतः भिन्न है। हाउस सर्जन एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखे जाते हैं और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने का यह एक माध्यम मात्र है। यह पूर्णरुपेण सेवा नहीं है—इसे आम तौर पर भुला दिया जाता है। स्नातकोत्तर डिग्री पाने के बाद ही उन्हें पूरी तरह से सेवा में लिया जाता है। अतः हाऊस सर्जन का कार्य पूर्ण रुपेण सेवा नहीं है जैसी कि डिमांस्ट्रेटरों की है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ। कृपया बैठ जाइए। शोर मचाने से निर्णय नहीं होता यदि आप चाहे तो चर्चा की जा सकती है। जिसके लिये समय दिया जा सकता है। कृपया बैठ जाएए।

अब ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रभावी स्वास्थ्य आयोजना के लिये महत्वपूर्ण तथ्यों सम्बन्धी आंकड़े

*22. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रभावी स्वास्थ्य आयोजना के लिये बीमार व्यक्तियों की संख्या, बीमारी का स्वरूप, बीमारों के उपचार के लिये उपलब्ध सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों संबंधी विस्तृत आंकड़े अपेक्षित हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) स्वास्थ्य आयोजना के लिये आंकड़े एकत्र और संकलित करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय स्वास्थ्य सूचनालय को सौंपी गई है। यह सूचनालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक भाग है।

कोयले की मांग में वृद्धि

*23 **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की कीमत में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण कोयले की मांग में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या आवश्यक उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से कोयले की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है । कोयले की मांग में इस वृद्धि का निर्धारण किया जा रहा है । तात्कालिक आधार पर कोयले की गढ़ी हुई मांग को पुरा करने के लिये कोयले के वर्तमान 790 लाख टन उत्पादन स्तर को बढ़ा कर अगले वर्ष 950 लाख टन करने का प्रस्ताव है ।

पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

*25. **श्री एम० के० कृष्णन** :

श्री समर मुखर्जी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर 1973 के अन्त तक रोज़गार दफ्तरों में कितने शिक्षित व्यक्ति पंजीकृत थे;

(ख) दिसम्बर, 1971 के अंत में उनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की गम्भीर समस्या के समाधान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेडडी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1973 के अन्त में शिक्षित नौकरी चाहने वालों की संख्या संबंधी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । विवरण जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है (विवरण–I) ।

(ग) एक विवरण (विवरण-II) सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण I

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त) व्यक्तियों की संख्या :

(लाखों में)

नीचे दी तारीख को	संख्या*
1	2
30 जून, 1971	20.53
31 दिसम्बर, 1971	22.96
30 जून, 1973	35.25

*दिल्ली में स्थित दो केन्द्रों (अर्थात् दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयों) को छोड़कर 52 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े सम्मिलित नहीं है ।

3—98 LSS/73.

विवरण II

सरकार शिक्षितों को अधिकाधिक संख्या में रोज़गार अवसर उपलब्ध कराने के लिये सभी संम्भव प्रयास करती आ रही है । सामान्य विकास कार्यक्रमों द्वारा रोज़गार अवसर सूचित करने के अतिरिक्त, पिछले तीन वर्ष में रोजगार अवसर जूटाने के लिये कई स्कीमें आरम्भ की गई हैं । प्रत्येक जिले में 1,000 व्यक्तियों को वर्षों में 10 माह के लिये रोज़गार प्रदान करने हेतु अप्रैल, 1971 में ग्रामीण रोज़गार की त्वरीत योजना चालू की गई । तदनन्तर 1971-72 में शिक्षित बेरोजागर व्यक्तियों के लिये रोज़गार की व्यवस्था करने हेतु योजनाएं शुरू की गई जिनमें प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, लघु उद्यम-कर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने, आदि की स्कीमें शामिल हैं । 1972-73 में शिक्षित तथा अन्य बेरोज़गार व्यक्तियों को अधिकाधिक संख्या में रोज़गार अवसर प्रदान करने के लिये एक विशिष्ट रोज़गार कार्यक्रम राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में आरम्भ किया गया । 1973-74 में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय से पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम आरम्भ किया गया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई स्कीमों और पूर्ववर्ती वर्षो में चलाई गई स्कीमों में स्व-रोज़गार को बढ़ावा देने, अपने उद्योग-धन्दों के विकास और रोजगार के लिये प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा अधिकाधिक बल दिया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में जूट कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*31. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जूट मिल कर्मचारी 14 जनवरी, 1974 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगे क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिल मालिकों द्वारा कर्मचारियों की मांगे पूरी की जायें, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेडडी) : (क) से (ग) जूट श्रमिकों की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अपनी मांगों के समर्थन में 14 जनवरी से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाने की धमकी दी थी । इन मांगों में अन्य बातों के साथ साथ (1) राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र के समक्ष 7 मई, 1972 को पश्चिम बंगाल ने प्रबंधकों, और जूट श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की कतिपय मद्दों को कार्यान्वित न करने (2) श्रमिकों के कतिपय वर्गों के लिये उजरती दरों, समय दरों और ग्रेडों/स्केलों में, जिनके संबंध में मई, 1972 के समझौते में निर्णय न हो सका, संशोधन (3) 20 प्रतिशत बोनस और (4) जूट उदयोग और कच्चे जूट के व्यापार का राष्ट्रीयकरण आदि से संबंधित विषय शामिल थे ।

कई त्रिपक्षीय विचार-विमर्ण के बाद, आई० जे० एस० ए० आदि और आई० एन० टी० यू० सी०' एन० एफ० आई० टी० यू०, एच० एम० एस० से संबंद्ध जूट श्रम्किों की तीन ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कलकत्ता में राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र के समक्ष 13 जनवरी, 1974 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए । सी० आई० टी० यू०, ए० आई० टी० यू० सी०, यू० टी० यू० सी; आदि के नेतृत्व में शेष छः यूनियनों ने इस सम्झौते पर हस्ताक्षर करने से इस कारण इनकार कर दिया कि वह मांगों की पूर्ति नहीं करता । श्रमिकों के एक भाग ने ,जिसका प्रतिनिधित्व उपर्युक्त यूनियनें कर रही थीं, 14 जनवरी, 1974 से हड़ताल कर दी । राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र के हस्तक्षेप पर इन श्रमिकों ने 15 फरवरी, 1974 से हड़ताल समाप्त कर दी है ।

कोयले के वितरण में राशन-प्रणाली

*32. श्री के० सुब्रावेलू :

श्री बेंकारिया :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार कोयले के वितरण में राशन-प्रणाली लागू करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप-रेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) 1973 के दौरान कोयले का उत्पादन पिछले प्रत्येक वर्ष के उत्पादन से अधिक रहा है। किन्तु हाल ही के कुछ महीनों में रेलवे कर्मचारियों द्वारा पैदा किए गए संकट के कारण विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रों को कोयले की पूर्ति में रुकावट पैदा हुई है । कभी-कभी कुछ उपभोक्ताओं को इस तथ्य के कारण भी कोयले की कमी का सामना करना पड़ा कि बिजली घरों तथा इस्पात कारखानों द्वारा कोयले की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से, जिन्हें वैगनों के आबंटन में उच्च-प्राथमिकता प्राप्त है, देश भर के अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं को, उत्पादन में पूरी तरह वृद्धि के बावजूद कोयले की कमी का सामना करना पड़ा । कोयला उत्पादन संगठनों द्वारा कोयले के उत्पादन में वृद्धि तथा रेलवे द्वारा विभिन्न उद्योगों को कोयले के संचलन में वृद्धि के लिये समन्वित प्रयास किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में सैनिक स्कूल और सेना भर्ती केन्द्र

*33. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सैनिक स्कूलों और सेना भर्ती केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या राज्य की जनता के लिए अधिक अवसर उपलब्ध करने हेतु उनकी संख्या बढ़ाने की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) (1) सैनिक स्कूल—एक
(2) भर्ती केन्द्र —दो

(क) आर (ए) : अन्य सैनिक स्कूल खोलने की कोई मांग नहीं की गई है; परन्तु केरल में दूसरा भर्ती केन्द्र खोलने की मांग है । यह अनुरोध सरकार के विचाराधीन है ।

कोयला खनन के तरीको को सुधारने में सहायता हेतु रूसी विशेषज्ञ

*34. श्री रानेन सेन :

श्री के० लकप्पा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन के तरीको को सुधारने में हमारी सहायता करने के लिए हाल में रूसी विशेषज्ञों ने भारत का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन किन क्षेत्रों का दौरा किया, उनके साथ विचार विमर्श के क्या परिणाम निकले तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) एक रूसी विशेषज्ञ दल ने उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सिंगरोली कोयला क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र का दौरा किया था और भारतीय दल के साथ विचार विमर्श किया था। बात चीत के बाद 27 दिसम्बर, 1973 का एक समझाते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें सिंगरौली कोयला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में झाझरा खण्ड तथा मध्य प्रदश में कारबा कायला क्षेत्र के कुसमुण्डा खण्ड की कोयला खानों के विकास हेतु रूसी सहायता, सोवियत रूस में भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण, तथा खुली खदान तकनीकों के विकास हेतु रूसी सहायता की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, उसमें प्रौद्योगिकी और भारत में कोयला खनन मशीमरी के उत्पादन में रूसी सहायता के जारी रहने की भी व्यवस्था है ।

तेल संकट के बारे में युगोस्लाविया के राष्ट्रपति और श्रीलंका तथा भारत के प्रधान मंत्रियों के बीच शिखर वार्ता

*35. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

तेल संकट और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके विनाशकारी प्रभावों के सम्बन्ध में गुट निरपक्ष दशों का एक सम्मलन आयोजित करने के प्रश्न पर राष्ट्रपति मार्शल टीटो, प्रधान मंत्री श्रीमती भण्डारनायके और प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के वीच हुई त्रिपक्षीय शिखर वार्ता की मुख्य बातें क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रा सुरेन्द्रपाल सिंह) : जनवरी में राष्ट्रपति टीटो और प्रधान मंत्री भण्डार नायक की दिली में एक साथ उपस्थिति से इन नेताओं और हमारी प्रधान मंत्री को बड़े अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर संयुक्त रूप से अनौपचारिक बातचीत करने का सुअवसर मिला। दोनों नेताओं के साथ अलग अलग विस्तृत बातचीत भी हुई। इस बातचीत में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर विचार किया गया जिसमें तेल संकट भी सामिल है। यह महसूस किया गया कि वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा आर्थिक संबन्धों और आपसी आर्थिक सहयोग के संबंन्ध में नए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

पश्चिम बंगाल कों कोयलेकी सप्लाई

*37. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कोल मर्चेन्टस एसोसिएशन (कोयला व्यापारी संघ) द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल में उद्योगों को प्रति मास आठ हजार टन कोयल की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार 1972—73 के दौरान पश्चिम बंगाल में उपभोक्काताओं द्वारा कोयला, कोक तथा उससे उत्पन्न पदार्थों की मांग 153.80 लाख टन आंकी गई थी जबकि उसके लिए 149.10 लाख टन की पूर्ति की गई थी। कोयला व्यापारी संघ (कोल मर्चेन्टस एसोसिएशन) द्वारा लगाया गया तथाकथित अनुमान सही प्रतीत नही होता ।

(ख) कोयले की जरूरत को यथा सम्भव अधिक से अधिक मात्रा में पूरा किया जा रहा है। कोयला उत्पाद इकाइयों द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा रेलवे द्वारा उपभोक्ताओं को अधिकाधिक कोयला पहुंचाने का समन्वित प्रयास किया जा रहा है।

विदेशी मामलों के बारे में भारत और सोवियत संघ के बीच नियमित परामर्श

*38. **श्री सेझियान :**

श्री जी० विश्वनाथन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 में श्री ब्रेझनव के साथ हुई वार्ता में यह स्वीकार किया गया था कि विदेशी मामलों के बारे में भारत और सोवियत संघ के बीच नियमित रूप से परामर्श होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) 29 नवम्बर, 1973 को महासचिव ब्रेझनेव की भारत यात्रा के दौरान जारी की गई संयुक्त भारत सोवियत घोषणा में भारत और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र के बीच हर स्तर पर राजनेताओं की बातचीत और व्यक्तिगत मीटिंगों पर जोर दिया गया था। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ का विदेश मंत्रालय सितम्बर 1968 से नियमित आधार पर परामर्श करते रहे हैं। ये त्रिपक्षीय बातचीत समानहित के विषयों पर विचार विमर्श करने और दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को अधिक मजबुत करने में बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है।

कारों के मूल्यों में वृद्धि

*39. **श्री रण बहादुर सिंह :**

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ भारतीय कारों के मूल्यों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) 1 जनवरी, 1974 से कारखाने से निकलते समय के एम्बासडेर कार के बिक्री मूल्य में 950 रुपये, प्रीमियर प्रेसिडेंट के बिक्री मूल्य में 1301 रुपये और स्टैंडर्ड गजल के बिक्री मूल्य में 1174 रुपये की वृद्धि की गई है।

मरमागाव पत्तन में गोदी श्रमिकों की हड़ताल

*40. **श्री एम० कतामुतु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी श्रमिको की हड़ताल के कारण गत दिसम्बर, में मरमागाव पत्तन पर काम ठप हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या थी और उनका निपटान किस प्रकार किया गया ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेडडी) : (क) एक नाव के डूब जाने के बाद, जिसके फलस्वरूप इसके कप्तान का देहान्त हो गया और दो श्रमिक लापता हो गए, मोर्मुगाओं पत्तन के मोदी श्रमिक 8-12-1973 की तीसरी पाली से हड़ताल पर चले गए।

(ख) हड़ताल के दौरान, श्रमिकों ने मांग की कि लापता श्रमिकों को ढूंढने के प्रयास किये जाने चाहिये, एक डाक्टर समुद्रतट पर 24 घंटों के लिये हमेशा उपलब्ध होना चाहिय, गोदी श्रमिकों के लिये एक नाव हमेशा तयार रखी जानी चाहिये, मृत व्यक्ति के परिवार को देय मुआवजे को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर देना चाहिये और यह कि वे एक अनिवार्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाये जाने चाहिये। यह हड़ताल बिना शर्त के 14 सितम्बर, 1973 की तीसरी पाली से वापस ले ली गई थी।

Knowledge of Indian culture essential for person going abroad

201. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the knowlege of fundamentals of Indian culture or of basic facts about India is essential for persons going abroad for further studies or for specialised studies and for person to be recruited in Foreign Service·

(b) whether there is any prescribed course therefor,

(c) whether the foreigners do not have a true picture of India in their minds due to ignorance of such persons about the Indian culture, and

(d) the concrete steps being taken by Government in this direction?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Foreign Service officers do a special course on Indian culture at the Indian Council of Cultural Relations. More senior officers are sent on Bharat Darshan on their return to India from foreign postings. They are encouraged to read literature, see exhibitions and witness cultural performances etc. As regards students it is our policy to generally send Post-Graduates students for further studies. In Indian schools and universities they undoubtedly absorb all aspects of Indian culture during their educational career.

(b) There are prescribed courses for IFS probationers set by the I.C.C.R.

(c) & (d) Government are not aware of any specific instance of foreigners not having a true picture of India due to such ignorance on the part of such persons. However, orientation courses for Indian scholars going abroad are available.

Mineral ores of adivasi areas of Madhya Pradesh

202. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government propose to reserve the minerals ores of the Adivasi areas of Madhya Pradesh for those factories in which Adivasis of those areas may get employment, and

(b) if not the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) & (b) There is no proposal at present, for such reservation. If any industry based on mineral comes with such a request, it will be considered.

195 युद्ध अपराधियों को बंगला देश को सौंपना

203. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 195 युद्ध अपराधियों को अपने कब्जे में लेने और उन पर मुकदमा चलाने के लिये सरकार ने उन्हें बंगलादेश को सौंपने की वांछनीयता पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन युद्ध अपराधियों को कब तक सौंपा दिया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जैसा कि आपको याद होगा 29 अगस्त, 1973 के दिल्ली समझौता में अन्य बातों के अलावा इस बात की व्यवस्था थी कि प्रत्यावर्तन की अवधि के दौरान 195 युद्धबंदियों पर मुकदमा नही चलाया जायेगा और धारा (VII) के समझौता होने तक ये युद्धबंदी भारत में ही रहेंगे [धारा 3 (VI)] । धारा (VII) के सम्बंध अंश इस प्रकार है "भारत में पास्कितानी युद्धबंदियों और असैनिक नज़रबंदों, पाकिस्तान से बंगालियों और बंगलादेश से पाकिस्तानियों का प्रत्यावर्तन हो जाने पर जैसा कि उपरोक्त धारा (V) में बताया गया है, यह इससे पहले भी यदि वे सहमत हो तो, बंगला देश, भारत और पाकिस्तान बातचीत करके 195 युद्धबंदियों का प्रश्न हल कर लेंगे । बंगलादेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस प्रकार की बैठकों में केवल समान प्रभुसत्ता के आधारपर ही भाग ले सकता है।" चूंकि तिहरा प्रत्यावर्तन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और धारा (VII) के अनुसार तीनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है इसलिये, 195 युद्धबंदियों को हिरासत में रखने और मुकदमा चलाने के लिये, बंगला देश को भेजे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

Persons of Indian Orign in U. K.

204. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to collect information through the Indian High Commission in U. K. about the number of persons of Indian origin in that country, and

(b) if so, the decision taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir.

(b) does not arise.

Number of Indian Doctors in G. D. R.

205. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government propose to ascertain the present number of Indian doctors in G.D.R. through the Indian Embassys there,

(b) whether any proposal is under consideration of Government to repatriate the Indian doctors working abroad and to provide them with employment here, and

(c) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

Return of Indian Engineers from Yugoslavia

206. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to ascertain the present number of Indian engineers in Yugoslavia through Indian Embassy there,

(b) whether Government have under consideration a proposal to repatriate them and to provide them employment here, and

(c) if so, the gist thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) We have ascertained from our Embassy in Belgrade that there is only one Indian Engineer working in Yugoslavia.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

केरल में बौक्साइट निक्षेप

207. **श्री वयालार रवि** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा कराई गई खोज के आधार पर केरल में उपलब्ध बौक्साइट की किस्म और मात्रा के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उस राज्य के बौक्साइट निक्षेप का प्रयोग वहां पर अन्य अल्यूमीनियम संयंत्र को आरम्भ करने के लिये किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय भूविज्ञान संर्वेक्षण द्वारा केरल में अब तक की गई प्रारम्भिक खोजों के आधार पर कन्नानौर जिले में 40% से अधिक अल्यूमिना वाक्साइट के 73.70 लाख टन भंडार तथा क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जिलों में 40 प्रतिशत से अधिक अल्यूमिना वाले बाक्साइट के 31.40 लाख टन भंडार होने का पता चला है ।

(ख) और (ग) एल्युमीना के निर्माण तथा अल्यूमिनियम धातु निकालने से पूर्व बौक्साइट को परिष्कृत करना पड़ता है । वाणिज्य साध्यता संबंधी पहलुओं पर भारतीय खान ब्यूरो तथा राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला में अतिरिक्त परिष्करण परीक्षण करने का प्रस्ताव है । केरल में एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पांचवी योजना में नये भारी उद्योगों की स्थापना

208. **श्री वयालार रवि** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नये भारी उद्योगों की स्थापना तथा वर्तमान भारी उद्योगों का विस्तार करने संबंधी पांचवी योजना के प्रस्ताव की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या सरकार इस बात को जानती है कि गत चार योजनाओं की अवधि के दौरान केरल जैसे राज्यों में, जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र में पूंजी निवेश बहुत कम हुआ है जिसके फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संशोधनों का उपयोग नहीं किया जा सका ; और

(ग) यदि हां, तो पांचवी योजना के दौरान केरल जैसे पिछड़े राज्यों में इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिये सरकार का कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारी उद्योग मंत्रालय के लिए पांचवी योजना का प्रस्ताव कुल 426 करोड़ रुपये का है । इसमें से 90 करोड़ रुपये स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई परियोजनाओं के लिये है । स्थापित किये जाने वाला प्रस्तावित एक मात्र पूर्णरूप से नया

संयंत्र मुख्य रूप से रोलिंग मिल उपकरण बनाने के लिये भारी मशीने निर्माण करने की सुविधा (हेवी मशीनरी बिल्डिंग फेसिलिटी) है। बाकी व्यय विद्यमान भारी औद्योगिक संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये है।

(ख) तथा (ग) भारी उद्योग क्षेत्र में निर्माण कार्यों में प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं होता है और इस प्रकार यह पहलू भारी इंजीनियरी एककों की स्थापना के लिये विशेषरूप से सुसंगत नहीं है।

भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्ज लिमिटेड द्वारा आक्सीजन बनाने वाली मशीनरी का निर्माण करना

209. **श्री वयालार रवि** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्ज लिमिटेड को विशेष रूप से इस स्थिति में लाया जा रहा है कि वहां पर देश की आक्सीजन बनाने वाली मशीनरी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है, इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और आक्सीजन निर्माण करने वाली मशीनरी का स्वदेशी संसाधनों से उत्पादन कब तक हो सकेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत हेवी प्लेट एण्ड वसल्स लिमिटेड ने भारत में आक्सीजन संयंत्र के निर्माण के लिये फ्रांस के मैं० एयर लिक्विड के साथ एक तकनीकी सहयोग करार किया है।

भारत हेवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड इस समय बोकारो स्टील लिमिटेड से प्राप्त एक टनेज आक्सीजन प्लांट के लिये एक आर्डर का निष्पादन कर रहा है। इसके अतिरिक्त वे छोटे आकार के आक्सीजन संयंत्रों का उत्पादन कर रहे हैं। भारत हेवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड ने जुलाई, 1974 से मार्च 1976 के बीच लगभग 30 छोटे आक्सीजन संयंत्रों के निर्माण की योजना बनाई हैं।

बोकारो स्टील लिमिटेड का दिल्ली स्थित सम्पर्क कार्यालय

210. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित बोकारो स्टील लिमिटेड के संपर्क कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की, श्रेणीवार संख्या क्या है और उनके वेतनमान क्या है तथा प्रत्येक कर्मचारी दिल्ली में कितनी अवधि तक रखा जाता है ;

(ख) कार्यालय तथा प्रभारी के कृत्य क्या-क्या हैं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों का कार्य-काल सामान्यतया कितनी अवधि का है और कुछ कर्मचारियों के बारे में इस प्रकार की छूट देने के कारण तथा औचित्य क्या हैं, और

(ग) क्या 2500 रुपये प्रतिमास के वेतनमान एक उच्च अधिकारी दिल्ली में उन कार्यों के लिये बहुत लम्बे अवधि से बना हुआ है जिसे एक कनिष्ठ अधिकारी कर सकता है और यदि हां, तो भारत सरकार के प्रशासनिक व्यय में किफायत के निदेश के संदर्भ में इसके क्या कारण हैं और इसके लिये प्रस्तावित उपचारात्मक कार्यवाही क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (**श्री सुबोध हंसदा**) : (क) बोकारो **स्टील** लिमिटेड के दिल्ली स्थित सम्पर्क कार्यालय में कर्मचारियों के बारे में अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	पदनाम	वेतनमान	काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या		जितने समय से दिल्ली कार्यालय में काम कर रहे हैं
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		रुपये			
1	स्थानिक प्रतिनिधि .	1750—2150	1		4-3-1964 से
2	सहायक समन्वय अधिकारी	550—1100	1		22-2-1973 से
3	रूसी भाषा का दुभाषिया	450—775	1		3-5-1968 से
4	सचिवीय सहायक	480—845	1		22-8-1964 से
5	सहायक द्वितीय ग्रेड	400—740	1		31-7-1971 से (प्रतिनियुक्ति पर)
6	सहायक तृतीय ग्रेड	340—589	1		18-5-1971 से
7	टेलक्स चालक .	240—460	3	(1)	12-3-1973 से
				(2)	27-3-1973 से
				(3)	7-8-1973 से
8	सन्देश वाहक .	200—221	2	(1)	4-2-1965 से
				(2)	29-4-1969 से
9	सवार हरकारा (डिसपेच बाईडर)	230—284	1		12-12-1966 से
10	ड्राइवर . .	255—327	1		31-3-1964 से

(ख) सम्पर्क कार्यालय तथा इसके कार्यभारी अधिकारी कायम दिल्ली में भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/कार्यालयों तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में कारखाने से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को शीघ्रता से करवाना, उपस्करों और सामग्री के आयात के लिए विदेशी मुद्रा और आयात लाइसेंस प्राप्त करना, कारखाने के निर्माण और परिचालन में तकनीकी सहायता देने के लिए बोकारो इस्पात कारखाने में प्रतिनियुक्ति पर आये हुये रुसी विशेषज्ञों की हवाई/रेल यात्रा, होटल में ठहरने परिवहन आदि का प्रबन्ध करना है। स्थानिक प्रतिनिधि सम्पर्क कार्यालय के काम की निगरानी करने के अलावा भीलवाड़ा (राजस्थान) में उष्मसह कारखाने का काम भी देखता है। यह कारखाना बोकारो इस्पात कारखाने को माइका इन्सूलेशन ब्रिक्स का मुख्य सम्भारक है। कंपनी के दिल्ली कार्यालय में सभी कर्मचारियों को अधिवार्षिकी वय प्राप्त करने तक करार पर रखा गया है और उनका दिल्ली में रहने का कार्यालय निश्चित नहीं है।

(ग) स्थानिक प्रतिनिधि का वेतनमान उनके काम और उत्तरदायित्व के अनुरूप है।

Exploration of Minerals from sea Bed.

211. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether many countries have succeeded in exploring minerals from the sea bed,

(b) if so, the efforts made by this country in this direction; and

(c) the countries which are helping or proposed to help in this repsect, indicating the nature thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Yes, Sir.

(b) The Marine Geology Unit of Geological Survey of India set up in 1965 in carrying out exploration work in off shore areas in Indian ocean. As a result of the Survey about 288 million tonnes of calcareouls and deposits upto one metre depth has been estimated in the lagoons of the Laccadive Islands.

(c) So far, the question of seeking assistance from other countries has not arisen.

रेल के माल डिब्बे बनाने वाले गैर-सरकारी एककों का सरकारीकरण

212. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल के माल डिब्बे बनाने वाले सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार रेल के माल डिब्बे बनाने वाले गैर-सरकारी एककों को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय देश में माल गाड़ी के डिब्बों का निर्माण करने वाले 16 (सोलह) उपक्रम हैं, जिनमें से दो सरकारी कम्पनियां हैं, पांच कम्पनियां केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध के अधीन है एक कम्पनी राज्य सरकार के प्रबन्ध के अधीन है और बाकी आठ कम्पनियां गैर-सरकारी क्षेत्र की हैं। इन सोलह एककों में से 5 (पांच) एकक इस समय बन्द पड़े हैं। इसके अलावा रेल मंत्रालय के अधीन तीन कार्यशालाएं ह जो देश में मालगाड़ी के डिब्बे का निर्माण कर रही हैं।

(ख) तथा (ग) सरकार ने माल गाड़ी के डिब्बे बनाने वाले कुछ एककों का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया है और यदि आवश्यक हुआ तो निकट भविष्य में कुछ और एककों को अधिकार में ले लेगी ।

दिल्ली राज्य औषध नियंत्रक के विरुद्ध भारतीय उपभोक्ता समिति के प्रतिवेदन में नकली दवाइयों के बारे में आरोप

213. श्री नरेन्द्रकुमार सांघी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित मिलावट संबंधी उच्च शक्तिप्राप्त समिति को यह बताया है कि दिल्ली राज्य औषध नियंत्रक विभाग ने दिल्ली में नकली दवाइयों के निर्माण और उनकी लाइसेंस प्राप्त पान की दुकानों के माध्यम से बिक्री के बारे में साठ-गांठ कर रखी है ;

(ख) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद् के प्रतिवेदन के अनुसार दिल्ली औषध नियंत्रण विभाग ने नकली दवाइयों के अन्तर्राज्यीय व्यापार में सहायता की है ; और

(ग) क्या दिल्ली में ऐसी नकली दवाइयों की बिक्री बढ़ी है और यदि हां तो क्या सरकार ने भारतीय उपभोक्ता परिषद् द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए दिए गए सुझावों पर कोई निर्णय किया है और यदि हां तो स्थिति सुधारने के लिए अब क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) और (ख) उच्च स्तर पर विचार विमर्श के फलस्वरूप खाद्य पदार्थों और औषधियों से मिलावट की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में दिल्ली के विशेष सन्दर्भ में एक अनौपचारिक समिति (इन्फार्मल ग्रुप) का गठन किया गया । 17 दिसम्बर 1973 को हुई इस समिति की बैठक में नागरिक परिषद् भारतीय उपभोक्ता परिषद् और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया । इस प्रश्न में जिस उच्च शक्ति प्राप्त समिति का उल्लेख किया गया है, सम्भवत: इसका आशय उक्त समिति (ग्रुप) से ही है । दिल्ली औषधी नियंत्रण विभाग तथा नकली औषधि निर्माताओं के बीच किसी प्रकार की सांठ-गांठ और लाइसेन्स प्राप्त पान की दुकानों के जरिये या अन्तर्राज्यीय व्यापार के माध्यम से नकली दवाइयों की बिक्री की बात उक्त समिति (इन्कार्मल ग्रुप) के ध्यान में नहीं आई है। कुछेक समाचार पत्रों में इस आशय के जो समाचार छपे थे, 21 दिसम्बर 1973 के प्रेस नोट में सरकारी तौर पर उनका खण्डन कर दिया गया ।

(ग) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि दिल्ली में नकली दवाइयों की बिक्री में वृद्धि हुई है । भारतीय उपभोक्ता परिषद् ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो सुझाव दिये हैं उनमें से अधिकांश को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है और शेष सुझावों पर विचार किया जा रहा है । अनौपचारिक समिति के निर्णयों के अनुसार नकली दवाइयों के बारे में मिली शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक "कण्ट्रोल रूम" पहले ही खोल दिया गया है ।

दिल्ली संघ क्षेत्र में नकली दवाइयों की रोकथाम के बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में नकली दवाइयों की रोकथाम करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही

दिल्ली प्रशासन के औषधि नियंत्रण कर्मचारियों तथा केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन की संयुक्त टास्क-फोर्स बनाई गई इस सम्बन्ध में मोटेतौर पर जो कार्यनीति अपनाई गई वह इस प्रकार है :

1. दिल्ली स्थित उन दवा बनाने वाले एककों को छोड़ कर जिनका बिना किसी व्यवधान के बराबर निरीक्षण किया जाता है इस विभाग के शेष सभी ने भी निरिक्षण कार्य से रोक दिये गये ताकि शेष सभी उपलब्ध कर्मचारियों को दिल्ली में नकली दवाइयों की रोकथाम पर लगाया जा सके ।
2. खास खास क्षेत्रों ठिकानों पर जोरदार छापे मारने को तरजीह देते हुए एक निरीक्षक द्वारा सभी लाइसेन्सशुदा निर्माणशालाओं का निरिक्षण करने की पूर्व प्रथा को बन्द कर दिया गया ।
3. माननीय मंत्री के अपील के परिणामस्वरूप लोगों में एक जाग्रति आई और इससे विभिन्न स्रोतों से सूचना और संकेत मिलने लगे ।
4. पुलिस विभाग के सौजन्य से उस विभाग के एक विशेष अधिकारी को औषधि नियंत्रण विभाग के साथ मिलकर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई ।

5. दिल्ली के औषधि निर्माताओं के साथ बैठकें आयोजित की गई ताकि इस सम्बन्ध में उनका अधिकाधिक सहयोग मिल सके ।

6. दिल्ली से बाहर की बड़ी बड़ी दवा निर्माता फर्मों के ब्रान्च मैनेजरों के साथ जिनके कार्यालय/डिपो दिल्ली में हैं, पृथक पृथक बैठकें आयोजित की गई ।

7. जितने थोड़े से कर्मचारी उपलब्ध थे, उनकी सहायता से अप्रशिक्षित चिकित्सकों खासकर यमुना पार क्षेत्र के डाक्टरों के औषधालयों का निरीक्षण करने के लिए भी प्रयत्न किए गए ।

Permission for Pilgrims visiting Mansarovar

214. Shri Jagdish Narain Mandal: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any permit or any passport is required to be taken from China by pilgrims visiting Mansarovar;

(b) if so, the arrangements made with China in this regard; and

(c) whether Mansarovar is a place of pilgrimage belonging to India or China?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) Under the 1954 Agreement between India and China, pilgrims from India could visit Mansarovar in the Tibet Region of China on obtaining a permit from Chinese authorities at the border checkpost. With the expiry of the Agreement in 1962 no such arramgement exists any more.

Manufacture of Radar by Bharat Electronic Limited, Ghaziabad

215. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Bharat Electronics, Ltd. has started manufacturing the best quality of radars in the world at Ghaziabad, and

(b) if so, the total amount of expenditure incurred on the completion of this scheme and its impact on unemployment?

The Minister of State (Defence production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Ghaziabad Factory of Bharat Electronics Limited is manufacturing radar and micro-wave equipment which is not only very sophisticated but also of latest design.

(b) The project has been approved by Government at an estimated capital cost of Rs. 11·5 crores. The factory is expected to provide direct employment to about 4,000 persons when it reaches full production. It is also expected to provide indirect employment to a large number of persons for the manufacture and supply of items, not produced within the factory but obtained from ancillary units and other outside sources.

भारत और पाकिस्तान के बीच शिखर वार्ता

216. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच शीघ्र ही शिखर वार्ता होने की कम सम्भावना है ; यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं;

(ख) क्या हथियारों को जमा करने और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को ध्यान में रखते हुए अनिर्णीत मामलों का समाधान करने में पाकिस्तान काफी रुचि नहीं दिखा रहा है ;

(ग) क्या एक कारण यह भी है कि भारत ने इस बीच लगभग सभी पाकिस्तानी युद्धबंदियों को वापस भेज दिया है; और यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान को भेजे गए नवीनतम पत्र का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) पाकिस्तान के साथ दूसरी शिखर वार्ता करने के प्रश्न से सम्बन्धित सरकार की स्थिति का स्पष्टीकरण कई बार किया जा चुका है। स्थिति यह है कि शिखर से पहले वांछनीय स्थिति तथा रचनात्मक वातावरण बनाना जरूरी है जिससे कि उसके लाभदायी परिणाम निकल सकें।

(ख) शिमला समझोते में उल्लिखित सामान्यीकरण के उपायों के क्रियान्वयन में पाकिस्तान द्वारा विलम्ब तथा सैनिक शस्त्रास्त्रों का मुहैया करना स्पष्ट ही नकारात्मक तत्व है।

(ग) कुल 90,000 व्यक्तियों में 17 फरवरी 1974 तक भारत ने 68,117 पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों तथा असैनिक नजरबन्दों का प्रत्यावर्तन किया है। यह कहना कठिन है कि युद्ध-बंदियों के प्रत्यावर्तन तथा सामान्यीकरण के उपायो में विलम्ब के बीच कोई सम्बन्ध है ।

(घ) शिमला समझोते के पैरा 3 में उल्लिखित सामान्यीकरण के उपायों के क्रियान्वयन के लिए विचार-विमर्श शुरू करने की आवश्यकता का सुझाव देते हुए पाकिस्तान को 31 दिसम्बर 1973 तथा फिर 25 जनवरी 1974 को दो बार लिखा गया है।

नई दिल्ली में भारत, श्रीलंका और युगोस्लाविया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता

217. **श्री पी० ए० सामिनाथन** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका की प्रधान मंत्री, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति और भारत की प्रधान मंत्री की जनवरी, 1974 में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) तीनों देशों के बीच किन विषयों पर समझोता हुआ ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) तीनों नेताओं के बीच को औपचारिक बैठक तो नहीं हुई लेकिन दिल्ली में उनकी उपस्थिति से समान हित के कई मामलों पर अनौपचारिक रूप से कार्य करने का अवसर मिला।

मक्खन और पनीर में मिलावट

218. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलावटी मक्खन और पनीर के पैकटों पर मशहूर ब्राण्डों के लेबल लगा दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हैं तो इस बुराई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य श्रम मंत्रियों का 24 वां सम्मेलन

219. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **श्रम** मंत्री राज्य श्रम मंत्रियों के 24 वें सम्मेलन के बारे में 13 दिसम्बर 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 481 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की बैठकें गत दिसम्बर में भी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और सभी बैठकों में चर्चित प्रत्येक विषय पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां । सम्मेलन की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 16 और 17 दिसम्बर, 1973 को हुई थी ।

(ख) इस बैठक में सम्मेलन ने मुख्यत: निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया जो कि उसकी पहली बैठक में स्थगित कर दिए गए थे :—

(1) कर्मचारियों की भर्ती के मामले में राज्य सरकारों द्वारा रोजगार सेवा का अधिकतम उपयोग;

(2) कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार-भावी योजना सम्बन्धी समिति की सिफारिशें; और

(3) कर्मकार प्रतिकार अधिनियम को कृषि श्रमिकों पर भी लागू करना ।

सम्मेलन में देश की सामान्य श्रम स्थिति पर भी विचार विमर्श किया ।

एक विवरण संलग्न है जिसमें सम्मेलन की इन दो बैठकों के मुख्य निष्कर्ष दर्शाए गए हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6158/74]**

मिलावट की समस्या के बारे में भारतीय उपभोक्ता परिषद द्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट

220. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम:
श्री बी० एन० रड्डी

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय उपभोक्ता परिषद् द्वारा मिलावट के बारे में किए गए सर्वेक्षण की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी. हां ।

(ख) भारतीय उपभोक्ता परिषद् की सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं —

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में घटिया स्कीम के खाद्य पदार्थों की सुस्पष्ट परिभाषा दी जानी चाहिए ।

(2) उपभोक्ता की क्वालिटी की जानकारी दी जानी चाहिए ।

(3) राज्यों में इस अधिनियम को समान तथा कारगर ढंग से लागू किया जाना चाहिए ।

(4) सभी खाद्य पदार्थों की अनिवार्य रूप से टीन के बन्द डिब्बों तथा पैकेटों में ही बेचा जाए ।

(5) नमूने की तीन भागों के बजाय चार भागों में बाटा जाएं ।

(6) वास्तविक खाद्य पदार्थों के ऐवजी कृत्रिम पदार्थों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाए।

(7) भारतीय उपभोक्ता परिषद् के एक प्रतिनिधि को विशेषज्ञों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति में शामिल किया जाय ।

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) घटिया किस्म तथा मिलावटी पदार्थों की क्या पहचान है, इस विषय में एक संशोधन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(2) राज्य सरकारें प्रचार के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की गुण किस्म की जानकारी देने के लिए कार्यवाही कर रही है ।

(3) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को कारागर ढंग से कार्यान्वित करें ।

(4) खाद्य पदार्थों की अनिवार्य रूप से बन्द डिब्बों तथा पैकेटों में बेचने के प्रश्न पर विचार किया गया किन्तु इसे व्यवहार्य न पाया जा सका ।

(5) किसी नमूने को तीन के बजाय चार भागों में विभक्त करने सम्बन्धी आवश्यक संशोधन पर सरकार विचार कर रही है ।

(6) वास्तविक खाद्य पदार्थों के ऐवजी कृत्रिम पदार्थ पहले ही खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं ।

(7) भारतीय उपभोक्ता परिषद् स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन उपमंत्री की अध्यक्षता के अधीन गठित की गई समिति का एक सदस्य है । यह परिषद इस अधिनियम तथा खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति की नियमावली उप समिति की भी सदस्य है ।

जाफूना (श्रीलंका) में अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन

221. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री नारायण चन्द पाराशर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जाफूना (श्रीलंका) में अन्तर्राष्ट्रीय तमील सम्मेलन हुआ था ;

(ख) भारत से शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सम्मेलन में पुलिस द्वारा गोली चलाने से दस व्यक्ति मारे गए थे ; और

(घ) क्या गोली चलाने की घटना के बारे में श्रीलंका सरकार द्वारा किसी जांच कराने के आदेश दिए गए हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। जाफूना में 3 से 9 जनवरी, 1974 तक एक अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन हुआ था ।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार भारत से निम्नलिखित शिष्टमण्डल ने जाफूना में हुए अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन में भाग लिया :

(1) डा० वी० आर० बालसुब्रमण्यन

(2) ऐरा० गणेशन

(3) रेव० प्रो० राजा मानिकम

(4) डा० महालिंगम साला

(5) श्रीमती महालिंगम साला

(6) प्रो० नैना मोहमद

(7) श्री पुलावर रासु

(8) डा० आर० के० सेठ

(9) प्रो० षण्मुखम पिल्लई

(10) श्री षण्मुखम

(11) श्रीमती कौमुदी षण्मुखम

(12) प्रो० श्रीमती वासुकी, मिरांडा हाउस, दिल्ली ।

(ग) और (घ) हम समझते हैं कि सम्मेलन के दौरान कोई घटना नहीं घटी। लेकिन 9 जनवरी को सम्मेलन समाप्त होने के बाद 10 जनवरी को एक सार्वजनिक सभा हुई। लेकिन कोई दुर्घटना न होने पर इसके लिए जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी उसी बीच सभा में उपस्थिति भीड़ कुछ अधीर हो उठी और एक हाई-टेन्शन केबल टूट गया। इस की वजह से तथा वहां हुई भगदड़ के कारण 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 20 व्यक्ति घायल हो गये। श्रीलंका सरकार ने उक्त 7 व्यक्तियों की मृत्यु की न्यायिक जांच के आदेश दे दिये हैं। अभी जांच पूरी नहीं हुई है।

ट्रैक्टरों की मांग

222. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ट्रैक्टरों की वर्तमान मांग का अनुमान लगाया है ;

(ख) वर्ष 1973 के दौरान ट्रैक्टरों के लिए कुल निर्धारित क्षमता क्या थीं; और

(ग) निकट भविष्य में मांग कहां तक पूरी होने की संभावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) संबद्ध आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार ट्रैक्टरों की वर्तमान वार्षिक मांग 38,000 से 40,000 तक होने का अनुमान है।

(ख) 35,000 टैक्टर।

(ग) आगामी कुछ वर्षों में संभावित मांग देशी उत्पादन द्वारा ही पूरी हो जायेगी।

महाजन समिति द्वारा राष्ट्रीय छात्र सेना दल (एन० सी० सी०) संबंधी प्रतिवेदन

223. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सेना दल के कार्यकरण का मूल्यांकन करने हेतु दिसम्बर 1972 में गठित की गई महाजन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) समिति द्वारा दी गई सिफारिशें संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है :—

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय खेल संगठना के अतिरिक्त राष्ट्रीय छात्र सेना (एन० सी० सी०) एक अलग संगठन के रूप में जारी रहनी चाहिए।

(2) कैडेटों की भर्ती स्वैच्छिक और चयन के आधार पर होनी चाहिए। सीनियर डिवीजन की संख्या शक्ति वर्तमान 6 लाख से घटा कर 4 लाख कर दी जानी चाहिए जिससे इस डिवीजन में अच्छा चयन किया जा सके और उसे अधिक अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके लेकीन बालिका डिवीजन की संख्या शक्ति कुछ बढा दी जाए और ज्युनियर डिवीजन की वर्तमान संख्या शक्ति बनाये रखी जाए।

(3) संस्थानों के अध्यक्ष (प्रिंसिपल और हेड मास्टरों) के एन० सी० सी० के क्रिया-कलाप से अपने को अधिक सम्बन्धित करना चाहिए। एन० सी० सी० के किसी कार्यकलाप में हाजिरी को शैक्षिक हाजिरी के समान गिना जाना चाहिए।

(4) एन० सी० सी० के पूर्णकालिक कमीशंड अफसरों का धीरे धीरे विघटन कर दिया जाना चाहिए। एन० सी० सी० में केवल चुने हुए नियमित सैनिक अफसरों को ही तनात किया जाना चाहिए। कम से कम 3 वर्ष की सेवा वाले उपयुक्त प्राध्यापकों को अंश कालिक कमीशन देने के लिए चुना जाना चाहिए और कमीशन दिये जाने के पूर्व उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसे अधिकारी 15 वर्ष की सेवा करने पर अथवा 45 वर्ष की आयु में इसमें जो भी पहले हो सेवानिवृत्त हो जाने चाहिए।

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक गहन और यथार्थवादी हो। यह प्रायः दो वर्ष का होना चाहिए।

(6) बढती हुई कीमतों को देखते हुए कैम्प भत्ते को बढाया जाए जिससे कैडेटों को पर्याप्त और पुष्टिकर आहार दिया जा सके।

(7) शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा सप्ताह में पांच दिन तक सीमित रखी जा सकती है। सप्ताह के छटे दिन का एन० सी० सी० प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उस दिन को "फील्ड दिवस" कहा जाए। यह "फील्ड दिवस" एक घन्टे के देशभक्ति पूर्ण प्रशिक्षण से शुरु किया जा सकता है जिसके बाद एन० सी०सी० राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय खेल संगठन के लिए अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाए।

(8) रिपोर्ट की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जा रही है ।

बेरोजगारों में वृद्धि

224. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के रोजगार केन्द्रों के चालू रजिस्टरों में बेरोजगारों की संख्या अगस्त, 1973 में उससे पहले माह की संख्या 7,88,600 की तुलना में बढकर 8,79,000 हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो बढती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नोकरी चाहने वालों की संख्या अगस्त, 1973 में 80,79,063 थी जबकि उससे पिछले माह यह संख्या 78,86,186 थी।

(ख) सरकार बेरोजगारों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए सभी सम्भव प्रयास करती आ रही है। सामान्य विकास कार्यक्रमों द्वारा रोजगार अवसर सृजित करने के अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों में रोजगार अवसर जुटाने के लिए कई विशेष स्कीमें आरम्भ की गई है। प्रत्येक जिले में 1,000 व्यक्तियों को वर्ष में 10 माह के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु अप्रैल 1971 में ग्रामीण रोजगार की एक त्वरित योजना चालू की गई। तदनन्तर 1971–72 में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने हेतु योजनाएं शुरु की गई जिनमें प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, लघु उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने आदि की स्कीमें शामिल है। 1972–73 में शिक्षित तथा अन्य बेरोजगारी व्यक्तियों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए एक और विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किया गया। 1973–74 में 100 करोड रुपये के परिव्यय से पांच लाख रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरु की गई स्कीमों और पूर्ववर्ती वर्षों से चलाई गई स्कीमों में स्व-रोजगार को बढावा देने, अपने उद्योग धन्धों के विकास और रोजगार के लिए प्रशिक्षण आदि पर एक साथ अधिकाधिक बल दिया जा रहा है।

कर्मचारी भविष्यनिधि में नियोक्ताओं द्वारा अंशदान देने की पात्रता

225. श्री ई० बी० विखे पाटिल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी को भविष्य निधि मे नियोक्ता का पूरा योगदान 15 वर्ष की सेवा के उपरान्त मिलता है जबकि इससे युक्त कुछ प्रतिष्ठानों में यह 9 वर्ष के पश्चात मिल जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्यों को अन्य कर्मचारियों के समक्षक लाने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाला कर्मचारी नियोजक के हिस्से के अंशदानों का पूरा भुगतान प्राप्त करता है, भले ही योजना के पैराग्राफ 69 (1) में विनिर्दिष्ट मामलों में जिनमें 55 साल की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा निवृत्ति स्थायी और पूर्ण अशक्तता, विदेश में स्थायी रूप से बसने के लिए प्रवास और छंटनी के मामले शामिल है, सदस्यता की अवधि कुछ भी हो। योजना के पैराग्राफ 69(2) के अन्तर्गत आने वाले शेष प्रकार के मामलों में जिनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत छटनी प्रतिकार के भुगतान के बिना सेवा मुक्ति के मामले शामिल है, नियोजक के हिस्से का पूरा भुगतान किया जाता है, यदि सदस्य ने निधि की सदस्यता के 15 वर्ष पूरे कर लिए हों। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में उक्त अवधि भिन्न भिन्न प्रतिष्ठानों में भिन्न होती है।

(ख) जी नहीं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सुरक्षित तथा जब्त खाता

226. श्री ई० बी० विखे पाटिल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सुरक्षित तथा जब्त खाते में कुल कितना धन है; और

(ख) इस निधि के पुंजी निवेश का स्वरूप क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) 30–9–1973 को 867.13 लाख रुपये।

(ख) यह एक कच्चा खाता है और भविष्य "निधि खातें" का अंग है जिनका धन समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निवेश के पेटर्न के अनुसार प्रतिभूतियों में लगाया जाता है। सुरक्षित और जब्त खाते में जमा कराई गई राशियों के लिए कोई पृथक निवेश नहीं है।

स्कूटर्स इंडिया लि० लखनऊ द्वारा लम्ब्रटा स्कूटरों का निर्माण

227. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर्स इंडिया लि० लखनऊ में बने लम्ब्रेटा स्कूटर कब तक बाजार में आ जायेंगे; और

(ख) सडक पर आने तक प्रत्येक स्कूटर का बिक्री मूल्य कितना होगा?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अक्तूबर, 1974।

(ख) स्कूटर के कारखाने से निकलते समय का खुदरा बिक्री मूल्य वास्तविक उत्पादन लागत के आधार पर निकाला जायेगा, जिसका पता जुलाई, 1974 तक चल सकेगा।

हिन्दूजाति की जन्म दर में कमी

228. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य जातियों की तुलना में हिन्दू जाति की जन्म दर में काफी कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दू तथा अन्य जातियों की जन्म दर क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और (ख) अलग अलग जातियों की जन्म दर का पता लगाने के लिए देश में अभी तक कोई व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं किया गया है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि अन्य जातियों की अपेक्षा हिन्दू जाति की जन्म दर में तेजी से कमी हो रही है।

पाकिस्तान में चीनी सहयोग के साथ धरती से आकाश को मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण

229. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने पाकिस्तान को भूमि से आकाश तक मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सरकार ने इस संबंध में समाचार देखें हैं लेकिन उनकी पुष्टि करने के लिए कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। हमारी सुरक्षा योजनाओं का पुनरीक्षण किए जाते समय पाकिस्तान में होने वाली सभी गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है।

टाइम्स आफ इंडिया उद्योग समूह में छंटनी

230. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हाल ही में टाइम्स आफ इंडिया उद्योग समूह में 450 कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें कोई वैकल्पिक कार्य देने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

कोयला खानों में मजूरी बिलों में वृद्धि

231. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री एम० एन० मिश्र :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खानों में अधिकारियों के वेतन बिलों को छोड कर 31 दिसम्बर, 1971, 31 दिसम्बर, 1972 और 31 दिसम्बर 1973 की मजूरी बिलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण हुई मौतें

232. **श्री एम० सुदर्शनम् :**

श्री एस० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ज्यूनियर डाक्टर हडताल पर है;

(ख) यदि हां, तो आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण कितनी मौत हुई है; और

(ग) क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को सरकार द्वारा कोई मुआवजा दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) दिल्ली के अस्पतालों के इटर्नो, हाउस सर्जनों, स्नातकोत्तर छात्रों तथा रजिस्टारों 31-12-73 की अर्ध-रात्रि से हडताल कर दी है।

(ख) आपातकालीन सेवायें बिना किसी रुकावट के संतोष जनक रूप से चल रही है तथा इनके अभाव के कारण कोई मौत नहीं हुई है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गणतन्त्र दिवस परेड और समापन समारोह के लिये टिकटों की बिक्री

233. श्री एम० सुदर्शनम :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड और समापन समारोह को देखने के लिये लोगों को टिकट बेचे गये थे ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निर्णय लेने के क्या कारण है, और

(ग) विभिन्न श्रेणियों में कितने-कितने टिकट बेचे गये है, और इससे अलग - अलग कितनी राशि एकत्र की गई है? और स समारोह पर कितनी धनराशि व्यय कि गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन ।

(ख) राजपथ पर बैठने के स्थान केवल कार्ड के पात्र व्यक्तियों को ही उपलब्ध नही होते थे बल्कि उनको भी उपलब्ध हो जाया करते थे जो पात्र वर्ग के अतिथि अथवा मित्र के रूप में कार्ड प्राप्त कर लेते थे। यह प्रथा अलोकतंत्रीय थी क्योंकि आम जनता बैठने के स्थान में नहीं जा सकती थी और केवल वही व्यक्ति जा सकते थे जो विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से कार्ड प्राप्त कर लते थे। अतः यह निर्णय किया गया कि उन स्थानों को जिनकी विधिवत पात्र वर्गों के लिए आवश्यकता नहीं है उन्हें टिकटों के माध्यम से जनता के लिए छोड दिया जाए ।

(ग) गणतन्त्र दिवस परेड 1974

टिकटों का मूल्य	हरेक मूल्य के बेचे गये टिकटों की संख्या	प्राप्त किया गया धन
रूपये	टिकट	रुपये
2	4028	8,056
5	4119	20,595
10	1746	17,460
20	1574	31,480
100	637	63,700
	जोड	1,41,291

आधे मूल्य पर रियायती टिकट (जो दो टिकट प्रति व्यक्ति की दर पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दिए गये जो निमन्त्रण पत्रों के हकदार नहीं थे इनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं)

रुपये	टिकट	रुपये
2	518	518
5	1014	2,535
10	536	2,680
20	189	1,890
	जोड	7,623
	कुल जोड	1,48,914

28 जनवरी 1974 को समापन समारोह

रुपये	टिकट	रुपये
1	1533	1,533
3	1442	4,326
5	3343	16,715
	जोड	22,574

आधे मूल्य पर रियायती टिकट (जो दो टिकट प्रति व्यक्ति की दर पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गये जो निमन्त्रण पत्रों के पात्र नहीं थे इनमें सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

रुपये	टिकट	रुपये पैसे
1	525	263.50
3	569	853.50
5	616	1540.00
	जोड	2656.00
	कुल जोड	25,230.00

इस वर्ष के गणतंत्र दिवस से समारोह से सम्बन्धित लेखों का संकलन अभी पूरा नहीं है।

चिकित्सा शिक्षा आयोग की स्थापना करना

234. श्री दर्शनम् :
श्री सी० जनार्दनन् :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा की समग्र समस्या पर विचार करने के लिए सरकार ने चिकित्सा शिक्षा आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के कौन कौन से सदस्य है, इसके निर्देश पद क्या है और यह आयोग अनुमानतः कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) चिकित्सा शिक्षा आयोग के गठन के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पाकिस्तान के साथ व्यापार, यात्रा, संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का पुनः शुरू किया जाना

235. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने व्यापार, यात्रा, संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के सम्बन्ध में पाकिस्तान को बातचीत करने के लिए जनवरी, 1974 में फिर से आमंत्रित किया था;

(ख) क्या भारत ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे है और क्या पाकिस्तान ने भारतीय प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है, और

(ग) दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत ने 31 दिसम्बर 1973 को पाकिस्तान को एक संदेश भेजा जिसमें समझौते के पैरा 3 में उल्लिखित सामान्यीकरण के उपायों के क्रियान्वयन के लिए वार्ता शुरू करने का सुझाव दिया गया था।

(ख) 19 जनवरी का पाकिस्तान का उत्तर अपूर्ण ही था क्यों कि इसके द्वारा सुझाव दिया गया था कि वार्ता को डाक, तार, समुद्र तथा स्थल संचारों के पुनः शुरू करने तक ही सीमित रखा जाय। दोनों देशों के बीच हवाई यात्राओं को—जिनमें देश के ऊपर ही ऊपर उडानें भी शामिल है—पाकिस्तान के उत्तर में छोड दिया गया था, हालांकि शिमला समझौते के पैरा 3 के अधीन इससे संबंधित मद में यह भी शामिल है। भारत के 25 जनवरी, के पुनरुत्तर में इसके छूट जाने की ओर ध्यान दिलाया गया था और यह सुझाव रखा गया था कि दोनों पक्षों के हजारों व्यक्तियों को कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस बार हवाई यात्रा की सुविधाओं को फिर से चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जाय।

(ग) सरकार इस बात का बराबर प्रयास कर रही है कि वह पाकिस्तान को युक्तिसंगत कार्रवाई के लिए राजी कर ले।

फ्रांन्स द्वारा पाकिस्तान में मिराज जैट विमान फैक्टरी का निर्माण

236. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरांस पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं को पुनर्गठित करने तथा उस देश में मिराज जेट फक्ट्री लगाने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) जब भारत ने यह मामला दिसम्बर, 1973 में फरांस के साथ उठाया था क्या तब उसने ऐसा करने से इन्कार किया था;

(ग) क्या श्री हक्सर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल फ्रांस सरकार के साथ इस सम्बन्ध में बात चीत करने गया था और यदि हां, तो उसका क्या फल निकला; और

(घ) फ्रांस के इस निर्णय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकारी सूचना के अनुसार फरांस पाकिस्तान को विशुद्ध वाणिज्यिक शर्तों पर कुछ हथियार बेच रहा है परन्तु पाकिस्तान में मिराज बनाने का कारखाना लगाने के बारे में कोई करार नहीं हुआ है ।

(ग) दिसम्बर 1973 में जो शिष्ट मंडल पेरिस गया था उसका उद्देश्य वहां एक भारत फ्रांस संवाद में भाग लेने गया था वह इस मामले में फ्रांस सरकार से बात करने नहीं गया था ।

(घ) फ्रांस सरकार को भारत सरकार की इस धारणा से अवगत करा दिया गया है कि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति में वृद्धि से उप-महाद्वीप में सामान्य स्थिति बनाने की क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा ।

कोयला उद्योग का पुनर्गठन

237. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सरकार देश के कोयला उद्योग के पुनर्गठन पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है और इस पुनर्गठन की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा देश के कोयला उद्योग के पुनर्गठन के लिए पहले ही उपाय किए जा चुके है । 1972 में कोक कर कोयला खानों तथा 1973 में अकोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद, गैर-सरकारी इस्पात कारखानों की ग्रहीत कोयला खानों को छोडकर देश की सभी

कोयला खानें सरकार के नियंत्रण और प्रबंध में है जो समूचे कोयला उद्योग के विकास के लिए समन्वित कार्यवाही करती है । कोयला उद्योग के पुनर्गठन की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है :—

1. छोटी इकाइयों को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के साथ मिलाना तथा कोयला खानों को क्षेत्रों तथा प्रभागों में इस प्रकार समूहबद्ध करना जिस से खानों का उचित प्रबंध, देखभाल तथा नियंत्रण संभव हो सके ।
2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की झारिया स्थित पुनर्गठित खानों तथा कोयला खाने प्राधिकरण की खानों के बारे में केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाईन संस्थान द्वारा परियोजना रिपोर्टें तैयार कराना ।
3. भूमिवर्ती परिवहन प्रबंधों का पुनर्गठन जिसमें लदान का केन्द्रीयकरण तथा रेक-लदान आदि में बढोत्तरी सम्मिलित है।
4. अधिगृहीत खानों में कम से कम पुंजी लगाकर उन्नत विधियों व तकनीकों का प्रयोग।
5. भंडारों की पुष्टि के लिए गहन पूर्वेक्षण तथा भू-छेदन तथा अधिकाधिक भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करना ।
6. कोयला उद्योग के लिए अपेक्षित उपकरणों का मानकीकरण ।

श्रीलंका में भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में समझौता

238. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**

श्री बी० मायावन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रिकों के बारे में 1964 में हुए श्रीमाओ शास्त्री समझौते के अन्तर्गत न आने वाले भारतीय मूल के 1,50,000 नागरिकता विहीन व्यक्तियों के भविष्य के बारे में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या है, और

(ग) इसको कब तक कार्य रूप दिया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मैं सदन की मेज पर श्रीलंका और भारत की प्रधान मंत्रियों के बीच आदत्त प्रदत्तपत्रों की प्रतियां रख रहा हूं, जो इस प्रश्न पर हुआ समझौता है और जिनमें इसे क्रियान्वित किए जाने की शर्तें निहित है [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6159/74**]

अमरीकी कम्पनियों द्वारा भारत को रडार उपकरणों की सप्लाई

239. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने हाल ही में वह प्रतिबन्ध हटा दिया है जो उन्होंने वर्ष 1971 में भारत के 190 लाख डालर के रडार उपकरण बचने वाली, गैर सरकारी अमरीकी कम्पनियों पर लगाया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सैनिक सामान के निर्यात पर लगाए गए अमरीकी प्रतिबन्ध में गैर घातक मदों के संबंध में मार्च 1973 में छूट दे दी गई थी। इस छूट में भारत ट्रोपो स्केटर संचार पद्धति की स्थापना के लिए कुल 189 लाख डालर की उधार सुविधाओं को पुनः शुरू कर किया जाना भी शामिल है।

दिल्ली में प्रभावी व्यक्तियों द्वारा भूमि हथियाना

240. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय के अभिरक्षक निष्क्रान्त सामाजिक भूमि नगर तथा महानगर पाबंदों सहित कुछ प्रभावी व्यक्तियों तथा भूमि का क्रय-विक्रय करने वालों द्वारा हथियायी गई बतायी गई है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है, और

(ग) दिल्ली में अभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति की भूमि को हथियाने वाले व्यक्तियों के नाम, पते तथा आम विवरण क्या है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की गई हैं।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

भारत के प्रति अमरीका की नीति

241. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के प्रति अमरीका की नीति में परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का और इस परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 1971 के संकट के दौरान अमरीकी सरकार द्वारा अपनाई गई नीति की तुलना में अब ऐसे संकेत मिल रहे है कि अमरीका भारत के प्रति अपनी नीति बदल रहा है। ये संकेत अमरीकी विदेश मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्यों और हाल के रुपया समझोता में मिलते है। इनसे स्पष्ट है कि अमरीका अब अच्छी समझ-बूझ दिखा रहा है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह है कि भारत और अमरीका दोनों ही बराबरी पारस्परिकता और परस्पर हितों के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारना चाहते है।

मारुति एण्ड कंपनी, हरियाणा द्वारा छोटी कार का निर्माण

242. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति एण्ड कंपनी, हरियाणा की छोटी कार परियोजना के संबंध में अब तक क्या प्रगती हुई है और प्रस्तावित छोटी कार का वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है;

(ख) इस कार का मूल्य क्या होगा ;

(ग) मारुति कार परियोजना के संबंध में प्रत्येक शोर्ष के अन्तर्गत अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(घ) क्या आशय पत्र की अवधि को बढाया गया है और यदि हां तो उसके विवरण तथा कारण क्या है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) मे० मारुति लि० द्वारा कार का एक आद्यरूप विकसित किया गया है और परीक्षण के लिए गाडी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर को भेज दिया गया है । आद्यरूप की जांच का कार्य अभी चल रहा है । इस अवस्था में यह कहना संभव नहीं है कि वाणिज्यिक उत्पादन कब प्रारंभ होगा क्योंकि परीक्षणों के पूरे होने के पश्चात आद्यरूप के सडक पर चलने योग्य प्रमाणित होने पर ही कंपनी को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की अनुमति दी जायेगी। इस अवस्था में कार का विक्रय मूल्य भी नहीं बताया जा सकता है ।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से परियोजनाओं पर समय-समय पर हुए व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहना सरकार के लिए व्यावहारिक नहीं है ।

(घ) आशय पत्र की वैधता अवधि 30 जून, 1974 तक बढा दी गई है जिससे वह अवधि भी इसके अन्तर्गत आ सके जिसमें आद्यरूप कार के गाडी अनुसंधान तथा विकास-प्रतिष्ठान, अहमदनगर में परीक्षण होंगे ।

केरल में इस्पात की कमी

243. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह जानती है कि इस समय केरल राज्य में इस्पात की बहुत कमी है और इससे सड़क तथा सिंचाई कार्यों की प्रगति में बाधा पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार केरल को इस्पात की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वितरण की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है । कुछ श्रेणियों के इस्पात की मांग इसकी उपलब्धता से अधिक है और यह संभव है कि केरल तथा देश के अन्य भागों में विकास कार्यों पर कुछ सीमा तक प्रभाव पड़े । इस्पात के अन्तिम प्रयोग, उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों को ध्यान में रखकर इस्पात प्राथमिकता समिति मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात के प्रेषण को विनियमित करती है । वर्तमान नीति के अन्तर्गत इस्पात की उन श्रेणियों जिनकी कमी है कि आयात की अनुमति भी दी जाती है । इस्पात को उपलब्धि को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । इनमें प्रौद्योगिक सुधारों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न, अच्छे मालिक-मजदूर संबंध, इस्पात कारखानों में अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था, उपस्करों की श्रेयस्कर उपलब्धि के लिये भारी मरम्मत और नवीकरण के कार्यक्रम, निर्यात का विनियमन आयात के लिए उदार नीति विशेषत: उन श्रेणियों के लिए जिनकी कमी है और वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना शामिल हैं ।

केरल स्थित काफी तथा चाय बागानों के अस्थायी श्रमिकों को स्थायी बनाना

244. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य स्थित विभिन्न काफ़ी तथा चाय बागानों में स्थायी और अस्थायी श्रमिक कितने-कितने हैं;

(ख) कितनी सेवा-अवधि के पश्चात् अस्थायी श्रमिकों को स्थायी कर दिया जाता है;

(ग) क्या 15 वर्ष की सेवा कर लेने के पश्चात् भी श्रमिकों को स्थायी नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार

245. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1974 तक देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कितने शिक्षित बेरोजगार पुरुषों और कितनी ऐसी महिलाओं के नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत किये गये; और

(ख) वर्ष 1973 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने पुरुषों तथा महिलाओं को रोजगार दिया गया और यह उस वर्ष के दौरान दी गई कुल नौकरियों का कितना प्रतिशत है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

वर्ग	नौकरी चाहने वालों की संख्या *				नौकरी चाहने वालों (सभी वर्गों) को दिलाए गए कुल रोजगार के मुकाबले में स्तम्भ (4) और (5) में निर्दिष्ट रोजगार अवसरों की प्रतिशतता ।	
	30-6-73 को चालू रजिस्टर में		जनवरी-जून, 73 के दौरान नौकरी में लगाए गए व्यक्ति			
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7
1. शिक्षित अनुसूचित जातियां (मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त)	2,34,732	23,429	11,630	1,266	13.5	6.2
2. शिक्षित अनुसूचित जन-जातियां (मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त)	38,086	4,087	1,940	157	2.3	0.8

1. *दिल्ली में स्थित दो केन्द्रों को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े सम्मिलित नहीं है ।

2. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज सभी नौकरी चाहने वाल अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं है ।

3. शिक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के नौकरी चाहने वालों के संबंध में सूचना प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर को समाप्त होने वाले अर्ध-वार्षिक अन्तरालों पर एकत्र की जाती है । दिसम्बर, 1973 संबंधी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

युगोस्लाविया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

246. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने इस वर्ष जनवरी में भारत को यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, उनके साथ किस प्रकार को चर्चायें हुई और क्या-क्या निर्णय लिये गए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस बातचीत में द्विपक्षीय मामले और समान हित के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को उठाया गया । यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति को प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6160/74]**

दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों द्वारा हड़ताल

247. **डा० रानेन सेन :**

श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों द्वारा हड़ताल की गयी थी और बड़ी संख्या में नर्सों को गिरफ्तार किया गया तथा सेवा से बर्खास्त किया गया; और

(ख) यदि हां, तो नर्सों को मांगें क्या थीं तथा हड़ताल को निपटाने के लिए कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां । किन्तु हड़ताल के दौरान अर्थात् 14 जनवरी, 1974 से 19 जनवरी, 1974 के बीच किसी नर्स, को गिरफ्तार नहीं किया गया । अस्थायी नर्सों को सेवा समाप्ति के नोटिस जारी कर दिये गये थे और कुछेक स्थायी नर्सों को मुअत्तल किया गया था ।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

नर्सों की मांगे	उन पर की गई कार्यवाही
1. धुलाई भत्ते में वृद्धि	धुलाई भत्ते की मंजूरी पहले ही बढी हुई दरों पर दे दी गई है और यह बात तय हो गई है ।
2. बढे हुए धुलाई भत्ते के कार्यान्वयन की तारीख 1-8-73 हो	यह मांग मान ली गई है और आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं ।
3. सभी नर्सिंग स्टाफ के वर्दी भत्ते मे वृद्धि	इस मामले पर समुचित अधिकारियों को मंजूरी के लिये आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

नर्सों की मांगे	उन पर की गई कार्यवाही
4. जिन सिंगल नर्सों को अस्पताल के अहाते के बाहर रहने की अनुमति दी गई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मकान देन तथा मकान किराया भत्ता देने की मंजूरी।	इस मामले को निर्माण और आवास मंत्रालय के साथ उठाया गया है जहां तक उन सिंगल नर्सों को मकान किराया भत्ते के भुगतान का प्रश्न है, जिन्हें विशेष परिस्थितियों में अस्पताली अहाते से बाहर रहने की अनुमति दी गई है, सिद्धांत रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि उन्हें भी मकान किराया भत्ता पाने का पात्र बना दिया जाए।
5. परिवहन सुविधाएं	इस मामले पर पहलेही दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बात-चीत चला दी गई है।

इन मांगों पर 18-1-74 को उप स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिल्ली नर्स संघ और भारत के प्रशिक्षित नर्स संघ के प्रतिनिधियों के साथ की गई बैठक में विचार किया गया और हडताल समाप्त हो गई।

भारत-ईरान वार्ता

248. डा० रानेन सेन :

श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और ईरान के बीच विभिन्न विषयों पर वार्ताएं हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर चर्चा की गई और इन वार्ताओं का परिणाम क्या निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। ईरान के विदेश मंत्री दिसम्बर, 1973 में भारत की यात्रा पर आए थे। ईरान के अर्थमंत्री इस वर्ष जनवरी में 'आर्थिक, व्यापार एवं तकनीकी सहयोग संयुक्त आयोग' के चौथे सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे।

(ख) इन यात्राओं के दौरान समान हित के मामलों पर बातचीत हुई जैसे भारतीय उप-महाद्वीप की समस्याओं को शाँतिपूर्ण ढंग से निपटाना, हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखना, पश्चिम एशिया समस्या और भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंध जिसमें आर्थिक और तकनीकी सहयोग भी शामिल था।

इन मैत्रीपूर्ण वार्ताओं के फलस्वरूप दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विचारों को ज्यादा अच्छी तरह समझा ; आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं।

विदेश मंत्री इस समय भारत ईरान संयुक्त आयोग की अंतिम बैठक के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए तेहरान गए हुए हैं।

हिन्द महासागर में गश्ती जहाजों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अमरीका का निर्णय

249. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हिन्द महासागर में 'गश्ती जहाजों' की संख्या में वृद्धि करने के अमरीकी सरकार के निर्णय के बारे में अपना रोष अमरीका से व्यक्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

विदश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ख) विदेश मंत्री ने 12 नवम्बर, को इस सदन में एक वक्तव्य दिया था जिसमें अमरिका द्वारा हिन्द महासागर में नौसैनिक दस्ता भेजने की घोषणा पर चिन्ता प्रकट की थी। हाल में अमरीका और यू० के० द्वारा दीगो गार्सिया में सैनिक सुविधाओं में विस्तार की घोषणा पर सरकार ने पुनः इन दोनों देशों के समक्ष अपनी गंभीर चिन्ता प्रकट की है। सरकार के मतानुसार हिन्द महासागर में इस सैनिक वृद्धी से तनाव और प्रतिद्वंदिता बढ़ेंगी और हिन्द महासागर को शांति-क्षेत्र बनाये रखने में रुकावट आएगी।

एलकाक एण्ड एश्डाउन कंपनी को सरकारी नियंत्रण में ले लिये जाने के पश्चात् उसके कर्मचारियों की पुर्नानियुक्ति

250. प्रो० मधु दंडवते : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् द्वारा स्वीकृत एलकाक एण्ड एशडाउन कंपनी के अधिग्रहण संबंधी उपबन्धों तथा विधेयक के अनुसार उक्त कंपनी के अधिग्रहण के पश्चात् इसके सभी कर्मचारियों को बिना किसी अपवाद के पुर्नानियुक्त किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी कितने हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी जिस समय कंपनी ने कार्य करना बन्द किया था इसमें बम्बई में 1441 और भावनगर में 149 कर्मचारी थे।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर द्वारा कर्मचारी भविष्य में अनियमिततायें

251. श्री मधु दण्डवते : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित लक्ष्मी रतन काटन मिल्स ने अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में उचित राशि जमा कराने में गड़बड़ और गंभीर अनियमिततायें की हैं;

(ख) क्या इन अनियमितताओं और कुप्रबन्ध को देखते हुए राज्य सरकार को इस मिल को अपने हाथ में ले लेने का परामर्श दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है। यह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

ज्युनियर डाक्टरों की 48 घंटे की देशव्यापी हड़ताल

252. श्री मधु दण्डवते : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्युनियर डाक्टरों ने दिल्ली के अपने साथियों की मांगों के समर्थन में 48 घंटे की देश-व्यापी हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हड़ताल से जिन मांगों पर बल दिया गया है उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) चण्डीगढ़, गोआ, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु तथा दिल्ली में जूनियर डाक्टरों द्वारा 28 तथा 30 जनवरी, 1974 के बीच 2 दिन की हड़ताल करने की सूचना मिली है ।

(ख) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की मांगों का पूर्ण विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री जी के 19 जनवरी, 1974 के सदन में दिये गए वक्तव्य में दे दिया गया था । जहां तक अन्य स्थानों के जूनियर डाक्टरों की मांगों का संबंध है इस मामले पर संबंधित राज्य सरकारों को ही विचार करना है ।

21-26 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि

253. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में 21-26 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों की पंजीकृत संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) उनकी राज्यवार संख्या क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) 21-26 वर्ष के आयु वर्ग के नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों के संबंध में सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6161/74**]

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा एस० एस० मेडिकल कालेज, रीवा को मान्यता दिया जाना

254. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने एस० एस० मेडिकल कालेज, रीवा (मध्य प्रदेश) को मान्यता प्रदान कर दी है, हालांकि वहां गत तीन वर्ष से मैडिसिन, प्रसूति-विद्या तथा स्त्रीरोग विज्ञान जैसे मुख्य विषयों के प्रोफेसर नहीं है;

(ख) क्या कालेज में 104 पदों में से 35 पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (घ) एस० एस० मेडिकल कालेज, रीवा, ए० पी० सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध है । जनवरी, 1968 के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा इस कालेज का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय आर्युविज्ञान, सर्जरी तथा प्रसति और स्त्री-रोग विज्ञान जैसे बड़े-बड़े विभागों के प्रभारी समुचित अर्हताओं तथा अध्यापन अनुभव वाले प्राध्यापक थे तथा दूसरे अध्यापक लोग भी काफी थे । ए० पी० सिंह विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कालेज के प्रशिक्षित छात्रों को एम० बी० बी० एस० की जो डिग्री प्रदान की गई थी, उसे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अधीन 1968 में वहां पर उपलब्ध शिक्षण एवं अन्य सुविधाओं को देखते हुए

5—38LSS/73

मान्यता दी गई । उपर्युक्त डिग्री की मान्यता जारी रखने के अभिप्राय से अप्रैल, 1973 में कालेज का पुन: निरीक्षण किया गया । निरीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछेक पद रिक्त पड़े हुए हैं । उनकी निश्चित संख्या नहीं बताई गई है । परिषद ने निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय को उनके विचार जानने के लिये भेज दी है । विश्वविद्यालय के विचार प्राप्त होने पर परिषद द्वारा इस मामले पर आगे और विचार किया जायेगा ।

दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत काम कर रहे अध्यापकों के कर्मचारी भविष्य निधी अंशदानों को जमा न कराना

255. श्री भान सिंह भौरा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत काम कर रहे अध्यापकों से एकत्र की गई भविष्य निधि की राशि भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं कराई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कार्यवाही की जा रही है कि दिल्ली नगर निगम के पास पडी राशि को भविष्य निधि के अधिकारियों के पास जमा करा दिया जाये और उसे उचित लेखों में रखा जाये ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नप्रकार सूचित किया है :—

(क) जी नहीं, क्योंकि इस समय कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्ध शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होते है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगला देश से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की निकासी

256. श्री भान सिंह भौरा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान को कोई पत्र भेजा है जिसमें बंगला देश में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की पाकिस्तान को वापसी में शीघ्रता लाने पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) बंगला देश से अब तक कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक वापस भेजे गये है और कितने अभी भेजे जाने शेष है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत बंगला देश द्वारा दिल्ली समझोते के अधीन तिहरे देश प्रत्यावर्तन की प्रगति की समीक्षा के बाद, 15 जनवरी, 1974 को पाकिस्तान को एक चिट्ठी भेजी गई थी जिसमें उससे यह अनुरोध किया गया था कि बंगला देश से अपने राष्ट्रिकों को आने की अनुमती देने में अधिक तीव्रता से काम ले ताकि तिहरे देश प्रत्यावर्तन की समूची प्रक्रिया को तेज किया जा सके ।

(ख) पाकिस्तान इस बात को अस्वीकार करता रहा है कि बंगला देश से अपने राष्ट्रिकों को आने की अनुमति देने की उसकी गति धीमी है । जो भी हो, इस तिहरे देश प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया के तुलनात्मक आंकडे अपनी बात स्वयं ही बताते है ।

(ग) दिल्ली समझोते के अधीन 10 फरवरी, 1974 तक बंगला देश से प्रत्यावर्तित पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की कुल संख्या 51,021 थी ।

भारत और सोवियत संघ के बीच हुए विभिन्न समझौतों की जांच के लिए समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव

257. श्री सेझियान :
श्री ई० आश० कृष्णन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ब्रेझनेव की हाल की भारत यात्रा के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच संबंध बढाने के लिए भारत तथा सोवियत संघ ने विभिन्न करार किए है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों पर विस्तार से विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कोन कौन होंगे और यह समिति कब से कार्य करना शुरू कर देगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जी, हां।

महा सचिव श्री एल० आई० ब्रेझनेव की भारत यात्रा के दौरान भारत सोवियत संयुक्त घोषणा के अतिरिक्त 29 नवम्बर, 1973 को नीचे लिखे करार संपन्न हुए :—

(i) भारत और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यीक सहयोग के और अधिक विकास के लिए करार।

(ii) भारत के योजना आयोग तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की राज्य परियोजना समिति के बीच सहयोग के संबंध में करार।

(iii) भारत सोवियत कौसली अभिसमय।

(ख) और (ग) भारत सरकार और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ सरकार के बीच सम्पन्न विभिन्न आर्थिक करारों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत सोवियत संयुक्त आयोग पर है। इस संयुक्त आयोग की स्थापना से सम्बन्धित करार पर 19 सितम्बर 1972 को मास्को में हस्ताक्षर हुए थे। भारत सोवियत संयुक्त आयोग की पहली बैठक 8 और 19 फरवरी 1973 के बीच हुई। भारतीय पक्ष से संयुक्त आयोग के सह-अध्यक्ष योजना मंत्री है जबकि सोवियत पक्ष से सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के वैदेशिक-अर्थ-सम्बन्धों की मंत्रि परिषद की राज्य समिति के अध्यक्ष है। वरिष्ठ भारतीय तथा सोवियत अधिकारी, जो भारत-सोवियत आर्थिक प्रायोजनाओं तथा व्यापार सम्बन्धी का काम देखते है, संयुक्त आयोग के सदस्य है; संलग्न विवरण में उनके सम्बन्ध में ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

भारत सोवियत संयुक्त आयोग के सदस्यों का ब्यौरा

भारतीय पक्ष से :

1. श्री डी० पी० धर . अध्यक्ष
   योजना मंत्री

2. श्री बी० डी० पाण्डे . सदस्य
   मंत्रिमण्डल सचिव

3. श्री एम० जी० कौल, ... सदस्य
सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग

4. श्री वाई० टी० शाह, ... ,,
सचिव,
विदेश व्यापार मंत्रालय

5. श्री एम० जी० क० मेनन, ... ,,
सचिव,
इलेक्ट्रानिक्स विभाग

6. डा० एस० धवन, ... ,,
सचिव,
अन्तरिक्ष विभाग

7. डा० आर० रमन्ना, ... ,,
सदस्य,
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति ।

8. श्री० बी० के० सान्याल, ... ,,
अपर सचिव (ई० डी०),
विदेश मंत्रालय

सोवियत पक्ष से :

1. श्री एस० ए० स्केचकोव, ... अध्यक्ष
अध्यक्ष,
वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध—राज्य समिति ।

2. श्री एल० एन० एफ्रीमोव, ... उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य समिति ।

3. श्री आई० टी० ग्रिशीन, ... सदस्य
उप मंत्री, विदेश व्यापार ।

4. श्री एन० एस० एरोफीव, ... ,,
उप मंत्री, तेल उद्योग ।

5. श्री० ई० एस० मतवीव, ... ,,
उप मंत्री, भारी, बिजली एवं परिवहन इंजीनियरी उद्योग ।

6. श्री वी० ए० सरगीव, . . सदस्य
उपाध्यक्ष,
वैदेशिक अर्थ सम्बन्ध राज्य समिति ।

7. श्री ए० आई० स्लिविन्स्की, ... ,,
उप मंत्री, लौह धातु उद्योग ।

8. श्री वी० बी० स्पन्दराजन, ... ,,
सदस्य, राज्य परियोजना समिति प्रमुख
विदेश व्यापार विभाग ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन

258. **श्री सेझियान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्यवार कितनी प्रगति हुई; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरुप देश में जन्म दर में कोई खास कमी हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) वर्ष 1972–73 में और 1973–74 में (अप्रेल से नवम्बर, 1973 तक) के दौरान (1) सेवा केन्द्रों की स्थापना और (2) परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने में हुई प्रगति से संबंधित दो विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखे गय। देखिए संख्या एल० टी० 6162/74**]

(ख) जी, हां, परिवार नियोजन द्वारा किए गए प्रयासों के कारण रोके गए जन्मों के परिणाम स्वरूप अनुमान है कि राष्ट्रीय जन्म दर जो 1961 में 41.7 प्रति हजार थी घटकर 1972–73 में 36.5 प्रति हजार तक हो गई है ।

सिंगरौली कोयला खान

259. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में सिंगरोली कोयला खानों का वर्तमान वार्षिक कोयला उत्पादन कितना है;

(ख) वर्ष 1978 में इन कोयला खानों से प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्या होगा;

(ग) वर्ष 1978 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र में कौन से अन्य नए यूनिट प्रारंभ करने का विचार है, कब तक उक्त यूनिटों में कोयले का उत्पादन शुरु हो जायेगा; और

(घ) क्या इन यूनिटों को चालू करने के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद का विचार भारी खनन मशीनें आयात करने का है, और यदि हां, तो क्या स्वदेशी मशीनें उपलब्ध नहीं हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :

(क)	1972 .	14.80 लाख टन
	1973 . . .	16.70 लाख टन

(ख) सिंगरौली कोयला खानों से 1978-79 (अर्थात् पांचवों योजना के अन्त) त 73.00 लाख टन उत्पादन होने को आशा है ।

(ग) निम्नलिखित सारणी में सूचना दी गई है :—

नई खानों के नाम	वर्ष जब से उत्पादन प्रारंभ होगा
सिंगरोली–I (जयन्त)	1975-76
बीना .	1976-77
सिंगरोली–II .	1977-78
सिंगरोली–IV . . .	1978-79

(घ) यथा सभव स्वदेशी मशीनरी का प्रयोग किया जाएगा। जो मशीनरी देश में उपलब्ध नहीं होगी, उसका आयात किया जाएगा।

पाकिस्तान में विदेशी सहयोग से भारी मात्रा में सैनिक साज-सामान का निर्माण

260. **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री प्रसन्नभाई मेंहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरांस और पाकिस्तान के मध्य 'शस्त्रों' के बारे में कोई समझोता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे और कोन से देश है, जिन्होंनें पाकिस्तान में भारी मात्रा में सैनिक साज सामान का भंडार करने में सहयोग दिया है; और

(ग) तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) फरांस और पाकिस्तान के बीच किसी समझोते की सरकार को जानकारी नही है । यह पता है कि पाकिस्तान ने चीन अमेरिका, फ्रांस और कुछ पश्चिम एशिया देशों सहित कई एक देशों से सैनिक साज-सामान प्राप्त किया है । हमारी सुरक्षा पर ऐसी सप्लाई के प्रभाव और रक्षा तत्परता हमेशा पुनरीक्षाधीन रहती है ।

दिल्ली में कोयले की उपलब्धता

261. **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले चार महीनों में दिल्ली में कोयले पर उत्पादन शुल्क में किसी वृद्धि की घोषणा की है जिससे कोयले का मूल्य बढ गया है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ख) राजधानी में कोयला उपलब्ध करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोयला इकाइयों द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा रेलवे द्वारा दिल्ली सहित देश के विभिन्न उद्योगों को यथा संभव अधिक से अधिक कोयला पहुंचाने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

उपदान निधि की योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति

262. **श्री एम० कत्तामुत्तु :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए उपदान निधि की योजना बनाने के लिए छः सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है और उस पर लिये गये निर्णय क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इस समिति में अध्यक्ष और सचिव को छोडकर 6 सदस्य है।

(ख) समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

एन० सी० सी० को लोकप्रिय बनाना

263. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को पता है कि एन० सी० सी० को लोकप्रिय बनाने के लिये पिछले 3 वर्षों में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है; और

(ख) क्या स्नातक स्तरीय कालेजों के अंतिम वर्ष में स्नातकोत्तर कालेजों में ऐच्छिक युवकों के लिये एन० सी० सी० के सीनियर डिवीजन विंग को सेना भरती केन्द्र के रूप में माना जा सकता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) एन० सी० सी० को लोकप्रिय बनाने के लिए सदा प्रयास किये जाते रहे हैं। हाल ही में पूरी योजना पर डा० जी० एस० महाजनी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विचार किया है, समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल में ही दी है। एन० सी० सी० को भरती यूनिट माना जाना सम्भव नहीं है लेकिन एन० सी० सी० के प्रशिक्षित कैडेट सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के समय अपने प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकते है। इसके अतिरिक्त 'सी' प्रमाणपत्र परीक्षा पास एन०सी०सी० कैडेटो के लिए थलसेना, नौसेना आर वायुसेना में कुछ सीटें आरक्षित रखी होती है।

रक्षा सामग्री का निर्माण करने वाले कारखाने

264. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने आयुध कारखाने अथवा रक्षा सामग्री बनाने वाले कारखानें कार्यरत है;

(ख) क्या आयुध कारखानों के अलावा कोई अन्य सरकारी उपक्रम भी बडे रक्षा उपकरणोंका निर्माण कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन कारखोनों को पूर्णत: के उनके मंत्रालय के अधीन आयुध कारखाने अथवा रक्षा उत्पादन कारखाने समझा जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत रक्षा सम्बन्धी सामान बनाने वाले कारखाने संख्या इस समय 40 है। इसमें सरकारी क्षेत्र के 8 संस्था भी सामिल है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक और रक्षा संस्थान नामत: मिश्र धातु निगम लि० की स्थापना की गई है, जो विशेष प्रकार की धातुओं/मिश्रधातु का निर्माण करेगी।

(ख) और (ग) आर्डनेन्स कारखानों आर सरकारी क्षेत्र के 8 रक्षा संस्थानों के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य संस्थानों में भी रक्षा सम्बन्धी कुछ मुख्य मदों का निर्माण किया जाता है। लेकिन सरकारी क्षेत्र के ऐसे सभी संस्थानों को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आर्डनंस यूनिटें अथवा रक्षा उत्पादन यूनिटें **नहीं** समझा जा सकता है, क्योंकि उनका अधिकतर उत्पादन सिविल आवयकताओं की पूर्ति के लिए होता है। और ये यूनिटें भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है।

पाकिस्तान को चीन से हथियारों की सप्लाई

265. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है की पाकिस्तान को चीन से हथियारों की सप्लाई के बारे में हाल ही में बातचीत हुई है;

(ख) क्या काश्मीर के बारे में इस्लामाबाद में चीन की टिप्पणी भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति नीति के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से अथवा पाकिस्तान के साथ क्या विशिष्ट कदम उठाये है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां। सरकार ने इस बारे में बहुत सी रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने उस बयान की खबरें भी देखी है जो हाल ही में चीनी सैनिक प्रतिनिधिमंडल की इस्लामबाद यात्रा के दौरान उनके नेता ने दिया था आर जिसमें काश्मीर का जिक्र है। सिमला समझोते के अधीन उप महाद्वीप में शांति एंव स्थायित्व की स्थापना के लिए और भारत तथा पाकिस्तान दोनों ही अपने सभी मतभेदों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा हल करने के लिए वचनबद्ध है। अत: शिमला समझोते की व्यवस्था से प्रतिकूल दिया गया कोई भी वक्तव्य समझोते के लक्ष्यों को पूरा करने में बांधक होगा। सरकार को इस स्थिति के बारे में सभी सम्बन्द्ध पक्षों को एक बार फिर बतला दिया गया है।

राष्ट्रीय मजूरी नीति के लिए एक सेल की स्थापना

266. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय मजूरी नीति बनाने के लिए एक सेल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक कार्य रूप दे दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) मजदूरी सम्बन्धी आंकडे एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने और अन्य सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में जो नीतियों के निर्धारण और निर्माण में लाभदायक होंगे श्रम मंत्रालय में हाल ही में एक मजदूरी सैल स्थापित किया गया है ।

वर्ष 1974-75 में कोयले का उत्पादन

267. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1974–75 के दौरान कोयले का उत्पादन बढाना चाहती है,

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्ष के उत्पादन की तुलना में इस अवधि में कितना अधिक उत्पादन होगा, और

(ग) इस प्रकार के उत्पादन से उपभोक्ताओं को विशेषतः घरेलू उपयोग के कोयले की सप्लाई में कितना सुधार हो सकेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) 1974–75 में उत्पादन 950 लाख टन तक बढाने का प्रस्ताव है, जो 1972-73 में हुए 764 लाख टन (अनन्तिम उत्पादन) से 186 लाख टन अधिक और चालू वर्ष में प्रत्याशित 790 लाख टन उत्पादन से लगभग 160 लाख टन अधिक होगा ।

(ग) यदि उपर्युक्त निर्धारित स्तर तक उत्पादित कोयले की ढुलाई के लिए समुचित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो जाए तो आशा है कि घरेलु उपयोग सहित कोयले की पूर्ति स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा ।

खाद्य वस्तुओं के मानक स्तर में छुट

268. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ खाद्य वस्तुओं के मानक स्तर में छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किन किन वस्तुओं के मानक स्तर में छूट दी गई है; और

(ग) क्या इसका जनस्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) जब कभी आवश्यक होता है तो खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति के परामर्श से सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं के मानकों में सुधार किया जाता है । इस समिति की सलाह से, जो एक संविधिक तकनीकी प्रवर निकाय है, जिन वस्तुओं के मानकों में ढील दी गई थी, उनमें से कुछ इस प्रकार है :—

(1) गाय के दूध में सालिड्स नाट-फेट की न्यूनतम प्रतिशतता 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8.3 प्रतिशत कर दी गई ।

(2) खाने वाले आम नमक में, सोडियम क्लोराईड की मात्रा 96 प्रतिशत से घटाकर 92 प्रतिशत कर दी गई ।

(3) बाजरे में, अधिक से अधिक 0.05 प्रतिशत अर्गट ग्रस्त दानों की मिलावट की अनुमति दी गई ।

(ग) उपर्युक्त ढीलों से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पडता ।

दुबई तट पर भारतीय आप्रवासियों का डूब जाना

269. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के बहुत से भारतीयों को बिना पार पत्र के विदेश जाने की अनुमति दे दी गई थी और उनमें बहुत से 10 दिसम्बर, 1973 को डुबई तट पर डूब कर मर गये थे;

(ख) क्या इस घटना के बारे में कोई जांच कराई गई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को मालूम तथ्य इस प्रकार है :

(i) कई भारतीय और शायद कुछ गैर भारतीय पिछली दिसंबर में एक बोट द्वारा अवैध रूप से शरजाह पहुंचे, उनके पास यात्रा पत्र नहीं थे;

(ii) अरब अमीर राज्य संघ की सरकार के प्राधिकारियों ने एक मोटर बोट (लांच) में उन्हें निष्कासित कर दिया;

(iii) वह लांच शरजाह के समुद्री तट से दूर जाकर उलट गई, और

समझा जाता है कि लगभग 46 भारतीय और 3 गैर भारतीय डूब गए, बाकी लोग बचा लिए गए।

(ख) और (ग) उस क्षेत्र में हमारा मिशन अरब अमीर राज्य संघ के साथ तबसे हर संपर्क में है जबसे यह घटना हुई है और जांच पडताल अभी जारी है।

Presence of Naval Fleets of Various Countries in Indian Ocean

270. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the countries which have naval fleets in the Indian Ocean at present ;

(b) whether India has sent any protest notes to those countries whose presence in the Indian Ocean has caused tension and concern ; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Apart from the littoral countries, the USA, USSR, UQ and France are the major powers which have naval presence in the Indian Ocean.

(b) & (c) The Government of India by public statements, demarches to the countries concerned, as well as in the United Nations have constantly expressed their concern at any escalation of such naval presence in the Indian Ocean, which in our view could exacerbate tensions and rivalries in the region.

Strikes and Lockouts in Public Sector Factories in 1973

271. Shri Shankar Dayal Singh :

Shri P. Ranganath Shenoy :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of factories in the public sector in which there were lack-outs as a result of labour disputes and strikes during 1973 and the number of days for which strikes were resorted to in these factories ;

(b) the number of workers of the public sector against whom disciplinary action was taken and the number of workers dismissed as a result of these disputes during this period ; and

(c) the action taken by Government to control the lock-outs and strikes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) Information is being collected.

Closure of Mica Mines

272. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the present number of mica mines working normally , State-wise ;

(b) the State-wise number of mica-mines which are lying closed down and the reasons for their closure ; and

(c) whether Government propose to make the sick-mines work again and if so the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) The information is given below :

Name of State	No. of mica mines reported production in 1973	No. of mica mines reported closed during 1973
Andhra Pradesh	50	4
Bihar	218	33
Rajasthan	130	27
Tamil Nadu	3	1
West Bengal	2	1
	403	66

The reasons for closure are barren working, irregular supply of electricity shortage of labour, uneconomical working, and higher cost of machinery and material.

(c) Government enhanced floor prices of mica to enable Mica miners to invest money for development of their mines. But despite this adequate investment is not forthcoming for opening of new and re-opening and development of old mica mines. In view of this other steps to assist development of the mines are under consideration of Government.

Supply of Coal to Delhi

273. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the month-wise figures of supply of coal to Delhi for the last six months; and

(b) the price of coal fixed by Government for Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) The monthly arrival positions of coal/coke in the Union Territory of Delhi during the last six mouths given below:

(Figures in wagons)

	Soft Coke	Hard Coke	Steam Coal	Slack Coal
August 1973	919	93	270	150
September 1973	1,307	176	Nil	525
October 1973	922	90	54	525
November 1973	1,310	118½	261	75
December 1973 .	960	17	234	..
January 1974	1,317	291	243	..

(b) The prices of coal in Delhi is fixed by the Delhi Adminisstration. The maximum retail price of different types of coal fixed by the administration is as under :

	Rate per quintal
	Rs.
Soft Coke	17·80
Hard Coke	23·00
Steam Coal .	14·50
Slack Coal	100·00 per tonne (*wholesale*)

रोज़गार कार्यालयों का असन्तोषजनक कार्यकरण

274. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा अहमदाबाद-बड़ौदा क्षेत्र में औद्योगिक श्रम मार्केट के बारे में किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश के रोज़गार कार्यालयों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन में कहा गया है कि जब कि अधिकांश राज्य सरकारें रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से गैर-सरकारी तथा सरकारी संगठनों में नियुक्तियां चाहती है, रोजगार कार्यालयों के असंतोषजनक कार्यकरण के कारण रोज़गार सम्बन्धी जानकारी के साधनों में उसका स्थान सब से नीचा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जांच करने के पश्चात् इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई सुझाव देने का है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया गया कथित सर्वेक्षण सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत, बंगला देश और पाकिस्तान में त्रिपक्षीय समझौतें की प्रगति

275. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अब तक पाकिस्तानी युद्ध बन्दी लौटाने का काम पूरा कर लिया है, और इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है ;

(ख) क्या बंगला देश ने सूचित किया है कि पाकिस्तान तीनों देशों में हुए समझौतों के अनुसार वहाँ के बंगालियों को नहीं लौटा रहा है ;

(ग) क्या भारत और बंगला देश में जनवरी, 1974 में विचारविमर्श हुआ था और पाकिस्तान से उक्त समझौते को लागू करने लिए कहा गया था ताकि सम्बन्धों में और सुधार हो और यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सभी प्रकार के इस आदान-प्रदान का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 17 फरवरी 1974 तक भारत ने 68,117 पाकिस्तानी युद्धबंदियों और असैनिक नजरबंदों को देश प्रत्यावर्तित कर दिये थे ।

(ख) और (ग) भारत और बंगलादेश ने जनवरी 1974 के दिल्ली समझौते के अन्तर्गत तिहरे प्रत्यावर्तन की प्रगति पर विचार किया था और इसके पश्चात पाकिस्तान से निवेदन किया कि वह बंगलादेश से पाकिस्तानी नागरिकों को अनुमति देने की रफ्तार तेज करें जिससे कि तिहरा प्रत्यावर्तन पूरा किया जा सके । आशा की जाती है कि पाकिस्तान दिल्ली समझौते के अन्तर्गत अपने नागरिकों को शीघ्रता-पूर्वक वापिस लेने के वायदे को पूरा करेगा ।

(घ) वर्तमान गति से तिहरे प्रत्यावर्तन के काम को पूरा होने में और दो या तीन महीने लगने की सम्भावना है ।

कोयला गैस संयंत्र

276. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री सरजू पांडे :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देशपर्यन्त कोयला गैस संयत्र लगाने के मामले पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ;

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और प्रत्येक संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) योजना आयोग ने कोयला गैसीकरण हेतु प्रौदयो-आर्थिक अध्ययन तथा वैकल्पिक प्रौद्योगिकी व अवस्थिति की जांच के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है । कार्यकारी दल की रिपोर्ट मिलने पर तथा उनकी अनुशंसाओं के अनुक्रम में साध्यता अध्ययन कर लेने के बाद अन्य ब्यौरे उपलब्ध होंगे ।

वाणिज्यिक वाहनों के पुर्नविक्रय पर प्रतिबन्ध

277. श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक वाहनों पर खरीद की तिथि से दो वर्ष तक की अवधि तक उनका पुर्नविक्रय करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या यात्री कारों के मामले में ऐसा प्रतिबन्ध पहले से ही लगा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वाणिज्यिक वाहनों संबंधी ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) लाभ कमाने की दृष्टि से बिचौलियों द्वारा सट्टा खरीद जिसके बारे में बताया गया है कि यह वाणिज्यिक गाड़ियों के कुछ लोकप्रिय माडलों में प्रचलित है को रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबन्ध निम्नलिखित माडलों की वाणिज्यिक गाड़ियों पर लागू हैं :—

(1) हिन्दूस्तान बेडफोर्ड

(2) डाज/फार्गो

(3) टाटा

(4) कामेट/बीवर/डिप्पो/टिटान

(5) जीप ट्रक

(6) टेम्पो हेन सीट तीन पहिए वाले ।

(7) वीकिंग चार पहिए वाले

(8) मालाडोर चार पहिए वाले ।

(9) स्टैंडर्ड-20

तेल संकट के विषय मे तटस्थ देशों का सम्मेलन

278. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की प्रधान मंत्री तथा युगोस्लाविया के राष्ट्रपति के दौरे के पश्चात् भारत ने तेल संकट जैसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए तटस्थ देशों का सम्मेल्लन बुलाने का कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार अन्य सरकारों से, विशेष रूप से मित्र देशों की सरकारों से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं। इनमें वर्तमान आर्थिक स्थिति और ऊर्जा का संकट भी शामिल है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति की हाल की यात्राओं के दौरान जिन विषयों पर बातचीत हुई थी उनमें वर्तमान आर्थिक स्थिति भी शामिल थी। यह महसूस किया गया कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के संदर्भ में आर्थिक संबंधों और पारस्परिक आर्थिक सहयोग के प्रश्नों पर गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नये सिरे से पहल किये जाने की आवश्यकता है।

अल्जियर्स में 19 से 21 मार्च तक गुटनिरपेक्ष समन्वयन समिति और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवशन बुलाये जाने का भारत ने समर्थन किया है। इन दोनों बैठकों में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार किया जाएगा।

देश में नकली औषधियों के निर्माण में असाधारण वृद्धि को रोकने के लिए तंत्र की व्यवस्था

279. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नकली औषधियों के निर्माण में असाधारण वृद्धि पर रोक लगाने के लिये तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय और राज्यीय औषधी नियंत्रण संगठनों की स्वास्थ विभाग से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने की पर्याप्त सुविधायें देने तथा सभी राज्यों में औषधी परीक्षण के लिये पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का कोई सुझाव दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के०किस्कू) : (क) से (ग) राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को पहले ही यह राय दे दी गई है कि वे अपने-अपने औषधी नियंत्रण प्रशासनों को सुधार कर उन्हें सुदृढ बना लें।

उन्हें औषधी नियंत्रण संगठन का एक ऐसा पूर्णकालिक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी गई है जो तकनीकी रूप से सक्षम हो और दवा बनाने और उसके परीक्षण की विधियों से पूरी तरह से परिचित हो। सभी प्रकार की दवाओं का तुरन्त परीक्षण करवाने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए भी उन्हें सलाह दी गई है।

औद्योगिक संबंध विधेयक

280. श्री बनमाली पटनायक :
श्री जगन्नाथराव जोशी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक संबंध विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) लोक सभा में इसके कब तक पेश किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेडडी) : (क) और (ख) औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) इस विधेयक को यथा-शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों में दाखिल रोगियों के लिए उपलब्ध रोगी शय्यायें

281. श्री बनमाली पटनायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी अस्पतालों में दाखिल रोगियों के लिए प्रति हजार व्यक्तियों के हिसाब से कितनी रोगी शय्यायें उपलब्ध हैं ;

(ख) विश्व के विकसित देशों की तुलना में इन आंकड़ों की स्थिति क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में रोगों शय्यायों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये है और अब तक उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) 00.49 (सरकारी अस्पतालों के लिए 0.34 और गैरसरकारी अस्पतालों के लिए 0.15)

(ख) कुछ विकसित/चुनीदा देशों में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे कितने अस्पताली पलंग उपलब्ध हैं उसका एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्लान योजनाओं के अन्तर्गत देश के विभिन्न अस्पतालों में 1970-71 से 1972-73 तक लगभग 9,860 पलंगों की वृदिध की गई ।

विवरण

विवरण जिसमें विश्व के चुनींदा देशों में एक हजार जनसंख्या के पीछे अस्पताली पलंगों की संख्या दर्शायी गई है

क्रमांक	देश का नाम	वर्ष	प्रति हजार जनसंख्या के पीछे पलंग
1	भारत	1973	0.49
2	पाकिस्तान	1968	0.34
3	संयुक्त अरब गणराज्य	1968	2.04
4	जापान	1968	12.50
5	इण्डोनेशिया	1968	0.68
6	थाइलैंड	1968	0.97
7	संयुक्त राज्य अमरीका	1968	8.33
8	कनाडा	1968	10.00
9	सोवियत रूस	1968	10.00
10	ब्रिटेन	1968	10.00

पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की सहायता

282. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में और कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) क्या पाकिस्तान ने समस्या के हल के लिए भारत से सहायता मांगी थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) बाढ़ के दौरान भारत को पाकिस्तान से सहायता के लिए कोई प्रार्थना नहीं मिली थी । फिर भी भारत आकाशवाणी के प्रसारणों से पाकिस्तान को प्रतिदिन बाढ़ की चेतवानी-सूचना देता रहा था । 23 अगस्त 1973 को प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को एक संदेश भी भेजा था जिसमें पाकिस्तान में बाढ़ से हुई भयंकर क्षति पर संवेदना प्रकट की गई थी ।

इण्डियन क्रेन कम्पनी, कलकत्ता में तालाबन्दी

283. **श्री भोला मांझी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन क्रेन कम्पनी, कलकत्ता में पिछले चार महीने से तालान्बदी चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्यत: राज्य क्षेत्राधिकार में आता है । उपलब्ध सूचनानुसार पक्षों के बीच फरवरी 9, 1974 को हुए एक समझौते के बाद, तालाबन्दी हटा दी गई थी और एकक में 10 फरवरी 1974 से काम पुन: आरंभ किया गया था ।

पूर्ति विभाग के सचिव द्वारा विदेशों में ठहरना

284. **श्री भोला मांझी** :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति विभाग के सचिव वर्ष 1973 में 106 दिनों तक विदेशों रहे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको कितनी विदेशी मुद्रा दी गई और उनके द्वारा की गई विभिन्न यात्राओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं । पूर्ति विभाग के सचिव 71 दिनों तक विदेश में रहे अर्थात् श्री के० राम (सचिव) (1) 28–1–73 से 9–2–73 तक और (2) 17–3–73 से 28–3–73 तक ; तथा श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल (सचिव) (1) 6–8–73 से 3–9–73 तक ; (2) 14-9-73 से 23-9-73 तक और (3) 20-10-73 से 26-1073 तक ।

(ख) कृषि विभाग की तत्कालिक उर्वरक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उर्वरक ठेकों का निष्पादक करना और 20–10–73 से 26–10–73 तक रोम में एफ० ए० ओ० (उर्वरक कृषि संगठन) की बैठक में शामिल होना ।

(ग) 31,365 रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई थी । 96,822 रुपये की कुल धन राशि खर्च हुई ।

वर्ष 1974-75 के लिए इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य

285. **श्री देवन्द्र सिंह गरचा** :
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने वर्ष 1974-75 के लिए इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य घटा दिया है;

6—38 LSS/73

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यूरोपीय साझा बाजार के देशों को उसी अवधि में लोह अयस्क के निर्यात के लिए करार किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 के लिए पांच मुख्य सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों अर्थात भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेल, "टिस्को" और "इस्को" का उत्पादन-लक्ष्य 54.41 लाख टन निश्चित किया गया था। अनुमान है कि 1973-74 में इन कारखानों का कुल उत्पादन लगभग 45 लाख टन ही होगा। कमी के मुख्य कारण हैं :—(1) बिजली में भारी कटौती और रुकावट विशेषतया अप्रैल-नवम्बर 1973 की अवधि में बिजली की कटौती/रुकावट से दुर्गापुर इस्पात कारखाने और "टिस्को" के उत्पादन पर बड़ी मात्रा में और राउरकेला के उत्पादन पर कुछ कम मात्रा में प्रभाव पड़ा। इस अवधि में बिजली की कटौती और रुकावट से झरिया के समस्त कोयला क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा जिससे कोयला शोधनशालाओं और कोयला खानों में काम कम हुआ जिसके परिणामस्वरुप इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। (2) इस अवधि में बीच बीच में रेलवे में काम की गति धीमी पड़ने और श्रमिक अशान्ति विशेषत: दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी रेलवे में ऐसी घटनाओं से कोयला शोधनशालाओं और इस्पात कारखानाओं को कोयला पहुंचाने में बाधा आई जिससे कोक ओवन पुशिंग की दर निम्न स्तर पर लानी पड़ी।

रेल यातायात में बाधा आने से इस्पात कारखानों में कोककर कोयले और दूसरे कच्चे माल के स्टाक की स्थिति नाजुक हो गई, परिणामस्वरुप उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो सका। मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने विशेषतया दुर्गापुर में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने से उत्पादन में रुकावट आई। इन कठिनाइयों विशेषतया कोयले की ढुलाई पर काबू पाने के लिए किए जा रहे सभी उपायों को देखते हुए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटड ने यह प्रस्ताव रखा है कि वर्ष 1974-75 के लिए पांचों बड़े सर्वतोमुखी कारखानों के विक्रेय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 51.9 लाख टन रखा जाए जो इस वर्ष के 54.41 लाख टन की तुलना में कम है परन्तु 1972-73 में 47.93 लाख टन के प्राप्त लक्ष्य और 1973-74 के प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक हैं। फिर भी वर्ष 1974-75 के लिए उत्पादन के लक्ष्य अभी अन्तिम रुप से निश्चित किए जाने है।

(ग) जी नहीं। 1974-75 में लोह अयस्क के कुल निर्यात को जो योजना बनाई गई थी उसमें से यूरोपीय सांझा बाजार के देशों को निर्यात की जाने वाली लोह अयस्क की मात्रा का प्रतिशत बहुत कम होने की सम्भावना है।

श्री लंका और भारत के प्रधान मंत्री के बीच वार्ता

286. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका और भारत के प्रधान मंत्री के बीच विवादग्रस्त और आपसी हितों के मामलों में क्या बातचीत हुई; और

(ख) इन मामलों में क्या निर्णय लिये गये तथा क्या समझौते हुए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) दोनों प्रधान मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार विनिमय किया और द्विपक्षीय मामलों पर बात-चीत की। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हाल ही की घटनाओं के बारे में उनके दृष्टिकोणों में पूर्ण समानता थी।

द्विपक्षीय मामलों में उन 150,000 व्यक्तियों के बारे में एक समझौता हुआ जिन्हें भविष्य में निर्णय के लिए 1964 के कक्षा में छोड़ दिया गया था। यह तय हुआ कि उनमें से 75,000 को श्रीलंका की सरकार नागरिकता प्रदान करेंगी और 75,000 के देश प्रत्यावर्तन को भारत स्वीकार करेगा। कच्चातिबू

और संबद्ध मामलों पर यह तय हुआ कि पाक जलडमरूमध्य और आदम पुल के बीच भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक जलकी सीमाओं के बारे में, निकट भविष्य में निर्णय किया जायेगा। प्रधान मंत्रियों के लोगों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में भी बाचचीत की और बहुत सी लाभकारी परियोजनाओं में हुई प्रभती पर संतोष व्यक्त किया।

संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखी जा रही है। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6163/73।**]

Mica deposits in U.P.

287. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Government are aware of the existence of mica deposits in Tarchha village, Mardah block, Ghazipur District, Uttar Pradesh;

(b) whether any exploration was undertaken by the Government; and

(c) if so, results there of?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) & (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

गरीब देशों के लिए आयल फंड का निर्माण करने संबंधी ईरान का कथित प्रयास

288. श्री प्रबोध चंद्र : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ईरान के उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें खाड़ी राज्यों से भारत सहित गरीब देशों के लिए आयल फंड का निर्माण करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार के प्रति सम्बद्ध राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

प्रेस रिपोर्टों के अनुसार शाह ईरान ने 23 दिसम्बर 1973 को आयोजित प्रेस सम्मेलन में यह सुझाव दिया था कि नए धनी तेल उत्पादक देश किसी तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक अथवा कोष खोल सकते हैं और उसे किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय को सौंप सकते हैं ताकि विकासशील देशों की प्रयोजनाओं में वह धन खर्च किया जा सके।

(ख) पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन इस समस्या पर विचार कर रहा है और इस दिशा में अभी कोई अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका है।

राष्ट्रीय विवाचन सम्वर्द्धन बोर्ड द्वारा निर्वाचन नियमों का संशोधन

289. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विवाचन सम्वर्द्धन बोर्ड द्वारा हाल ही में विवाचन नियमों का संशोधन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या संशोधन किए गए है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :(क) और (ख) अनुमानतः सन्दर्भ 26 दिसम्बर, 1973 को हुई राष्ट्रीय विवाचन सम्वर्धन बोर्ड की छठी बैठक में अनुशासन सहिता के अन्तर्गत विवादों को स्वैच्छिक विवाचन के लिए निर्दिष्ट करने के आदर्श सिद्धांतों में किए गए संशोधनों की ओर है । संशोधित सिद्धान्तों की एक प्रति संलग्न है ।

विवरण

अनुशासन संहिता के अन्तर्गत विवादों को स्वैच्छिक विवाचन के लिए भेजने सम्बन्धी संशोधित आदर्श नियम

1. विवाद को स्वैच्छिक विवाचन के लिए भेजने का अधिकार सम्बन्धित पक्षों को प्राप्त है । इसलिए दोनों पक्षों अर्थात् नियोजकों और श्रमिकों के लिए यह अत्यावश्यक है कि वे विवाचन के लिए अग्रसर होने से पूर्व कोई ऐसा कदम उठा कर वातावरण को दूषित न करें जो विवाचन द्वारा विवादों के निपटान में साधक न हो ।

2. विवाचन के लिए सामान्यतः तब मांग की जा सकती है जब कि किसी विवाद को पारस्परिक समझौता वार्ताओं/संराधन के माध्यम से हल करने के प्रयास असफल हो चुके हों ।

वैयक्तिक विवाद :

3. औद्योगिक शांति संकल्प की मद 2(4) के अन्तर्गत आने वाले विवाद अर्थात वे विवाद जो अलग-अलग कर्मकारों की बर्खास्तगी सेवामुक्ति, तंग किये जाने और छटनी से सम्बन्धित हों और आपस में न सुलझा लिए गए हों सामान्यतः विवाचन के लिए भेजे जाने चाहिए और विशेषकर :—

(क) यदि अभिकथित तंग किए जाने और अनुचित श्रम व्यवहार का मामला विद्यमान हो ;

(ख) यदि लागू स्थायी आदेशों का या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया गया प्रतीत हो ; या

(ग) यदि प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत हो कि श्रमिकों के साथ अन्याय किया गया है ।

4. सेवा-मुक्ति और बर्खास्तगी के ऐसे मामलों को जिन में सम्बन्धित कार्यन्वयन तंत्र ने अनुशासन सहिता का भंग करना सिद्ध किया हो और ऐसे मामलों को भी जिनमें मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समझौते हो चुके हों, स्वैच्छिक विवाचन के लिए न भेजे जाएं ।

5. ऐसे मामलों को जिनमें अनुशासन संहिता का भंग किया जाना अभिकथित हो परन्तु जो सिद्ध न किया गया हो स्वैच्छिक विवाचन के लिए न भेजे जाएं जब तक कि मामले को निबटाने वाला औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र का सम्बन्धित अधिकारी जांच-पड़ताल के बाद प्रथम दृष्टि में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुशासन संहिता का भंग किया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं है या अनुशासन संहिता के भंग किए जाने के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में सन्देह की गुंजाइश है ।

6. ऐसे विवाद के सम्बन्ध में जिसे दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष असार या दुःखदायी कहे, औद्योगिक संम्बन्ध तंत्र को सम्बन्धित अधिकारी सामान्यतः दूसरे पक्ष को विवाद को विवाचन हेतु भेजने का सुझाव न दे जब तक कि प्रारंभिक जांच के पश्चात् वह यह अनुभव न करे कि विवाद विवाचन हेतु भेजने योग्य है ।

7. ऐसी शिकायतों से सम्बन्धित विवादों को, जिनके सम्बन्ध में शिकायत सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन किया जा चुका हो और युनियन किसी समझौते पर न पहुंचे हों, विवाचन के लिए भेजा जाए ।

सामुहिक और सामान्य विवाद

8. ऐसे विवादों को जो वैयक्तिक विवादों की श्रेणी में नहीं आते अर्थात् जो समग्र रूप में किसी उद्योग या जो काफी संख्या में अन्तग्रस्त श्रमिकों से सम्बन्धित हों या जिनमें भारी वित्तीय सम्बन्ध विद्यमान हो या ऐसे विवादों को जिनमें कानून का ठोस प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो या जहां नए अधिकारों का सृजन किया जाना अपेक्षित हो, भी यदि पक्ष सहमत हो तो विवाचन के लिए भेजा जा सकता है, बशर्ते कि विवाचक रुतवे वाला व्यक्ति हो अर्थात् सम्बन्धित औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र का वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त न्यायाधीश संहित कोई न्यायिक प्राधिकारी ।

9. निम्न प्रकार के मामलों को भी विवाचन हेतु उपयुक्त समझा जाए :--

(क) कानून की प्रयोज्यता या निर्वाचन सामूहिक सौदाकारी सम्बन्धी करारों या समझौतों और अधिकरणों के पंचाटों से उत्पन्न होने वाले विवाद ।

(ख) कर्मकारों और कर्मकारों के बीच या यूनियनों और यूनियनों आदि के बीच विवाद, यदि उद्योग के सुचारु रूप से चलने को प्रभावित करते हो ।

कानपुर के औद्योगिक एककों को कोयले की कमी से हुई हानि

290. **श्री प्रबोध चंद्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या कोयले की कमी से अनेक औद्योगिक एककों को हानि हुई है और जेनरेटर काम नहीं कर रहे जिसके फलस्वरूप कानपूर में हजारों कर्मचारियों को जबरन छुट्टी दे दी गयी है ;• और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कानपुर की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को कोयले की कम पूर्ति के बारे में शिकायतें मिली हैं किन्तु किसी भी औद्योगिक इकाई अथवा बिजलीघर के बंद होने की सूचना नहीं है जिससे श्रमिकों को जबरन छुट्टी दी गई हो ।

(ख) उद्योगों को कोयले की पूर्ति के लिए कोयला उत्पादक इकाइयों द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा रेलवे द्वारा उन्हें अधिक से अधिक कोयला पहूंचाने का समन्वित प्रयास किया जा रहा है । जहां तक बिजलीघरों को कोयले की पूर्ति का संबंध है स्थायी सम्पर्क समिति ने विशिष्ट प्रकार के कोयले की उपलब्धि को ध्यान में रखकर प्रत्येक बड़े बिजली घर विशिष्ट कोयला क्षेत्र से जोड़ दिया है । इसके अतिरिक्त, कोयला उत्पादक संगठन तथा रेलवे द्वारा बिजली घरों को कोयले की पूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और सामान्यत: बिजली घरों के कार्य में किसी गम्भीर रूकावट के बिना ही अब स्थिति पर काबू रखना संभव हो गया है । रेलवे बोर्ड के साथ एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि किसी बिजली घर के पास कोयले के स्टाक में कमी होने पर कोयला पहूंचाने के लिए आपाती कार्रवाई की जा सके ।

अरब देशों के धन तथा फ्रांस के विशेषज्ञों की सहायता से पाकिस्तान द्वारा आयुध कारखानों की स्थापना

291. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों के धन तथा फ्रांस के विशेषज्ञों की सहायता से पाकिस्तान में आयुध-कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) सरकार ने इस बारे में समाचार देखें हैं। ऐसे समाचारों की पुष्टि करने के लिए अभी तक कोई प्रमाणित सूचना नहीं है। सरकार इन गतिविधि पर ध्यान रखे हुए है।

Repatriation of Pakistan P.O.Ws.

292. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri N. R. Vekaria :

Will the Ministry of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of P.O.Ws and officers repatriated by India and Pakistan separately and the number still left for repatriation with likely date for completion of repatriation ;

(b) whether some property has also been exchanged; and

(c) if so, the particulars thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) Pakistan repatriated to India 635 Indian Prisoners of War which included 21 Officers. According to the information received through the International Committee of Red Cross, no more Indian Military and Para Military personnel are held in Pakistani custody. Pakistan has also informed through the ICRC that all the personal belongings of the Indian Prisoners of War were handed over to them at the time of their repatriation.

Upto 15th February, 1974, India has repatriated to Pakistan 50,608 Pakistani Prisoners of War including 1076 Officers, leaving behind 24,580 Prisoners of War still held with us.

According to Delhi Agreement, no time limit has been set to complete the repatriation of Pakistani Prisoners of War from India. The progress of repatriation will depend on the simultaneity of repatriation of Bengalis from Pakistan to Bangladesh and of non-Bengalis from Bangladesh to Pakistan.

The Pakistani Prisoners of War were allowed to take their personal effects with them at the time of their repatriation to Pakistan.

हिन्द महासागर में अमरीकी नौसेना फ्रिगेट वेनब्रिज की उपस्थिति

293. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक तथा प्रक्षेपणास्त्रों से लैस अमरीकी नौसैना फ्रिगेट वहां कैरियर टास्क फोर्स में शामिल होने के लिये हिन्द-महासागर में पहुंच गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं।

(ख) हिन्द महासागर में बाह्य शक्ति की होड़ के प्रति सरकार के विरोध की जानकारी कई एक अवसरों पर सदन में दी जा चुकी है।

देश में प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से प्रभावित बच्चे

294. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री गजाधर मांझी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक वर्ष से छः वर्ष तक की आयु के लाखों भारतीय बच्चे प्रोटीन तथा कलोरी की कमी से प्रभावित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार द्वारा कोई कोई सर्वेक्षण किया गया है; और यदि हां तो ऐसे मामलों में राज्यवार निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में भारत की सहायता करने के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय से भी प्रार्थना की गई है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में देश में छः केन्द्रों में कम आय वर्ग वालों के 18,000 स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों का एक देशव्यापी सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से पता लगा है कि इन बच्चों में से लगभग 30 प्रतिशत बच्चे एक या अधिक पौषणिक कमी वाले रोगों से पीड़ित हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्ष संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6164/74]** ।

(ग) जी, नहीं।

अखिल भारत रक्षा कर्मचारी संघ द्वावारा वर्गीकरण न्यायाधिकरण नियुक्त करने की मांग

295. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत रक्षा कर्मचारी संघ द्वारा सभी रक्षा प्रतिष्ठानों के तकनीकी कर्मचारियों के उचित वेतनमानों में वर्गीकरण हेतु एक वर्गीकरण न्यायाधिकरण नियुक्त करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) वेतन आयोग जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है इस आशय की सिफारिश की है कि चुनी हुई कुछ औद्योगिक स्थापनाओं में सीमित क्षेत्र के विशेषकर औद्योगिक तथा पूर्ण रूप से मानकीकृत कार्य के लिए प्रयोग के तौर कार्य का मूल्यांकन करने के लिए "विशेषज्ञ समितियां" स्थापित की जा सकती हैं ; और सरकार द्वारा यह सिफारिश नवम्बर 1973 में मान ली गई थी । कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से एक "विशेषज्ञ समिति" स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन

296. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस पुनरीक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें असामान्य विलम्ब का क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) समिति की रिपोर्ट मार्च 1497 के अन्त तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

रक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

297. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों को बोनस की अदायगी करने के सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के किसी विभाग के प्राधिकार के अधीन किसी उद्योग में लगी स्थापनाओं में जिनमें रक्षा स्थापनाएं भी सम्मिलित हैं, कार्य कर रहे कर्मचारी बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 की व्यवस्थाओं के अधीन नहीं आते। ऐसे कर्मचारियों को बोनस देने के बारे में कोई नया निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) इस बारे में बढ़ रहे किसी असन्तोष की सरकार को जानकारी नहीं है।

आयुध कारखानों में अंशकालिक मजदूरों को बकाया राशि का भुगतान

298. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में अंशकलिक मजदूरों को (पोस-वर्कर) वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बकाया राशि देने से इंकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, अंशकालि कार्य वाले इन मजदूरों में गहरा असंतोष व्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) अंशकालिक कर्मचारियों ने अभ्यावेदन दिये हैं और इस बात पर वे उत्तेजित हैं।

(ग) यह मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

रक्षा विभाग में वेतन आयोग की शिफारिशें क्रियान्वित करना

299. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों सम्बन्धी वेतन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के बारे में स्पष्ट विषमतायें बतायी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन विषमताओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कोई बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) रक्षा मंत्रालय के अधीन असैनिक कर्मचारियों के कतिपय वर्गों के लिए तृतीय वेतन आयोग द्वारा जिन वेतन मानों की सिफारिश की गई हैं उन में कतिपय असमानताएं बताते हुए अखिल भारतीय कर्मचारी संघ से कई एक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। संयुक्त सलाहकार मशीनरी की विभागीय परिषद की 14 जनवरी, 1974 को हुई बैठक में विचार-विमर्श के दौरान कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा ऐसी असमानताओं की चर्चा की गई थी। अभ्यावेदनों में और विचार-विमर्श के दौरान उठाये गए प्रश्न विचाराधीन हैं।

खेतड़ी तांबा परियोजना

300. श्री राजदेव सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के एक खनन अनुदेशक दल ने राजस्थान में खेतड़ी तांबा परियोजनाओं में खनन तकनीक में क्रांति ला दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खनिज अयस्क तथा मिल के अयस्क के साथ-साथ अन्य अयस्कों का उत्पादन इसके कारण बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें हमारे तकनीशन कनाडा की तकनीक को अपना सकें ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) खेतडो : तांबा परियोजना पर अक्तूबर, 1973 में खनिकों और परिचालकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया था जिसके लिए सेवाए कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के माध्यम से 9 कनाडाई खनन अनुदेश की सहायता प्राप्त की गई थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणाम उत्साहवर्धक रहे। कनाडाई दल द्वारा अपनाई गई खनन तकनीकों से यथार्थ भूछेदन और विस्फोटन तथा खनन उपकरणों का अच्छा रख-रखाव संभव हुआ है जिसके फलस्वरुप सुरंग बनाने के कार्य में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है।

(ख) वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवल खान विकास कार्य शामिल है।

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकांश खनन कार्यों के समावेश का प्रस्ताव है ताकि खनन तकनीकों को प्रमाणीकृत किया जा सके।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के हृदय-रोग एकक में गहन देखभाल

301. श्री राजदेव सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में गत मास के आरंभ में हृदय-रोग एकक में चार बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अतिरिक्त गहन-देख भाल एकक की व्यवस्था की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था राजधानी में एक अत्यन्त आधुनिक हृदय-रोग देखभाल व्यवस्था है; और

(ग) क्या कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के अस्पतालों में भी ऐसे गहन-देखभाल एकक हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) और (ख) जी हां।

(ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा एस० एस० के० एम० अस्पताल तथा एन० आर० एस० मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कलकत्ता में गहन हृदय रोग-देख भाल एकक हैं। बम्बई तथा मद्रास के अस्पतालों के बारे में यही सूचना वहां की राज्य सरकारों से मांगी गई है तथा उसे यथा-समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

इस्पात संयंत्रों में इस्पात एकत्रित होना

302. श्री वयालार रवि : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में लगभग तीन लाख टन इस्पात एकत्रित हो गया है जिसे वहां से उठाया जाना है जबकि देश भर के उद्योग इस्पात की भारी कमी का सामना कर रहे है जिसके फलस्वरुप खुले बाजार में इसके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इतनी बड़ी माता में इस्पात एकवित हो जाने के क्या कारण है और उसकी देश के विभिन्न भागों में शीघ्रता से भेजने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) मुख्यता रेल यातायात में बाधाओं के कारण इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात की तीन लाख टन से अधिक माला जमा हो गई है। ये बाधाएं मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण पैदा हुई थीं। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड रेलवे बोर्ड, इस्पात कारखानों और सम्बन्धित क्षेत्रीय रेलवे से दिन-प्रतिदिन के आधार पर सम्पर्क बनाए हुए हैं। सभी सम्बन्धित अभिकरणों के सक्रिय सहयोग से कलकत्ता में एक विशेष रेलवे यातायात समन्वय कक्ष भी स्थापित किया गया है और स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है और इसकी समीक्षा की जा रही है।

मद्रास हवाई अड्डे पर भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

303. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास हवाई अड्डे से 7 जनवरी 1974 को प्रातः 10.30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरते समय होने वाली भारतीय वायु सेना विमान दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ;

(ख) विमान चालक द्वारा नियंत्रण खो देने के क्या कारण थे ; और

(ग) गत वर्ष के लम्बे अनुभव के बाद अब भविष्य में भारत में विमान दुर्घटनायें न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) उड़ान भरते समय इन्जन में पावर की कमी के कारण चालक ने उड़ान भरना छोड़ दिया। विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और उड़ान-पट्टी से परे चला गया। एक पुलिया से टकराने के पश्चात् विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया।

(ख) दुर्घटना के कारणों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक जांच-अदालत के आदेश दे दिए गये हैं। इस कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) हरेक दुर्घटना की पूरी तरह से जांच-पड़ताल की जाती और इसके निष्कर्षों के आधार पर उपचारी कारवाई की जाती है।

भारत-रूमानिया संयुक्त आयोग

304. श्री सरोज मुखर्जी :
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और रूमानिया के प्रतिनिधियों द्वारा गठित किये गये भारत-रूमानिया संयुक्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) तेल के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे भारत के समक्ष उत्पन्न वर्तमान तेल संकट से क्या राहत मिलेगी; और

(ग) भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयोग स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत की पट्रोल-रसायन सम्बन्धी समस्यायों से निपटने के लिए क्या ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सूरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 14 जनवरी, 1974 को नई दिल्ली में पत्रों के आदान-प्रदान से भारत-रूमानिया संयुक्त आयोग की स्थापना की गई थी। यह आयोग पहले सत्र के बाद अपनी सिफारिश करेगा ; जिसके आयोजन की तारीखों के बारे में दोनों देशों की परस्पर सहमति से निर्णय लिया जाएगा।

(ख) और (ग) विशिष्ट क्षेत्रों पर संयुक्त आयोग अपनी बैठक के बाद ही सिफारिशें करेगा।

भारत-ईरान संयुक्त आयोग

305. श्री नरेन्द्र सिंह :

श्री एम० एस० संजीव राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1974 में भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या उसमें वर्तमान तेल और तेल शोधक कारखानों के क्षेत्र में और अधिक सहयोग करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों पक्षों द्वारा दिए गए सुझावों पर जिनमें तेल और तेलशोधक के क्षेत्र में सहयोग शामिल है, विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि परस्पर सहमत प्रबंधों को अंतिम रूप देने के लिए तेहरान में आगे बातचीत होगी।

Resettlement of Ex-servicemen in Border Areas

306. **Shri Madhavrao Scindia:**
Shri Hamendra Singh Banera:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the views of the Government in regard to the feasiblity of settling ex-servicemen in the sensitive border areas; and

(b) the action taken so far in this regard?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b) The Government have considered the feasibilty of settling ex-servicemen in the sensitive Border areas. At present two schemes of ex-servicemen and their families in Arunachal Pradesh and Great Nicobar Island are in hand. Under these schemes 70 families of ex-servicemen were inducted in Arunchal Pradesh in 1969 and 86 in 1970. In Great Nicobar Island a hundred ex-servicemen and their families were inducted in 1969-70 and 50 more ex-servicemen and their families have sailed for the area on 9th February 1974 from Madras. Another 50 ex-servicemen and their families from Maharashtra and Tamil Nadu are scheduled to sail from Madras for Great Nicobar Island on 23rd February 1974.

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन

307. श्री राम सहाय पांडे :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कि कृपा करें कि :

(क) क्या कुछ समय से देश के सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों में उत्पादन में कमी होने के लक्ष्य नजर आ रहे है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय म उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) और (ख) जी, हां। उत्पादन में कमी मुख्यत: रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल/आन्दोलन के कारण रेल यातायात में गम्भीर बाधा आने के कारण हुई है, जिससे इस्पात कारखानों को कच्चे माल की न्यूनतम आवक के अनुसार उत्पादन में भारी कटौती करनी पड़ी।

न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री के साथ सामुहिक सुरक्षा के मामले पर बातचीत

308. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और न्यूजीलंड के प्रधान मंत्री सामूहिक सुरक्षा पर सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन

309. **श्री पप्पन गौडा** :
श्री पी० आर० शिनाय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या नये प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं; और

(ख) क्या यह प्रोत्साहन सफल सिद्ध हुये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा): (क) सामाजिक आर्थिक विकास से परिवार नियोजन को सबसे अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अतः परिवार नियोजन को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सामाजिक-कल्याण आदि के एक संवेष्टित भाग के रुप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये व्यक्तियों को मजदूरी आदि की हानि के लिये दिए जाने वाले सामान्य मुआवजे के अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक प्रोत्साहन विचाराधीन नहीं है।

(ख) कर्नाटक को दी जाने वाली मुआवजे की धनराशि परिवार नियोजन के अन्तर्गत होने वाली निष्पत्ति पर निर्भर होगी ।

कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग लगाना

310. **श्री पप्पन गौडा** :
श्री पी०आर० शिनाय:

क्या भारी **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य विशेषकर इसके पिछड़े क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में कोई भारी उद्योग लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

भारी उदयोग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में सरकारी क्षेत्र में किसी भारी उद्योग के स्थापित किये जाने का कोई विचार नहीं है ।

रेलवे वैगनों का निर्माण

311. **श्री वेकारिया** :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जो भारत में रेलवे वैगनों का निर्माण कर रही हैं;

(ख) इन कम्पनियों ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने वैगन बनाये ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कम्पनियों ने कुल कितने वैगनों का निर्यात किया ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाली कंपनियों के नाम निम्न: लिखित—

1. मे० अर्थर बटलर ऐण्ड कं०, (इंडिया) लि०, कलकत्ता
2. मे० बृज ऐण्ड एफ० कं० लि० कलकत्ता
3. मे० ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग, कं०, लि०, कलकत्ता
4. मे० ब्रेथवेट ऐण्ड कं०, (इंडिया) लि०, कलकत्ता
5. मे० बर्न ऐण्ड, कं०, लि०, कलकत्ता
6. मे० सेंट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग कं०, भरतपुर
7. मे० हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली
8. मे० इण्डिया स्टैंडर्ड वैगन कं०, लिमिटेड, कलकत्ता
9. मे० जेशप एण्ड कं० लि०, कलकत्ता
10. मे० के० टी० स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, बम्बई
11. मे० मैकेंजीज़ लिमिटेड, बम्बई
12. मे० मार्डन इण्डस्ट्रीज, साहिबाबाद (गाजियाबाद)
13. मे० रेमन इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, कलकत्ता
14. मे० साउदर्न स्ट्रक्चरल्स लि०, मद्रास
15. मे० सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, कानपुर
16. मे० टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लि०, 24 परगना, कलकत्ता

उपरिलिखित सोलह कम्पनियों में से पांच बन्द है। इनके अलावा रेल मंत्रालय के अधीन मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाली तीन विभागीय कार्यशालाएं हैं

(ख) गत तीन वर्षों में निर्मित किये गये चार पहिए वाले मालगाड़ी के डिब्बों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

1970-71	1971-72	1972-73
	(चार पहियों वाले मालगाड़ी के डिब्बों के आंकड़े)	
8964.5 . . .	6543.5	8987
	171 (डिपाजिट वर्क्स)	672 (डिपाजिट वर्क्स)

रेलवे कार्यशालाओं में मालगाड़ी के डिब्बों का उत्पादन 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में क्रमश: 2160, 1989 तथा 1874 (चार पहिए वाले) रहा है।

(ग) गत तीन वर्षों में निर्यात किये गये मालगाड़ी के डिब्बों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

1970-71	1971-72	1972-73
108	763	689

Deaths due to Cold Wave

312. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari:**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the winter season was colder this year as compared to previous years;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the number of persons died of cold wave in various parts of the country state-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) This winter season was colder than normal. It was also colder than the previous five years in many parts of the country.

(b) (i) Long spell of very low day temperatures in Punjab, Haryana, Delhi and adjoining West Uttar Pradesh from 18th to 30th December, 1973;

(i) Very low night temperatures in the first two weeks of February in North India; and

(iii) Some stations in Rajasthan registered night temperatures below the lowest on record.

(c) Information regarding deaths due to cold is not available as such deaths are not notifiable.

Death in Irwin Hospital, New Delhi, due to Wrong Injection

313. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Health and Planning** be pleased to state:

(a) whether a patient died in Irwin Hospital on the 16th January, 1974 because of administration of a wrong injection; and

(b) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) No.

(b) Does not arise.

जाली औषधियों का पता लगाना

314. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 दिसम्बर, 1973 के मध्य में जाली औषधियों का पता लगाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) सरकार ने जाली औषधियों की सप्लाई और बिक्री को रोकने के लिये क्या ठोस कदम उठाये है; और

(ग) उठाये गये इन कदमों के क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) घटिया और नकली दवाइयों के बनाने और बेचने पर रोक लगाने के लिए पहले ही निम्नलिखित कदम उठाए जा चुके हैं :—

मिलावटी दवाइयों को बनाने और बेचने पर रोक लगाने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में दण्ड की व्यवस्था है। बिना लाइसेंस वाले औषधि निर्माताओं को, जो आमतौर पर नकली

दवाइयों के बनाने और बेचनेका धंधा करते हैं, समाप्त करने के लिए लाइसेंस शुदा औषध निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची छाप दी गई है जो नाम मात्र मूल्य पर सभी संबंधित व्यक्तियों को आम उपलब्ध है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने यहां नकली दवाइयों के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए पुलिस अधिकारियों से घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखें और अपने अपने औषधि निरीक्षणालयों के कर्मचारियों तथा परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि करें। दवा बनाने और बेचने के सही तरीकों का पालन करने का सुनिश्चित करने के लिए और नकली दवाइयों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए दवा बनाने वालों और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसिएशनों से सहायता और सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

देश के विभिन्न भागों में सेमिनार और तकनीकी परिचर्चाएं आयोजित की जाती हैं ताकि औषधी निर्माताओं की जानकारी को आधुनिकतम बनाया जा सके। केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा औषधि निरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए औषध निरीक्षकों की तकनीकी योग्यता की भी आधुनिकतम बनाया जाता है।

केन्द्रीय और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क बनाए रखने के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गाजियाबाद में स्थापित किए गए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के केन्द्रीय औषधि निरीक्षक, राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों की उनके काम में सहायता करते हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों का एक खास काम यह है कि वे मिलावटी दवाइयों के लाने लेजाने की जांच पड़ताल करें खासकर जबकि वे एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाई जा रही हों और यह सुनिश्चित करें कि अन्तर्राज्य व्यापार में बिकने वाली औषधियां हर हालत में मानकों के अनुसार ही हों।

अनिवार्य और प्राण रक्षक औषधियों का निर्माण करने वाली फर्मों का निरीक्षण केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन के औषधि निरीक्षण कार्यालय द्वारा राज्य औषधि निरीक्षणालय से मिलकर किया जाता है। जहां कहीं दवा-निर्माण की व्यवस्था उत्तम नहीं होती वहां दवाइयों के निर्माण करने के लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बद्ध केन्द्रीय निरीक्षणालय के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा अन्तर-राज्य वाणिज्य में प्रचलित अनिवार्य और प्राण रक्षक औषधियों के नमूने एकत्र करने का एक नियोजित कार्यक्रम देश भर में चलाया गया है।

केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता, भारतीय औषधकोष की केन्द्रीय प्रयोगशाला, गाजियाबाद और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में उपलब्ध परीक्षण सुविधायें राज्य सरकारों के लिए भी सुलभ करा दी गई हैं। घटिया दवाइयों की परीक्षण रिपोर्टों पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाता है और खराब रिपोर्टों के बारे में तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उन से आग्रह किया जाता है। जो फर्मे सरकारी और अन्य संस्थानों में दवाइयां सप्लाई करती हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। केन्द्रीय और राज्य औषधि निरीक्षकों द्वारा, अस्पतालों द्वारा खरीदी गई, स्टोर की गई और बांटी गई दवाइयों की कई बार निगरानी की जाती है। औषधि नियंत्रण संगठन किस प्रकार कारगर ढंग से अपना कर्त्तव्य निभा सकता है, इस के बारे में राज्यों को सूचित कर दिया गया है और उन्हें तदनुसार अपने संगठन को सुव्यवस्थित करने की सलाह दे दी गई है।

(ग) चूंकि यह धंधा चोरी-छिपे किया जाता है, इसलिए अब तक उठाए गए कदमों के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है। फिर भी, यदि राज्य सरकारों द्वारा उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित कदमों को सख्ती से उठाया गया तो नकली दवाइयां बनाने की घटनायें बहुत कम हो सकती हैं।

दिल्ली क्लाथ मिल्स में हड़ताल

315. श्री इसहाक सम्भली :

श्री इंद्रजीत गुप्त :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्लाथ मिल्स के कर्मचारियों ने 4 दिसम्बर, 1973 से हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी हैं; और

(ग) क्या प्रबन्धकों ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्र. (श्री ब.ल गोविंद वर्मा): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली क्लाथ मिल्स के श्रमिकों ने दिसम्बर 4, 1973 से अपनी मांग के समर्थन में, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, पहले अप्रैल-मई, 1973 में हुई हड़ताल की अवधि से सम्बन्धित मजूरियों से सम्बन्धित थी, अन्दर बैठे रहो हड़ताल की। प्रबंध-तंत्र ने श्रमिकों द्वारा की गई अभिकथित तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण दिसम्बर, 23, 1973 से तालाबन्दी की घोषणा की। यह तालाबन्दी, दिल्ली प्रशासन द्वारा जो कि इस मामले में मुख्यतः सम्बन्धित थे, भारत रक्षा नियमों के नियम 119 को लागू करके 14 जनवरी, 1974 को उठा दी गई।

दिल्ली में जाली औषध कारखानों का पता लगाना

316. श्री इसहाक सम्भली :

श्री राम प्रकाश :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में अनेक जाली औषध कारखानों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन के औषधि नियंत्रण कार्यालय ने 26-12-73 को 10/11 रमेश नगर, नई दिल्ली स्थित मकान पर छापा मारा जहां पर श्री प्रेम कुमार और श्री सुरेन्द्र कुमार नामक दो व्यक्तियों को दवाइयां बनाते पाया गया। उनके पास दवा बनाने का कोई लाइसेंस नहीं था। उनके मकान से दवाओं के 12 नमूने और कच्चे माल के पांच नमूने विश्लेषण हेतु लिये गये। वहां पर जो दवाइयां बनाई जा रही थीं उनमें कैप्सूल गोलियां और इन्जेक्शन भी थे। बहुत सा कच्चा माल, पैक करने की सामग्री, बहुत बड़ी संख्या में प्लास्टिक की बोतलें, लेबल दवाइयां बनाने की मशीनें और दवाओं की विपुल राशि वहां से पकड़ी गई। पुलिस थाने में केस दर्ज करा दिया गया तथा दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नमूनों को भारत सरकार के विश्लेषक के पास विश्लेषणहेतु भेज दिया गया है।

2. श्री प्रेम कुमार ने सूचना दी कि दो अन्य व्यक्ति भी नकली दवायें बनाने के धन्धे में लगे हुए हैं। श्री अमर नाथ शर्मा, के टी-16 राजौरी गार्डन स्थित मकान पर 5-1-74 को छापा मारा गया। उनके पास लेबलों और कैप्स्यूलों के नाम छापने वाली आधुनिक मशीनों के अलावा खाली बोतलें, कैप्स्यूल और दवा की शीशियां थीं। सभी मशीनों और अन्य सामग्री को कब्जे में ले लिया गया तथा श्री अमर नाथ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया।

3. श्री पूरन लाल आहुजा के 1750, नूरगंज, आजाद मार्किट, दिल्ली वाले मकान पर 6–1–74 को छापा मारा गया और एक दवा का नमूना विश्लेषण हेतु ले लिया गया तथा कैप्स्यूलों के स्टाक और प्लास्टिक की खाली बोतलों को कब्जे में ले लिया गया। श्री पूरन लाल आहुजा के पास दवाइयां बनाने का कोई लाइसेन्स नहीं था। पुलिस थाने में केस दर्ज करा दिया गया और श्री आहूजा को गिरफतार कर लिया गया।

4. सूचना मिलने पर दिल्ली के 1651, त्रिनगर स्थित मकान पर 8–1–74 को छापा मारा गया जहां श्री मदन लाल सिंधल दवाइयां बनाने का धंधा कर रहा था, जिनके पास दवाइयां बनाने का कोई लाइसेंस नहीं था वहां से तीन दवाओं के नमूने और एक का कच्चा माल विश्लेषण हेतु ले लिया गया। थीवरीय, दूसरा साज-सामान तथा दवाओं का स्टाक कब्जे में ले लिया गया। श्री मदन लाल सिंधल उनकी पत्नी श्रीमती जमुना देवी और उनके छोटे भाई मंजीत राय के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया गया।

तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार रक्षा कार्मिकों का वेतन नियतन

317. श्री शंकरराव सावंत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय वेतन आयोग का प्रतिवेतन मिलने के बाद रक्षा कार्मिकों के वेतन-मान नियत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो फ्लाईंग, नेवीगेशनल तकनीकी और प्रशासनिक पक्षों में काम करने वाले भारतीय वायुसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पुराने तथा नए वेतन-मान क्या हैं;

(ग) इन में से प्रत्येक वर्ग को देय पुराने तथा नए भत्ते तथा भत्तों की राशि क्या है; और

(घ) किस तिथि से ये वेतन-मान और भत्ते देय हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन, ये अभी विचाराधीन हैं।

(ख) से (घ) पुराने वेतन-मान तथा भत्ते, "सेवा शर्तें 1973" नामक पुस्तक में दिए गए हैं जो रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1972–73 के साथ प्रस्तुत की गई थी। नंए वेतन-मान तथा भत्ते और वे किस तारीख से देय होंगे, इन पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

विदेशों के रक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण

318. श्री शंकरराव सावंत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम विदेशों के रक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के प्रशिक्षार्थियों का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हम इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फीस लेते हैं, यदि हां, तो कितनी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) भारत सरकार की यह नीति है कि मित्र देशों की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को हमारी रक्षा स्थापनाओं में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएं। तथापि, हमारी सुविधाएं सीमित हैं और सभी अनुरोधों को मानना कठिन हो जाता है। कुछ देशों के साथ हमारे पारस्परिक समझौते हैं। इस संबंध में आगे और ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

बम्बई के कपड़ा कारखानों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

319. श्री शंकरराव सावंत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के कपड़ा कारखानों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कर्मचारी कब से, कितनी संख्या में और किन कारणों से हड़ताल पर हैं;

7—38 LSS/73

(ग) हड़ताल का राष्ट्र की आन्तरिक आर्थिक स्थिति तथा इसके निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा ; और

(घ) इस हड़ताल को समाप्त कराने के लिये क्या प्रयत्न किये गये और इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार बम्बई के कपड़ा श्रमिकों का एक भाग ने 425 रुपये प्रति मास की न्यूनतम मजदूरी संबंधी अपनी मांग के समर्थन में और 7-दिवसीय कार्य-सप्ताह प्रणाली के विरोध में 30 दिसम्बर, 1973 से हड़ताल कर दी। सूचना मिली है कि हड़ताल समाप्त कर दी गई है।

Recruitment of Minority Communities in Bihar Regiment

320. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether people of all castes and communities have got the right to join army ;

(b) if so, whether people belonging to the minority communities are not recruited in Bihar Regiment at Danapur :

(c) if not, the number of persons recruited in Bihar Regiment during 1971-72 and 1972-73 respectively and the number of persons belonging to minority communities among them; and

(d) the action taken by Government to ensure that persons belonging to minority communities are recruited in the Army?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes, Sir, except where the prescribed class-composition does not so permit, in respect of certain Regiments.

(b) No, Sir. People belonging to the minority communities are recruited in the Bihar Regiment, except for Muslims, as the prescribed class-composition of this Regiment excludes them. Bihari Muslims are, however, recruited to certain other Regiments in the Army.

(c) These figures are as under :

	1971-72	1972-73
Biharis	1,307	110
Oriyas	19	5
Adivasis	1,074	96
	2,400	211

(d) The following steps are taken to step up recruitment of minority communities in general in the Army :—

(i) More recruiting tours into the interior are made.

(ii) Intensive publicity drives are organised to attract greater numbers of volunteers.

Work suspended on Third Blast Furnace in Bokaro

321. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri D. D. Desai :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the nation is suffering heavy loss on account of suspension of construction work on the third blast furnace in Bokaro ;

(b) if so, the causes for suspension of construction work; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to remove these causes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) There is no suspension of contruction work on the blast furnace.

(b) and (c) Do not arise.

Prices for Coking Coal and Soft Coke

322. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased state :

(a) whether some prices have been fixed for coking coal and softs coke;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the price per tone of each variety?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The current prices of soft coke and coking coal per tonne are given below. The prices are ex-despatching point.

(i) *Soft Coke*

	Rs.
Superior Grade	72
Ordinary Grade	60

(ii) *Cocking Coal.*

Prices varies between Rs. 42·18 and Rs. 87·95 depending upon the grade of coal.

चीनी उद्योग में अकुशल कर्मचारियों को रिटेनिंग एलाउंस

323. श्री सी० जनार्दनन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग में अकुशल कर्मचारियों को रिटेनिंग एलाउंस दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में चीनी उद्योग में अर्धकुशल श्रमिकों को दिए जाने वाले रिटेनिंग एलाउंस के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। तथापि हाल ही में 6 दिसम्बर 1973 को हुई बैठक में श्रमिको और नियोजको दोनो के ही प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार किया कि नए मजदूरी ढांचे लागू होने तक सभी चीनी कारखाने अर्धकुशल श्रमिकों को उनके द्वारा पिछले पेराई मौसम में प्राप्त की गई मूल-मजदूरी और महंगाई भत्ते के 8⅓ प्रतिशत की दर से रिटेनिंग एलाउंस का (आगामी गैर-मौसम में) भुगतान करेंगे। यह पहले से ही प्रचलित उन उच्चतर दरों पर यदि कोई हों बिना प्रतिकूल प्रभाव डालने के होगा।

इस्पात संयंत्र द्वारा दिया गया विलम्ब शुल्क

324. श्री पी० जनार्दनन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात संयंत्रों द्वारा दिये गये विलम्ब शुल्क में गत तीन वर्षों में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे इस्पात संयंत्रों के नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी हां। यह बात भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला और 'टिस्को' तथा 'इस्को' के सभी मुख्य इस्पात कारखानों पर लागू होती है। वर्ष 1971-72 में भिलाई द्वारा विलम्ब शुल्क के रूप में दी जाने वाली राशि में कमी आ गई थी परन्तु 1972-73 में इसमें पुन: वृद्धि हो गई। विलम्ब शुल्क देने के कई कारण है जैसे—बिना विलम्ब शुल्क के माल छुड़ाने की अवधि पर्याप्त न होना; संबंधित रेलवे यार्डों में प्रवर्तमान सुविधाओं तथा परिचालन व्यवस्था की तुलना में इस्पात कारखानों के यार्डों का अभिन्यास; तथा सुविधाओं की अपर्याप्त इस्पात कारखानों में आने वाले तथा इनसे बाहर जाने वाले माल की गति में असमानता; रेल गाड़ी में मिला जुला माल होना; तथा बंचिंग की घटनाओं की बहुलता; रेल गाड़ियों का चार्ज संभालने और चार्ज देने में निर्धारित कार्यक्रम का पालन न होना; दोषयुक्त डिब्बों की बहुलता; गाड़ियों का मार्शलिंग ठीक न होना; लाको पावर की कमी; तथा श्रमिक अशान्ति आदि आदि।

Languages used in U.N.O.

325. **Shri Jagannathrao Joshi:**

Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the names of the languages used in the U.N.O. and the names of the countries where each of them is spoken indicating the number of persons speaking the said languages separately;

(b) the number of countries where Hindi is spoken indicating the number of persons speaking Hindi;

(c) when and how the Arabian language could find a place in the U.N.O.; and

(d) the action now being taken to enable Hindi to get a place in U.N.O. through similar efforts?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) English, French, Spanish, Russian, Chinese and Arabic are the official and working languages of the General Assembly of the UN and its main committees. Details are given in Annexure 'A'.

(b) One (India). However, Hindi is also spoken by many persons of Indian origin living in other countries. Exact statistics are not readily available.

(c) During its 28th session in 1973 the General Assembly decided to include Arabic among the official and working languages of the General Assembly.

Arabic is the official language of 19 member countries of the U.N. Prior to its adoption as an official and working language of the U.N. it had already been adopted as such in several specialised agencies.

(d) Any addition to the list of official and working languages of the UN General Assembly requires an amendment of the Rules of Procedure supported by a majority of the members present and voting. In the circumstances, it is not considered opportune to take up the question of adopting Hindi as an official language of the UN.

ANNEXURE 'A'

English . . . Spoken by over 300 million people spread over the continent of North America, the United Kingdom, Australia, New Zealand etc. It is also spoken in many countries in Asia and Africa which were formerly British colonies.

French . . .	Information regarding the number of people speaking French is not readily available. French is the official language in France and is one of the official languages in Belgium, Switzerland and Canada. It is spoken in former French possessions in West and North Africa and elses where.
Russian . . .	Spoken and nearly 200 million people spread over the USSR and Eastern Europe.
Spanish . . .	Spoken by over 175 million people in Spain and Latin America.
Chinese . . .	Spoken by over 700 million people in China.
Arabic . . .	It is currently spoken by more than 120 million people. It is the official language of 19 member States of the UN.
Note . .	(No. official figures are available. The estimated figures given above have been collected from year books and encyclopedias).

Persons of Indian Origin Residing Abroad and Languages Spoken by Them

326. Shri Jagannathrao Joshi:
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the countries where persons of Indian origin reside and their number, country-wise;

(b) the names of the Indian languages spoken by them and the number of persons speaking each of the languages, country-wise; and

(c) the efforts being made to promote Indian languages, Indian thought and culture in those countries?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) & (b) A statement showing names of countries, where there is major concentration of persons of Indian origin, their approximate number and the Indian languages mainly spoken by them, is placed on the Table of the House.

(c) A vast majority of the persons of Indian origin shown in the statement, are nationals of the countries in which they live and, therefore, the promotion of their cultural activities is the responsibility of their Governments.

However, the Government have also undertake a variety of activities for the promotion of Indian thought, culture and language, such as the setting up of Indian cultural centres, Establishment of chairs and centres of Indian Studies (including languages), publication of books and periodicals on various aspects of Indian life and culture, and award of research grants and scholarships for study in India.

STATEMENT

Sl. No.	Name of the Country	Approx. No. of persons of Indian origin	Main language Group
1	Caribbean	10,00,000	Hindi & Gujarati.
2	Sri Lanka	9,75,000	Tamil, Telugu.
3	Malaysia	9,50,000	Tamil, Malayalam, Telugu, Punjabi, Sindhi, Gujarati and Bengali.

Sl. No.	Name of the Country	Approx. No. of persons of Indian origin	Main longuage Group
4.	South Africa	6,00,000	Gujarati, Hindi.
5.	Mauritius	5,50,000	Hindi, Gujarati, Tamil, Telugu.
6.	U.K.	5,00,000	Almost all Indian languages.
7.	Fiji	2,73,000	Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Gujarati and Punjabi.
8.	Burma	2,00,000	Tamil, Telugu.
9.	Singapore	1,30,000	Tamil, Malayalam, Telugu, Punjabi, Sindhi, Gujarati and Bengali.
10.	Kenya	1,08,000	Gujarati, Punjabi & Hindi.
11.	Tanzania	1,02,000	Do.
12.	U.S.A.	80,000	Almost all Indian languages.
13.	Canada	40,000	Hindi, Punjabi and Gujarati.

Monopoly in manufacture of jeeps

327. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether there is only one company which manufactures jeeps in the country, and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to end the monopoly in this field ?

The Deputy Minister in the Ministery of heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) In addition to M/s. Mahindra & Mahindra Ltd., Bombay who are the only manufacturers of Jeeps in the private sector, Jeeps are also manufactured by the Defence Department at their Jabalpur Factory for meeting a part of the Defence requirements.

(b) No other worthwhile proposal for undertaking manufacture of Jeeps has been received by Government. The existing installed capacity for Jeeps is also adequate to meet the demand.

मूंगफली के तेल में मिलावट

328. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972-73 में कभी देश में मुंगफली के तेल में मिलावट किये जाने का संदेह हुआ है तथा ऐसा माल पकड़ा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके राज्यवार तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत स्थित पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति

329. डो० बी० चन्द्रगौडा :

श्री धनशाह प्रधान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि दिसम्बर 1973 तक पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर वेतन की अग्रिम राशि और अन्य व्यय के ऊपर भारत द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति के जिस प्रश्न को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया था उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जनैवा कन्वेन्शन के अनुसरण में भारत सरकार ने पाकिस्तान से निवेदन किया था कि वह, युद्धबंदियों को अग्रिम वेतन देने और संरक्षण हिरासत के अन्तर्गत असैनिकों को मासिक भत्ता देने पर किये गये खर्च का भुगतान करे। लेकिन पाकिस्तान ने इस बारे में अपनी जिम्मेदारियों को अभी तक पूरा नहीं किया है। सरकार ने इस मामले को एक बार फिर पाकिस्तान के साथ उठाया है ।

Production and consumption of scrap iron in Mini Steel Plants

330. Shri Atal Bihari Vajpayee :

Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the quantum of production and consumption of usable scrap-iron in the mini steel plants in each State during the last three years, year-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पाकिस्तान के लिए फ्रान्सीसी पनडुब्बियां

331. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस आशय के प्रेस समाचार देखें हैं कि फ्रान्स पाकिस्तान के लिए पनडुब्बियां बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) 23 जनवरी, 1974 को पैरिस से जारी किए गये इन समाचारों को सरकार ने देखा है जिसमें सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि फ्रांस पाकिस्तान के लिए पनडुब्बियां नहीं बना रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक संबंधों के बारे में सम्मेलन

332. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री राजा कुलकर्णी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक संबंधों के बारे में एक सम्मेलन गत जनवरी, 1974 में नई दिल्ली में आयोजत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधियों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ग) सम्मेलन में किन किन बातों पर चर्चा हुई; और

(घ) उस में क्या सिफारिशें की गई तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अनुमानतः, संकेत नियोजकों के अखिल भारतीय संगठन, नई दिल्ली और भारतीय नियोजक महां संघ, बम्बई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, 24 और 25 जनवरी, 1974 को नई दिल्ली में हुए औद्योगिक संबंध सम्मेलन की ओर है। इसका उद्‌घाटन श्रम मंत्रीजी द्वारा किया गया था।

(घ) सरकार को इस सम्मेलन की शिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

कारों और स्कूटरों का आबंटन

333. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कोटे से मोटरकारों तथा स्कूटरों के आवंटन के बारे में वेतनमानों के पुनरीक्षण के पश्चात् हाल में आदेश जारी किये हैं।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन आदेशों का ऐसे अधिकारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने पूर्व पात्रता सीमाओं के अन्तर्गत 3-4 वर्षों में मोटरकारों और स्कूटरों के आवंटन के लिए मंत्रालय में अपने नाम दर्ज कराये हैं; और

(घ) क्या इन अधिकारियों को अब जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उनको दूर करने के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि उन्होंने कारों/स्कूटरों के आवंटन के लिए खुले बाजार में अपने नाम दर्ज नहीं कराये थे?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

कारें:—

(क) जी हां।

(ख) कारों के अनुरक्षण-व्यय में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरुप पुराने वेतन क्रम में न्यूनतम वेतन पात्रता 1250 रु० प्रतिमास तक बढ़ा दी गई है।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं, ऐसे अधिकारियों के बारे में जिनका नाम कारों के आवंटन के लिए मंत्रालय में पहले से पंजीकृत है जब भी वे अपेक्षित न्यूनतम वेतन लेना शुरू करेंगे, आवंटन हेतु विचार किया जायेगा। इसके अलावा उपर्युक्त (ख) में उल्लिखत कारणों से कोई कठिनाई आने की संभावना नहीं है।

स्कूटर :

(क) केन्द्रीय सरकार के कोटे से स्कूटरों के आवंटन के लिए पंजीकरण हेतू न्यूनतम वेतन पात्रता की शर्त में संशोधन करने के बारे में जो आदेश 31-12-1973 को जारी किए गए थे वे रद्द कर दिए गए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

संसत्सदस्यों द्वारा गणतंत्र दिवस परेड के निमंत्रण-पत्र को वापिस करना

334. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसत्सादस्यों ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए जारी किए गए अपने निमंत्रण-पत्र वापस कर दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) टिकट प्रणाली के परिणाम स्वरूप आम जनता का परेड से तथा कथित बहिष्कार के विरोध में कुछ माननीय सदस्यों ने कार्ड वापस किये थे। इसके उत्तर में यह बताया गया था कि अब आम जनता को विशिष्ट व्यक्तियों के पास कार्ड के लिए पहुंचे बिना ही बैठने के स्थानों में जाना संभव हो गया है।

मरमागाव पत्तन में मजदूरी के काम की शर्तों के बारे में अदालती जांच

335. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से मरमागाव पत्तन में गोदी मजदूरीके काम की शर्तों के बारे में अदालती जांच करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) मोर्मुगाओ पत्तन के पंजीकृत गोदी श्रमिकों की कार्यदर्शाओं की न्यायिक जांच करनेहेतु कोई प्रार्थनाप्राप्त नहीं हुई है। तथापि गोवा, दमन और दीव सरकार का यह विचार है कि वह ऐसी नौकाओं पर काम करने वाले श्रमिकों के बीच, औद्योगिक अशान्ति के कारणों की जांच करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक सदस्यीय जांच न्यायालय का गठन करे, जो खनन क्षेत्रों से मोर्मूगाओं पत्तन को अयस्क लाती हैं।

Labour Courts in Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra

336. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number and locations of Labour Courts in Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra at present;

(b) the number of labour cases filed therein during the last three years, the number of cases disposed of as also of those still pending;

(c) whether some labour unions have demanded more labour courts to be set up and if so, the names of those labour unions and the names of the places for which such courts have been demanded; and

(d) the number of districts and tehsils as also the area in miles that come under the jurisdiction of a labour court as also the number of industries having more than 20 employees, which come under the purview of a labour court?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) So far as Maharashtra and Gujarat are concerned there are three Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts—two in Bombay and one in Jabalpur. The Central Government also utilitles the services of the State Government Tribunals/Labour Courts in the different States.

(b) So far as the above three Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts are concerned, the information is as follows.—

(i) No. of cases/applications filed during 1-1-71 to 31-12-73	179/12888
(ii) No. of cases/applications disposed of during 1-1-71 to 31-12-1973.	179/10741 (These include carried forward cases/applications from previous years)
(iii) No. of cases/applications pending as on 31-12-1973.	71/4738

(c) According to the available information no such demands have been received for more Labour Courts in these States.

(d) Except for purposes of Section 33 C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts have All India Jurisdiction. So for as Section 33 C(2) is concerned their jurisdiction is as follows :—

Labour Courts Bombay.— The State of Maharashtra (Excluding the districts of Akola, Buldana, Amraoti, Yeotmal, Wardha, Chanda, Nagpur and Bandara) and the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

Labour Court, Jabalpur.— The States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

Deposit of Employees Provident Fund by Plantation Owners of Manipur and Tripura

337. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3716 on the 6th December, 1973 regarding Deposit of Employees Provident Fund by plantation owners of Manipur and Tripura and state :

(a) whether arrears of provident fund amounting to Rs. 3.35 lakhs against 31 tea plantations in Tripura have since been realised; and

(b) if not, the reasons for delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The Provident Fund Authorities have reported that the information is being collected. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Seizure of Steel meant for sale in blackmarket

338. **Shri M. C. Daga :**

Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to State :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the news reported in the Press about seizure of two truck-load of steel for being sold in blackmarket in the last week of December, 1973;

(b) if so, whether Government have taken action under any law against any person and if so, when; and

(c) the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c) Two truck loads of Mild Steel Rounds were seized in Delhi on 26-12-73. Supplies of Iron and Steel materials have already been suspended to two units suspected of mis-utilisation of steel, under the Iron and Steel (Control) Order 1956. A case has also been registered with the Police authorities, who are conducting further investigations to prosecute those concerned under the Essential Commodities Act, 1955.

Implementation of Recommendations of National Commission on Labour

339. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4686 on the 13th December, 1973 and state :

(a) whether Government have made any progress in the examination of other recommendation of the report of the National Commission on Labour ; if so, the recommendations accepted by Government ;

(b) the recommendations which were not accepted ; and

(c) whether the recommendations accepted by Government have been implemented ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) to (c) A statement giving ther equired information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No L. T.* 6165/74]

कुछ भारतीय और विदेशी एजेन्सियों द्वारा मानव-रक्त की खरीद और उसका निर्यात

340. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय अथवा विदेशी एजेन्सियां मानव-रक्त की खरीद करती हैं और उसका निर्यात करती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) क्या इस घृणित व्यापार के विरुद्ध प्रभावी और अविलम्ब उपाय करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो सरकारी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुआ है ?

स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) निर्यात नियंत्रण आदेशों के अनुसार पूर्ण रक्त और प्लाज्मा तथा एर्न्टी डी सीरम के निर्यात पर इस समय पाबन्दी लगी हुई है। फिर भी, कुछ प्लाज्मा फ्रेक्शन निर्यात किए जा रहे हैं : सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) बम्बई द्वारा एकत्रित सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के बीच निर्यात किए गये रक्त-डिरिवेटिव इस प्रकार है :--

	रुपये
1970-71	1,75,302
1971-72	1,71,845
1972-73	6,78,013

(ग) रक्त के सभी डिरिवेटिवों पर पूरी पाबन्दी लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के शेयर-धारी

341. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कोयला खानों (कोकिंग तथा गैर-कोकिंग) के शेयर-धारियों ने व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से सरकार से मांग की है कि वह राष्ट्रीयकरण से पूर्व उनके शेयरों के आधार पर उनको समुचित तथा न्यायसंगत मुआवज़ा दें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी हां। 1972 और 1973 के दोनों राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के अधीन कोक्कर और अकोक्कर कोयला खानों और कोक भट्टी कारखानों के मालिकों के अधिकार, हक और हित सरकार में निहित हैं। व्यक्तिगत शेयर आदि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। अतः देय राशि का अंशधारियों को सीधे भुगतान नहीं किया जा सकता है।

डुबाई सरकार द्वारा भारतीय अप्रवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार

342. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री० सी० एच० मोहम्मद कोया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डुबाई सरकार ने भारत से 315 अप्रवासियों को एक छोटी नौका में भर कर अत्यंत अमानवीय ढंग से वापस स्वदेश भेज दिया तथा बाद में वह नौका डूब गई जिससे 163 व्यक्ति मारे गये और जीवित बचे 152 व्यक्तियों को जेल में बन्द कर दिया ;

(ख) इस प्रकार विदेश गमन की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर डुबाई सरकार से बातचीत की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को सुलभ सूचना के अनुसार 216 व्यक्ति, जिनमें अधिकांश भारतीय समझे जाते हैं, पिछले दिसम्बर में शरजाह पहुंचे और चूंकि उनके पास यात्रा-पत्र नहीं थे, इसलिए अरब अमीर राज्य संघ ने उन्हें अवैध अप्रवासी घोषित कर दिया और मोटर बोट (लांच) से निष्कासित कर दिया। वह मोटरबोट शरजाह समुद्र तट पर उलट गई और समझा जाता है कि लगभग 46 भारतीय और 3 गैर भारतीय डूब गए बाकी बचा लिए गए। बाकी बचे 137 व्यक्ति जांच-पड़ताल पूरी होने तक अरब अमीर राज्य की जेल में हैं।

(ख) और (ग) इस घटना के बाद से इस क्षेत्र में हमारा मिशन अरब अमीर राज्य संघ के अधिकारियों के साथ संपर्क में है और जांच -पड़ताल अभी चल रही है।

गम्भीर रूप से संकटग्रस्त कोरवा संयंत्र

343. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन का 'कोरवा' संयंत्र गंभीर रूप से संकटग्रस्त है क्यों कि एल्यूमिनि का कोई खरीदार नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संकट के कारणों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के कोरबा एल्यमिना संयंत्र में लगभग 12,000 टन कैल्साइन्ड एल्यूमिना तथा एल्यूमिना हाइड्रेट जमा हो जाने से नवम्बर, 1973 के मध्य से उत्पादन निलम्बित कर दिया गया था। गत 21 जनवरी, 1974 से संयंत्र द्वारा उत्पादन पुनः चालू हो गया है।

इस बीच, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को स्वदेश में ही लगभग 10,000 टन ऐल्यूमिना के आडर प्राप्त हुए हैं जिनमें एक विदेशी पार्टी से 1,000 टन एल्यूमिना का आडर भी सम्मिलित है। रुस ने भी 1974 के दौरान 50,000 टन एल्यूमिना खरीदने की इच्छा व्यबत की है। रुस के साथ प्रस्तावित सौदे की शर्तों में इस समय रुसी लोगों तथा भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के बीच वार्ता चल रही है। भारत एल्यूमिनियम कम्पनी विदेशों से अन्य आर्डर्स प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा 500 मेगावाट का विद्युत जनरेटर चालू किया जाना

344. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा भारत में ही निर्मित भारत का पहला 500 मैगावाट का विद्युत जेनरेटर चालू किया जा रहा है ;

(ख) क्या इसके लिए भारतीय इन्जीनियरों तथा तकनीशियनों को समुचित संचालन कुशलता प्राप्त करनी होगी ; और

(ग). यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विदेशी सहायता प्राप्त की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) देश में पहली बार बनाए गए 500 मे० वा० के बिजली जनित्रण सेट के चालू होने के बारे में कुछ भी कहना समयपूर्व होगा क्योंकि यहां तक कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना में किसी स्थान पर 500 मे० वा० के जैनरेटर बनाने की कोई परियोजना नहीं है। फिर भी पाचवीं पंच वर्षीय योजना के अंत तक अथवा छठी योजना के प्रारम्भ में होने वाली 500 मे० वा० वाले जनित्रणों की संभावित मांग पर विचार करते हुए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड 500 मे० वा० वाले जनित्रणों का देश में ही विकास करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। 500 मे० वा० वाले सेट के परिचालन के लिये बिजली घरों के संबंधित इंजीनियरों और तकनीशियनों को निश्चय ही आवश्यक दक्षता प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार की दक्षता का विकास कैसे किया जायेगा इस प्रश्न पर संबंधित विद्युत बोर्ड उचित समय आने पर ही विचार करेगा।

Expenditure on 'Jawan-Jyoti' at India Gate, New Delhi

345. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether thousands of rupees are being spent every year on keeping the 'Jawan-Jyoti at India Gate, New Delhi burning and on the Jawans posted there for is maintenance;

(b) whether gas is used for burning the 'Jyoti' which is very scarce these days ;

(c) whether a simple memorial can be constructed in its place and the expenditure being spent on the 'Jyoti' can be spent on the widows of Jawans ; and

(d) if so, whether Government are considering the above proposal ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (d) The Amar Jawan Jyoti constructed under the arch of India Gate is a temporary war memorial. A proposal to construct a permanent war memorial at Delhi to commemorate all our war dead since Independence is under active consideration of the Government. Indian Oil cooking Gas is being used for burning the Jyoti.

The expenditure incurred on the Amar Jawan-Jyoti during financial year 1972-73 was Rs. 89,124/-. Only one flame is now being lit continuously on one corner of the monument since 6th December 1973. This will reduce the expenditure drastically. No extra expenditure is incurred on the jawans posted there.

The Government is fully alive to the problems of the widows of Jawans and no effort has been spared to help them.

Special Status to each other's Citizens in India and U. S. S. R.

346. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether according to an agreement reached between India and the Soviet Union, both the countries would give special status to each other's citizens in their respective countries and provide special facilities to them in regard to their visits, movements etc. ;

(b) if so, whether such type of agreement has been entered into with some other country also ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir. There is no agreement between India and the U. S. S. R. which would confer any special status to citizens of each other's country or provide any special facilities to them. A consular agreement was, however, signed with the Soviet Union on 29-11-1973 during the visit of H. E. Mr. L. I. Brezhnev. This consular agreement embodies the consular arrangements already existing between the two countries and is in line with the general international practice in this respect.

(b) and (c) Does not arise.

पूरे उत्तर भारत में कोयले की कमी तथा इसके मूल्य में वृद्धि

347. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे उत्तर भारत में घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के लिए कोयले की भारी कमी है, और यदि हां, तो इन दोनों क्षेत्रों में कितनी कितनी कमी है ;

(ख) क्या कुछ स्थानों पर घरेलु उपयोग के लिए कोयले के मूल्य दुगने हो गये है ;

(ग) यदि हां, तो कोयले की भारी कमी तथा इसके मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं तथा यह कहां तक गिर गये हैं ; और

(घ) कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) उत्तर भारत सहित देश के कई भागों में कोयले की कमी के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं परन्तु कमी कितनी हुई है इसका निर्धारण करना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) : घरेलू उपयोग के बढ़िया किस्म के सोफ्ट कोक के खान–मुहानों मूल्यों को 1–5–72 से 65 रुपये से बढ़ा कर 72 रुपये तथा साधारण किस्म के मूल्य को 55 रुपये से बढ़ा कर 60 रुपये कर दिया गया था। दो कोयला क्षेत्रों अर्थात्, मुग्मा और सालनपुर कोयला क्षेत्रों के सोफ्ट कोक के मूल्य को, 1 नवम्बर, 1973 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के समान सोफ्ट कोक के प्रचलित मूल्य अर्थात 60 रुपये प्रति टन, के बराबर लाने के लिए 48 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। यह मूल्य वृद्धि मजदूरों को वेतन–वृद्धि, बोनस, महंगाई भत्ता आदि के फलस्वरुप बढ़े हुए दायित्व के कारण करनी पड़ी।

कोयले की मांग में, विशेषकर बिजलीघरों तथा इस्पात संयंत्रों द्वारा की गई मांग में, जिन्हें वैगनों के आवंटन में उच्च प्राथमिकता प्राप्त है, अत्यधिक वृद्धि होने के कारण अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता–प्राप्त उप-भोक्ताओं को कोयले की कमी का सामना करना पड़ा है।

(घ) देश में कोयले का उत्पादन 1972 के 748 लाख टन से बढ़कर 1973 में 772 लाख टन हो गया। 1974–75 में उत्पादन को 950 लाख टन तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है। कोयला उत्पादक इकाइयों तथा रेलवे द्वारा यथा संभव अधिक से अधिक कोयला पहुंचाने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

जहाज द्वारा कोयले का परिवहन

348. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज सहायता देकर देश के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में जहाजों द्वारा कोयले का परिवहन करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रुप रेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ।

(ख) रेल एवं समुद्री मार्ग द्वारा ढोए जाने वाले कोयले पर आर्थिक सहायता की योजना कोयला-नियंत्रक द्वारा लागू की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जो उपभोक्ता बंगाल-बिहार क्षेत्रों से रेल एवं समुद्री मार्ग से कोयला प्राप्त करता है उसे वास्तविक ढुलाई लागत और रेल मार्गों द्वारा ढुलाई पर आने वाली कुल लागत के अन्तर को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

छोटे इस्पात का संयंत्र

349. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं और ये लाइसेंस किन-किन पार्टियों को दिये गये हैं ;

(ख) क्या इन सभी लाइसेंसों के अनुसार काम होने लगा है ; और

(ग) छोटे इस्पात संयंत्र क्षेत्र में इस्पात का कुल कितना वार्षिक उत्पादन होता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्ष 1971, 1972 और 1973 में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत साधारण इस्पात के पिण्ड/बिलेट के उत्पादनार्थ विद्युत भट्टी इकाइयों की स्थापना के लिए कुल 16 औद्योगिक लाइसेंस/सी० ओ० बी० लाइसेंस दिए गए हैं :—

1. मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, आदित्यपुर (बिहार) ;
2. मेसर्स वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा) ;
3. मेसर्स उषा अलायज एण्ड स्टीलज लिमिटेड, आदित्यपुर (बिहार) ;
4. मेसर्स स्टील कम्पलैक्स लिमिटेड, फेराक (केरल) ;
5. मेसर्स भोरुका स्टील लिमिटेड, बंगलोर (कर्नाटक) ;
6. मेसर्स राठी अलायज एण्ड स्टील लिमिटेड, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ;
7. मेसर्स मोतीलाल पद्मपत सूगर मिल्स कम्पनी (प्रा०) लिमिटड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) ;
8. मेसर्स इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ;
9. मेसर्स आन्ध्र स्टील कारपोरेशन लिमिटेड, मोदीनगर (उत्तर प्रदेश) ;
10. मेसर्स मोदी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीनगर (उत्तर प्रदेश) ;
11. मेसर्स गोगटे स्टील लिमिटेड, थाना (महाराष्ट्र) ;
12. मेसर्स अमृत स्टीलज लिमिटेड, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ;
13. मेसर्स उत्तर प्रदेश स्टीलज लिमिटेड, मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) ;
14. मेसर्स एलाइड स्टीलज लिमिटेड, रायपुर (उत्तर प्रदेश) ;
15. दी स्टेट इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटड, बम्बई (महाराष्ट्र) ;
16. मेसर्स सोमानी स्टीलज लिमिटेड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) ;

उपरोक्त में वे पार्टियां शामिल नहीं हैं जिन्हें आशय-पत्र दिए गए हैं अथवा जिन्होंने औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति के अधीन अपने को लोहा और इस्पात नियंत्रक के पास पंजीकृत करा रखा है।

(ख) उपरोक्त 16 इकाइयों में से 11 इकाइयों ने उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है और शेष कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) 1972–73 में विद्युत् भट्टियों से तरल धातु का कुल उत्पादन लगभग 10 लाख टन था। 1973–74 में लगभग 12 लाख टन तरल धातु का उत्पादन होने की सम्भावना है।

भारत के रक्षा व्यय में कमी

350. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्य कुशलता में किसी प्रकार कमी किए बिना रक्षा व्यय में कमी करने के लिए सरकारने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या भारत और सोवियत-रूस में हाल में हुई मित्रता संधि से हमारे रक्षा व्यय में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रक्षा-व्यय में किफायत की आवश्यकता की सरकार समझती है और गैर-संक्रिया व्यय में अधिकतम किफायत बर्तने के लिए कदम उठाए गए हैं। यात्रा भत्ते, फर्नीचर खरीदने पर रोक, सरकारी आतिथ्य-सत्कार, प्रतिनिधि मंडलों और सम्मेलनों आदि पर 10 प्रतिशत की कटौती के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। नए पद सृजित करने पर रोक लगा दी गई है तथा गैर-संक्रिया क्षेत्रों में क्रमावर्तन स्थानांतरण को अस्थगित कर दिया गया है। गैर कार्यात्मक भवनों के निर्माण तथा रख-रखाव को भी व्यवहार्य सीमा तक आस्थगित कर दिया गया है।

(क) हमारा रक्षा-व्यय सुरक्षा के वर्तमान वातावरण में पर्याप्त रक्षा तत्परता की सर्वोच्च आवश्यकता से संबंधित है और इसे सोवियत रूस के साथ हमारे मित्रता-संधि जैसे किसी एक कारक से नहीं जोड़ा जा सकता।

बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार

351. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार कार्य में सहायता देगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विस्तार कार्यक्रम भारतीय तथा रूसी इंजीनियरों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा ; और

(ग) इसकी क्षमता में कितनी वृद्धि की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) सोवियत सरकार बोकारो इस्पात कारखानें का 40 लाख टन पिण्ड क्षमता तक विस्तार करने के लिए आवश्यक सहायता दे रही है। यह काम चल रहा है। यह भी निर्णय किया गया है कि 40 लाख टन स्तर के क्रम में ही कुछ अतिरिक्त सुविधाएं लगाकर इस क्षमता को 47.5 लाख टन तक बढ़ाया जाए। भारतीय और सोवियत विशेषज्ञों के विचार में बोकारो इस्पात कारखान का आगे 100 लाख टन पिण्ड प्रति वर्ष की क्षमता तक विस्तार किया जा सकता है।

न्यूजीलण्ड के प्रधान मंत्री का दौरा

352. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूजीलैण्ड के प्रधान मंत्री ने अब हाल ही में भारत का दौरा किया था तो क्या अनेक विषयों पर उनके और भारत के प्रधान मंत्री के विचार समान थे ;

(ख) क्या उनकी बातचीत में हिन्द महासागर में सैनिक शक्तियों की उपस्थिति पर भी चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस धारणा के प्रति अपने समर्थन की पुन: पुष्टि की कि हिन्द महासागर को बड़ी ताकतों की प्रतिद्वन्दिता, तनाव और सैनिक वृद्धि से युक्त एक शांति-क्षेत्र बनाए रखा जाए। इस बातचीत से बहुत से विषयों पर समान विचार व्यक्त किये गये जिनमें एशिया के सभी देशों में निकट सहयोग सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 242 के प्रावधानों के अनुरूप मध्यपूर्व से न्यायोचित और स्थायी शांति की स्थापना ; नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षणों का विरोध और जाति-भेदभाव की नीतियों से घृणा करना। व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक-दूसरे के देश में व्यापार एवं आर्थिक प्रतिनिधि मण्डलों को भेजने-बुलाने पर सहमति प्रकट की जो संयुक्त उद्देश्यों और कृषि एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्रों में प्रायोगिक अनुसंधान के लिए निदर्शन एककों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता चलाने। इस संबंध में कुछ विशिष्ट प्रस्ताव दोनों सरकारों के विचाराधिन हैं।

यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति सदन की मेज पर रखी जा रही है । **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6166/74]**

Steel for Priority industries of Madhya Pradesh

353. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of applications for steel for the priority industries of Madhya Pradesh received for the year 1973-74, the number of applications accepted so far, and the number under consideration ;

(b) whether the industrial progress of the State has received many setbacks as a result of shortage of steel there ; and

(c) if so, the efforts being made by Government to meet the steel requirements of the State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Applications for allocation of steel are not invited from industries group-wise. The procedure for allocation of steel on a priority basis is that after an indent is planned and works order is issued by the concerned producer, applications have to be made in the prescribed form to the Steel Priority Committee for allocation of priority. Despatches from the main steel plants are regulated by the Steel Priority Committee after taking into consideration availability in a particular quarter, end-use for which steel is required, and the competing demands.

(b) The demand for steel is in excess of availability in respect of several categories and as such industries in Madhya Pradesh, as in other parts of the country, might be facing the problem of inadequacy of supply of steel materials. Under the present system of distribution, there are no State-wise allocations.

8—38 L.S.S./73

(c) Steps taken to improve availability of steel include stepping up of production by technological improvements ; better industrial relations ; improved maintenance of plant and machinery ;provision of balancing facilities at the steel plants ; programmes of renovation and capital repairs aimed at better equipment availability ; a liberal import policy, particularly in respect of categories in short supply ; regulation of exports and streamlining of the system of distribution.

Allocation of Coal to Madhya Pradesh

354. **Shri Shrikrishna Agarwal :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total quantity of coal allocated to Madhya Pradesh during the last six months ;

(b) whether the coal has not been allocated as per the requirement of the State ; if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government are aware that non-allocation of coal according to the requirement of the State has resulted in substantial reduction in generation of thermal power, thereby causing a severe setback to the economy of the State ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) & (b) As there is no distribution control over non-coking coal, there is no system of allocating it State-wise. Coking coal distribution is controlled and it is allocated to the different industrial units in accordance with their requirements and the availability.

(c) & (d) The Standing Linkage Committee in which all the concerned Ministries of Government are represented has linked each major power station to particular coalfields keeping in view the requirements of the power station, the availability of coal of the requisite quality, and the transport capacity. There has been no complain of reducion in generation of thermal power in Madhya Pradesh due to shortage of coal.

Proposal to Promote Trade with U. S. A.

355. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **External Affairs** *be pleased* be state :

(a) whether the Indian Ambassador has gone back recently to U. S. A. with a special proposal to promote trade particularly in the fields of science and Commerce ;

(b) if so, the facts thereof ; and

(c) the reaction of U. S. A. thereto ?

The Minister of State in the Ministery of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) While there is no special proposal as such, our Ambassador has taken with him a number of concrete suggestions for promoting exchanges between India and the US in the field of trade, industrial and scientific collaboration, etc. These proposals are still at the stage of discussion and it would, therefore, be premature to publicise details.

Pak reaction to Indo-Soviet call for recognition of Bangla desh

356. **Shri Shrikirshna Agrawal :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Shri Bhutto, while commenting on the Joint Communique issued at the end of Shri Breznev's visit to India wherein Pakistan has been called upon to accord recognition to Bangla desh, has said that a sovereign country cannot make such a demand to another sovereign country ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Ministry of State in The Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have seen press reports of Prime Minister Bhutto's statement to this effect.

(b) The Indo-Soviet declaration had merely expressed the belief that Pakistan's recognition of Bangladesh would be in the interest of stability and speedy achievement of political settlement in the sub-continent.

भारत और बंगला देश के बीच त्रिपक्षीय स्वदेश वापसी के बारे में बातचीत

357. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपक्षीय स्वदेश-वापसी के कार्यकरण और स्वदेश वापसी को वर्तमान प्रक्रिया में तेजी लाने के उपायों के बारे में भारत और बंगला देश के अधिकारियों के बीच अभी हाल में कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) क्या स्वदेश-वापसी के बारे में पाकिस्तान की सरकार ने कोई विलम्ब किया है और यदि हां, तो किस प्रकार का ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली समझौते, के अधीन तीन-तरफा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया की जनवरी, 1974 में हुई भारत-बंगलादेश वार्ता में समीक्षा की गई थी। पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश से अपने राष्ट्रिकों को हटाने में विलम्ब के कारण उनके प्रत्यावर्तन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। हमने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह बंगलादेश से अपने राष्ट्रिक हटाये ताकि तीन-तरफा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया राशि के बारे में अनिर्णित याचिकायें

358. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोयला खानों को अपने हाथ में लेने के बाद सेवानिवृत्त लाभ तथा भविष्य निधि की बकाया राशि संबंधी अनिर्णित पड़ी याचिकायों की, राज्य वार, कितनी संख्या थी; और

(ख) उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गिरीश घोष रोड, बेलूश स्थित आयरन वर्कस में दुर्घटना

359. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि 29 दिसम्बर, 1973 को हावड़ा जिले में गिरीश घोष रोड, बेलूर स्थित एक आयरन वर्कस में जब एक बहुत बड़ी बाल्टी जिसमें 'मोल्डन' लोहा पड़ा था उल्ट गई और श्रमिकों पर गिर पड़ी तब चालीस व्यक्ति गम्भीर रूप से जल कर घायल हो गए थे ;

(ख) घायल श्रमिकों में से कितने व्यक्तियों की स्थिति गम्भीर है ; और

(ग) क्या उनको कोई मुआवजा दिया गया था।

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : **(क) से (ग)** अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन

360. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन को भारत और यूगोस्लाविया की सरकारों के बीच परामर्श और समझौते के परिणाम-स्वरूप मूलतः निर्धारित तिथि तक स्थगित करने के क्या कारण हैं ; जिसका यूगोस्लाविया सरकार के प्रवक्ता ने पहले ही आयोजन किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी ;

(ख) बढ़ते हुए तनावों और विभिन्न प्रकार की अंतराष्ट्रीय कठिनाइयों को विशेषरूप से ध्यान में रखते हुए ऐसे सम्मेलन को पहले आयोजित करने में क्या कठिनाइयां अथवा बाधायें हैं ; और

(ग) ऐसी समस्याओं के बारे में जिनमें संयुक्त कार्यवाही और सहमति की आवश्यकता होती है, गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच सुगम और शीघ्र परामर्श के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) अखबारी खबरों के विपरीत यूगोस्लाविया ने 1976 में श्रीलंका में होने वाले अगले गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की तारीख बढ़ाने की कोई इच्छा प्रगट नहीं की थी बल्कि यूगोस्लाविया ने तो यह राय जाहिर की थी कि गुट-निरपेक्ष देशों को अल्जीयर्स में लिए गये निर्णयों को मानना चाहिए जिनमें अगला शिखर सम्मेलन 1976 में करने का निर्णय भी शामिल है ।

(ग) भारत-यूगोस्लाव वार्ता के दौरान यह महसूस किया गया कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में इस बात की आवश्यकता है कि अल्जीयर्स सम्मेलन में जिन समस्याओं पर जोर दिया गया था उनके विशेषकर गुट-निरपेक्ष देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों और आपसी आर्थिक सहयोग के प्रश्नों के समाधान में योग देने के उद्देश्य से, गुट-निरपेक्ष देशों को फिर से पहल करनी चाहिए । यह भी वांछनीय समझा गया था कि अद्वतन आंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और गुट-निरपेक्ष देशों तथा अन्य विकासशील देशों पर उनके प्रभाव पर विचार करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की एक समुचित स्तर पर यथाशीध्र वार्ता होनी चाहिए ।

गुट-निरपेक्ष देशों के हितों के मामलों पर विचार करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की समन्वयन समिति की बैठक 19 से 21 मार्च तक अल्जीयर्स में होने वाली है । सम्भव है इस बैठक में गुट-निरपेक्ष देशों के वर्ग की एक बृहत बैठक विदेश मंत्रियों के स्तर पर बुलाने के बारे में विचार किया जाय ।

कच्चाटिबु द्वीप में खनिज तेल की सम्भावनाये

361. श्री एस० सी० सामंत : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका की प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान कच्छटिवु पर भारत की प्रभुसत्ता को कहां तक स्वीकार किया गया है तथा इसको मान्यता दी है ;

(ख) क्या इस द्वीप में खनिज तेल पाये जाने की सम्भावना हैं ;

(ग) क्या इसका पता लगाए जाने के लिए कोई प्रयत्न किए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) श्रीलंका को इन द्वीपों में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) श्रीलंका की प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने कच्चटिबु के प्रश्न और अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श किया । इस बातचीत के दौरान संतोषजनक प्रगति हुई जिसके परिणामस्वरूप इस बात पर सहमति हुई कि पाक जलडमरु मध्य और ऐडम्स ब्रिज के मध्य भारत और श्रीलंका के बीच के ऐतिहासिक समुद्र के बारे में भी जल्दी कोई निर्णय ले लिया जाएगा ।

(ख) पाक जलडमरुमध्य अथवा इसके टापूओं में खनिज तेल मिलने की सम्भावनाओं के बारे में हमारे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय सैनिक प्रशिक्षण प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण

362. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना ने अपनी प्रशिक्षण प्रक्रियायों का पुनर्निर्धारण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे हमारे सैनिकों की युद्ध कुशलता में सुधार होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन् । हमारी सामाजिक तथा प्रशासैनिक शिक्षा, युद्ध की परीक्षा में स्थिर रही है। तथापि, 1971 को संक्रियाओं के विश्लेषण के आधार सेना की युद्ध दक्षता में और आगे सुधार करने के लिए उपयुक्त शिक्षा ग्रहण की है। इन उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में प्रोग्रेसिव प्राविडेन्ट फण्ड एम्प्लायीज फेडरेशन आफ इण्डिया से प्राप्त ज्ञापन

363. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अथवा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रोग्रेसिव प्रोविडेन्ट फण्ड, इम्प्लाइज फेडरेशन आफ इण्डिया से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन के तत्काल क्रियान्वयन की मांग की गई है ;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे समवर्ती संगठनों में ऐसा पुनरीक्षण पहले ही किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों के मामले में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार के पुनरिक्षण की स्वीकृति कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिए दे दी गई है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कि एक सांविधिक निकाय है, के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते वही होंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 5-घ(7) के अनुसार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। इसलिए, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन-मानों को स्वतः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सकता, भले ही इस प्रकार का पुनरीक्षण इसी प्रकार के संगठनों में कार्यान्वित किया गया हो। तथापि भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतन-मानों को संशोधित करने का प्रश्न उसके विचाराधीन है।

1971 के पश्चात भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कार्यवाही

364. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1971 के पश्चात् सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए की गई विभिन्न कार्यवाही की रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों से कोई सहयोग मांगा गया है तथा उन्हें कोई सहयोग दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कोई और कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के संक्षिप्त ब्यौरे संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6167/74]**

(ख) जी हां श्रीमन् । कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां रोजगार निदेशालयों में भूतपूर्व सैनिकों की सिविल नौकरियों में भर्ती की स्थिति सुधारने के विचार से विशेष एककों का गठन किया है । अनेकों राज्य सरकारें अशक्तभूत पूर्व सनिकों को अपनी भूमि के देने के मामले में कुछ प्राथमिकता देती हैं । राज्य सरकारों ने प्लाट या अपनी मकान योजना के अन्तर्गत 15 % तक मकानों के आरक्षण रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए, जिसमें अशक्त युध्द विधवायें तथा भूतपूर्व सैनिक शामिल है, की व्यवस्था की है । चण्डीगढ़, चुरू (राजस्थान), देहरादून, गोवा, हिसार, जलन्धर, लुधियाना, लोहारी (पंजाब), पूणे तथा पंचकुला (हरियाणा) में अलग डिफेन्स कालोनी बसाई गई है । राज्य सरकारों से और अधिक हाउसिंग कालोनी बनाने तथा अपनी मकान योजना के अन्तर्गत और अधिक प्लाट/फ्लैटों के आरक्षण करने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) तथा (घ) भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली रियायतों का सरकार लगातार पुनरीक्षण करती रहती है तथा जहां उनमें उपयुक्त सुधारों की आवश्यकता होती है, जिससे कि उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकें, उसके लिए कदम उठाए जाते हैं ।

दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्ति

365. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1973 और 31 जनवरी, 1974 को दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध किया गया ; और

(ग) बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी गई है :—

1. चालू रजिस्टर में संख्या	31-12-1973 की	1,94,981
	31-1-1974 की	1,75,594
2. रोजगार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या	1973 के दौरान	35,052
	जनवरी, 1974 के दौरान	2,015

(ग) सरकार बेरोजगारों के लिए अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसर जुटाने के लिए सभी सम्भव प्रयास करती आ रही है । शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक कार्यक्रम 1971—72 में आरम्भ किया गया । इस स्कीम के अन्तर्गत 1971—72 और 1972—73 के दौरान दिल्ली में

वास्तविक व्यय 29.07 लाख रुपये हुआ और 1973–74 के संशोधित प्राक्कलन में 67.06 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है ।

पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन को उत्पादनकारी स्कीम बनाने के लिए 2.50 करोड़ रुपये की राशि आबन्टित की गई थी । ताकि लगभग 25,000 शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सके । अब तक 11,198 व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार अवसर सृजित करने के उद्देश्य से 156.42 लाख रुपये के परिव्यय की 45 स्कीमें स्वीकार की जा चुकी है । सात स्कीमों को छोड़कर शेष सभी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है । नवम्बर, 1973 तक 42.90 लाख रुपय व्यय किए गए और 912 व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर सृजित किए गए ।

भूतपूर्व सैनिकों की सहायता के लिए निगम

366. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री या बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्वसैनिकों को लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता देने के लिए कोई निगम गठित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम सम्भवत: किस तारीख तक गठित कर दिया जाएगा ;

(ग) उस निगम का प्रबन्ध तथा कार्यकरण किस पद्धति के अनुसार होगा ; और

(घ) क्या इस उद्यम में राज्य सरकारों को भी सम्बद्ध किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) भूतपूर्व सैनिकों को लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता करने के लिए एक निगम बनाने की आवश्यकता तथा व्यवहायता का अध्ययन किया जा रहा है । ब्यौरे तैयार किए जा रहे है और अन्तिम निणय करने से पूर्व इसमें अभी कुछ और समय लगेगा ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० नासिक में मिग-२१ एम एस विमानों को निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव

367. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, नासिक में भी मिग-21 एम एस विमानों का निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन ।

(ख) विमान का उत्पादन पहले ही आरम्भ हो चुका है ।

साफ्ट तथा हार्ड कोक का उत्पादन

368. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा में साफ्ट कोक तथा हार्ड कोक का उत्पादन हुआ ;

(ख) 1 अप्रैल 1973 से 31 दिसम्बर 1973 के बीच प्रत्येक राज्य की आवश्यकता कितनी रही, उसके लिए कितना आबन्टन किया गया तथा वस्तुत: कितना भेजा गया ; और

(ग) उत्पादन को बढ़ाने तथा ढुलाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पिछले तीन वर्षों में हार्ड कोक (इस्पात कारखानों की रक्षित कोक भट्टियों का उत्पादन शामिल नहीं है) और साफ्ट कोक का उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

(लाख टन)

	साफ्ट कोक	हार्ड कोक (पर्ल और नट कोक सहित)
1971–72	24.6	18.4
1972–73 . . .	22.4	18.9
1973–74 . . . (अप्रैल-दिसम्बर, 1973)	21.9	15.3

(ख) हार्ड कोक की ढुलाई और इसका वितरण जुलाई 1973 में नियंत्रिणाधीन लाया गया था। अगस्त-दिसम्बर 1973 की अवधि में विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित मांगों और उनको आबन्टित किए गए हार्ड कोक का विवरण अनुबन्ध 1 में दिया गया है। अप्रैल-अगस्त, 1973 की अवधि में विभिन्न राज्यों को प्रेषित हार्ड कोक का विवरण अनुबन्ध–2 में दिया गया है।

राज्य सरकार साफ्ट कोक की अपनी मांग रेलवे को भेज देती है। रेलवे साफ्ट कोक की ढुलाई के लिए प्रत्येक राज्य को डिब्बों का आबन्टन करती है और साफ्ट कोक का उत्पादन करनें वाली इकाइयों को सूचित कर देती है। भारत कोकिंग कोल लि० और कोल माइनिंग अथारिटी दोनों साफ्ट कोक की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में है परन्तु मुख्य कठिनाई ढुलाई की है। रेलवे द्वारा साफ्ट कोक की ढुलाई के लिए आबन्टित किये गए डिब्बों की तुलना में वास्तविक प्रेषण बहुत कम हुए हैं।

(ग) साफ्ट कोक का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कुछ ग्रेडों का स्टीम का कोयला केवल साफ्ट कोक के उत्पादन के लिए रखा गया है।

(2) साफ्ट कोक के उत्पादन के लिए स्लेक कोयले के उपयोग की सम्भावना का पता लगाना।

(3) पूरे वर्ष निर्वाद उत्पादन बनाए रखने के लिए विभिन्न कोयला खानों में जल प्रदाय व्यवस्था में सुधार करना।

पांचवीं योजना अवधि में हार्ड कोक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोक बनाने के अतिरिक्त कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रेषणों में वृद्धि करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों के साथ सतत सम्पर्क रखा जाता है। सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विवरण

अनुबन्ध- 1

विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित हार्ड कोक की मांग और मांग की तुलना में अगस्त-दिसम्बर 1973 की अवधि में किया गया आबन्टन

(वैगन)

राज्य	मांग	आबन्टन
आन्ध्र प्रदेश	785	610
असम	725	641
पश्चिम बंगाल	4506	3812
बिहार	776	739
दिल्ली	1259	1259
गुजरात	4903	3405
हिमाचल प्रदेश	65	57
केरल	125	108
जम्मू और कश्मीर	575	549
महाराष्ट्र	3030	2370
मध्य प्रदेश	1841	1366
तामलनाडू	1390	1266
कर्नाटक	1000	864
उड़ीसा	425	328
पांडीचेरी	45	37
पंजाब	3722	2488
हरियाणा	1000	966
राजस्थान	1945	857
त्रिपुरा	50	23
उत्तर प्रदेश	4795	3557
नागालैण्ड	54	51
गोवा	5	5
चण्डीगढ़	150	150
(कुल राज्य)	33171	25608
केन्द्र द्वारा प्रायोजित	49033	45003

विवरण

अनुबन्ध–2

अप्रैल-अगस्त 1973 की अवधि में विभिन्न राज्यों को हार्ड कोक के प्रेषण

(वैगन)

राज्य	प्रेषण
आन्ध्र प्रदेश	1083
असम	156
पश्चिमी बंगाल	4852
बिहार	3074
दिल्ली	284
गुजरात	2054
हिमाचल प्रदेश	7
केरल	99
जम्मू और कश्मीर	2
महाराष्ट्र	2713
मध्य प्रदेश	575
तामिलनाडू	932
कर्नाटक	887
उड़ीसा	2794
पाण्डीचेरी	..
पंजाब	3898
हरियाणा	200
राजस्थान	985
त्रिपुरा	..
उत्तर प्रदेश	4232
नागालैण्ड	..
गोवा	1
कुल	28828

कोयले का उत्पादन

369. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने टन कोयले का उत्पादन हुआ है ; और

(ख) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1 अप्रैल 1973 से 31 दिसम्बर 1973 तक की अवधि में कोयला खान-मुहानों से कितना कोयला उठाया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) गत तीन वर्षों में कोयले का उत्पादन निम्नलिखित रहा है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)
1970–71	729.50
1971–72	724.20
1972–73	764.00

(ख) खान-मुहानों से कोयले का प्रेषण इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रेषण (लाख टनों में)
1971–72	655.20
1972–73 . . .	689.10
1973–74 . . . (31-12-1973 तक)	505.90

डाक्टरों की हड़ताल से पूर्व दिल्ली के अस्पतालों में प्रति दिन इलाज कराने वाले मरीजों की औसत

370. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूनियर डाक्टरों की हड़ताल से पूर्व दिल्ली में केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में प्रतिदिन औसतन कितने मरीजों का इलाज किया जाता था ;

(ख) हड़ताल के बाद जनवरी 1974 में प्रति दिन औसतन कितने मरीजों का इलाज किया गया ; और

(ग) सरकार इस अवधि में मरीजों का इलाज करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6168/74**]

दिल्ली के जमुना पार क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

371. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमुना पार क्षेत्र के लिए अस्पतालों और औषधालयों सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं की कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस क्षेत्र को उपलब्ध इन सुविधाओं के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग 25,000 की आबादी के लिए 500 पलंगों वाले एक अस्पताल तथा एक डिस्पेन्सरी खोलने का विचार किया गया था ।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 500 पलंगों वाला अस्पताल खोल दिये जाने की सम्भावना है । जमुना पार क्षेत्र में लगभग 23 डिस्पेन्सरियां और 2 सिविल अस्पताल चलाये जा रहे हैं।

(ग) जहां तक शाहदरा में 500 पलंगों वाले अस्पताल के निर्माण का सम्बन्ध है 54 एकड़ भूमि खरीदी गई थी । अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद भवन इत्यादि का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा । जब तभी भी आवश्यक समझा जाता है 25,000 लोगों के लिए एक औषधालय के निर्धारित प्रतिमान के अनुसार औषधालय खोले जाते हैं ।

हास्पेट, विशाखापत्तनम और सलेम इस्पात संयंत्रों पर परिव्यय

372. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हास्पेट, विशाखापत्तनम और सलेम, स्थित तीन इस्पात संयंत्रों पर अब तक कितना परिव्यय हुआ है ;

(ख) क्या हास्पेट इस्पात संयंत्र को कच्चे माल की सप्लाई हेतु बेलारी जिले की सन्दूर स्थित गैर-सरकारी पार्टियों की मैंगनिज अयस्क की खाने अर्जित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) विजयनगर, विशाखापत्तनम तथा सलेम इस्पात परियोजनाओं पर किया गया वर्ष वार खर्च इस प्रकार है :—

परियोजना	खर्च की गई राशि लाख (रुपये)				
	1970–71	1971–72	1972–73	*1973–74 (15 फरवरी, 1974 तक)	जोड़
विजयनगर .	1.00	61.58	23.26	41.74	127.58
विशाखापत्तनम .	1.00	15.28	4.75	50.34	71.37
सलेम . .	6.75	50.75	88.67	221.53	367.71
				कुल योग .	566.66

*आंकड़े अस्थायी है ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र में भारी औद्योगिक कारखानों में उत्पादन कम होना

373. **श्री बी० बी० नायक** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में उन भारी औद्योगिक कारखानों के नाम क्या है जिनमें अधिष्ठापित क्षमता से आधा या उससे भी कम उत्पादन हो रहा है ?

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की समस्याओं की जांच करने के लिए नियुक्त उच्चस्तरीय समिति ने अपनी जांच प्राथमिकता के आधार पर की है ; और

(ग) यदि हां तो कम उत्पादकता के बारे में उस समिति के क्या निष्कर्ष हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र में भारी औद्योगिक एककों के नाम जो अपनी अधिष्ठापित क्षमता का आधा या निम्नतर उत्पादन कर रहे हैं :—

(1) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची ;

(2) भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्ज लिमिटेड, विशाखापत्तनम ;

(3) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी इलाहाबाद ;

(4) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापर;

(5) भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स, हरिद्वार ।

(ख) सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा गठित की गई सरकारी उद्यमों की कार्य समिति ने हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्ज, त्रिवेणी स्ट्रक्चरलस् लिमिटेड भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स, लिमिटेड, (हरिद्वार) और माइनिंग एण्ड एलाइड मशिनरी कारपोरेशन की अधिष्ठापित क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की दृष्टि से इनके कार्यों की जांच की है ।

(ग) इन एककों में कम उत्पादिता के लिए कार्य-समिति के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:—

(1) राज्य सरकारों द्वारा बिजली में कटौती ;

(2) विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की कमी ;

(3) प्रबन्ध में त्रुटियां ;

(4) खराब औद्योगिक सम्बन्ध ।

दिल्ली में कपड़ा उद्योग आन्दोलन का मुकाबला करने के लिये भारत रक्षा नियमों का प्रयोग

375. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कपड़ा उद्योग आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए भारत रक्षा नियमों का प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने भारत रक्षा नियम 1971 के नियम 119 के अन्तर्गत दिल्ली क्लाथ मिल्स स्वतंत्र भारत मिल्स और डी० सी० एम० सिल्क मिल्स को, इन मिलों में रोजगार को आवश्यक रोजगार घोषित करने वाले आदेश जारी किए हैं और प्रबन्धकों को यह निदेश भी दिए हैं कि प्रत्येक श्रमिक को 240 रुपये (दिल्ली क्लाथ मिल्स के सम्बन्ध में) और 200 रुपये (स्वतन्त्र भारत मिल्स और डी० सी० एम० सिल्क मिल्स के सम्बन्ध में) अग्रिम के रूप में दिए जाएं जो कि बीस-बीस रुपयों की मासिक किश्तों में वसूल किए जाऐंगे तथा किसी श्रमिक को न सताया जाए।

टिस्को की गैस सम्बन्धी आवश्यकता

376. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के इस्पात संयंत्र की गैसों सम्बन्धी सारी आवश्यकता 'टिस्को' संयंत्र क्षेत्र के भीतर 'टनेज प्लान्ट' के माध्यम से इण्डियन आक्सींजन लिमिटेड पूरी करता है ;

(ख) क्या 'टिस्को' इस्पात संयंत्र इस 'टनेज प्लान्ट' की समूची अधिष्ठापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करता है ; और

(ग) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा "टिस्को" के इस्पात संयंत्र को गैसों की सप्लाई की शर्तो का मुख्य ब्यौरा क्या ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड बड़ी मात्रा में इस्पात के उत्पादन की सीधी प्रक्रिया में प्रयोग से भिन्न सामान्य प्रयोगों में आने वाली आक्सीजन और वीलीन एस्सेटीलिन इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड से प्राप्त करती है जिनका जमशेदपूर में अपना कारखाना है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का 100 टन दैनिक क्षमता का आक्सीजन का एक अपना कारखाना है जो बड़ी मात्रा में इस्पात के उत्पादन की सीधी प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली आक्सीजन की सप्लाई करता है। यह कारखान इन्डियन आक्सीजन लिमिटड की फक्टरी के परिसर में स्थित है। टिस्को द्वारा टनेज आक्सीजन कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है। कारखाने का रखरखाव और परिचालन इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा किया जाता है जिस के पास इस काम की विशेषज्ञ जानकारी है।

(ग) करारनामें की शर्तें सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। यह करारनामा दो निजी कम्पनियों के बीच है।

आल इण्डिया आक्सीजन एण्ड ऐसीटिलीन एम्प्लाइज फेडरेशन द्वारा हड़ताल की धमकी

377. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन एम्प्लाइज फैडरेशन द्वारा इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड में अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल कराने की धमकी के बारे में फैसला हो गया है ;

(ख) क्या एम्प्लाइज फैडरेशन द्वारा कम्पनी को प्रस्तुत मांग-पत्र नैशनल इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल को मध्यस्थता के लिए भेजा गया है जैसा कि संयुक्त रूप से आई० एन० टी० यू० सी०; ए० आई० टी० यू० सी० और एच० एम० एस० द्वारा कथित सुझाव दिया गया है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार आल इण्डिया इण्डियन आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन एम्पलाइज़ फैडरेशन ने 26 नवम्बर, 1973 से हड़ताल की धमकी दी थी। तथापि बाद में इस प्रस्तावित हड़ताल को फैडरेशन ने प्रबन्धकों को लिखे अपने पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 1973 द्वारा स्थगित कर दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार, जिनसे कि इस मामले के सम्बन्ध में इसलिए परामर्श किया गया था क्योंकि वह इससे मुख्य रूप से तालुक रखती थी, आल इण्डिया इण्डियन आक्सीजन एण्ड ऐसीटिलीन एम्प्लाइज़ द्वारा उठाए गए मामलों को राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित करने का इस कारण से औचित्य नहीं है कि विवादग्रस्त मामले या तो अधिकांशतः वर्तमान समझौतों को अन्तर्गत आ गए हैं अथवा राज्य सरकार द्वारा पहले ही न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित कर दिए गए हैं। यह मालूम हुआ है कि यह फैडरेशन अब मान्यता प्राप्त फैडरेशन नहीं रहा है और यह कि प्रबन्धतंत्र इस समय कलकत्ता में आल इण्डिया फैडरेशन आफ इंडियन आक्सीज़न इम्प्लाइज यनियन्स, जिसे कि अब मान्यता प्राप्त है से तय न हुए शेष मामलों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहा है।

विशेष इस्पात का उत्पादन

378. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए कोई संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार में किसी ओर से इस परियोजना के बारे में कोई आपत्ति की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) संभवतः अभिप्राय : तमिलनाडू में सलेम में स्थापित किए जाए रहे विशेष इस्पात के कारखान से है जिसका रुपांकन निम्नलिखित के उत्पादन के लिए किया जा रहा है :—

चादरें और पट्टियां	टन प्रति वर्ष
बेदाग इस्पात . . .	70,000
विद्युत इस्पात	75,000
अन्य विशेष इस्पात	50,000
कुल .	1,95,000

प्रायोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत लगभग 340 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

Mineral deposits found in Bastar District, M. P.

380. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether various useful mineral deposits have been found in Bastar District of Madhya Pradesh recently ; and

(b) if so, the names of the minerals found and the position in regard to their deposits?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Excise duty on Coal

381. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether excise duty on coal has been raised recently ;

(b) if so, the additional income likely to accrue to the Coal Mines Authotity therefrom; and

(c) whether it has resulted in increase in the prices of coal also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Closure of Balco Alumina Plant Korba, Madhya Pradesh

382. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) since when the Balco alumina plant in Korba, Madhya Pradesh, is closed ;

(b) the reasons for its closure and the quantity of alumina lying in the plant ;

(c) the number of permanent employees and officers working in it at present ; and

(d) the total monthly expenditure incurred on account of their salaries, and other expenditure being incurred on this plant ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) The Korba Alumina Plant of Bharat Aluminium Company Limited, where the production was suspended from the middle of November 1973, has resumed production with effect from 21st January 1974.

(b) The production was suspended at the plant from middle of November 1973, following accumulation of about 12,000 tonnes of Alumina and difficulty in selling the Alumina was faced. The present stock of Alumina lying in the plant is about 11,000 tonnes. This is expected to be reduced shortly by the sale of 10,000 tonnes.

(c) The number of regular employees and officers working at the plant is 700 and 99 respectively.

(d) The salary bill for the operational staff and officers working at the plant amounts to about Rs. 2.40 lakhs p. m. Other monthly fixed expenditure at the plant, excluding depreciation and interest, amounts to about Rs. 50,000/-. The interest on the loan drawn from the Government works out to about Rs. 1.30 crores per annum.

Restoring cordial Relations with U. S. A.

383. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Dr. Kissinger has termed the recent agreement regarding P. L. 480 Fund as a beginning in the direction of restoring cordial relations between India and U. S. A.; and

(b) whether the said statement was made after he had spoken in Parliament about our relations with U. S. A. during discussions on the international situation ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Dr. Kissinger made the statement after the Foreign Minister had spoken in Parliament.

नीवेली में लिग्नाइट का उत्पादन

384. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीवेली में लिग्नाइटा का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विकास परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी हां । विशिष्ट खनन उपकरणों पर 36 करोड़ रुपये के निवेश से लिग्नाइट का वार्षिक उत्पादन 65 लाख टन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) 1977-78 तक ।

इस्पात की कतरनों का आयात

385. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयस्क पट्टी उद्योग ने कहा है कि कतरनों के मुल्य अधिक होने के कारण इस्पात को उत्पादन घट रहा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई ऐसा सुझाव भी दिया गया है कि देश के लिए कतरनों का आयात करना और भट्टी उद्योग के उत्पादों का निर्यात करना लाभप्रद होगा ; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) सम्भवतः अभिप्राय इस्पात पिण्ड/बिलेट का उत्पादन करने वाली विद्युत भट्टी इकाइयों से है । यदि यह ठीक है तो स्टील फर्नेस एसोसिएशन आफ इण्डिया का कहना है कि अपर्याप्त उपलब्धि फैरो स्क्रैप के अधिन मूल्य तथा कुछ राज्यों में बिजली की खराब स्थिति के कारण विद्युत भट्टी उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं हो सकता हैं । उन्होंने स्क्रैप के आयात तथा बेलित उत्पादों के निर्यात का सुझाव दिया है जिससे देश में मेल्टिंग और पुनर्वेलन क्षमता का बेहतर,उपयोग हो सके जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन में भी सहयोग मिलेगा । यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रेस प्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस परेड में पास जारी करना

386. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतंत्र दिवस परेड 1974 को देखने के लिए दिल्लो के प्रस प्रतिनिधियों को कुल कितने पास जारी किए गए और उनके पते क्या हैं ?

(ख) क्या पास जारी करते हुए छोटे समाचार पत्रों की उपेक्षा की गई ; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

9—38 LSS/73

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर प्रेस के लिए एक विशेष स्थान की व्यवस्था की गई थी और इस स्थान में सीटों के लिए प्रेस प्रतिनिधियों (जिनमें उनके पति-पत्नी सम्मिलित हैं) को 1322 निमन्त्रण पत्र जारी किए गए थे। भारत सरकार द्वारा मान्य सभी संवाददातावों को कार्ड जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त सीटों की उपलब्धता के अनुसार विदेशी संवाददाताओं और अन्य संवाददाताओं तथा पत्रकारों को उनके अनुरोध पर कार्ड जारी किए गए थे। दिल्ली प्रशासन द्वारा मान्य संवाददाताओं की सूची उस प्रशासन की सलाह पर अन्तिम रूप दिया गया था। अतः छोटे समाचार पत्रों की उपेक्षा का प्रश्न नहीं उठता। अतिथियों और उनके पतों के संकलन का कार्य उसमें लगे समय तथा श्रम के अनुरूप नहीं होगा।

गुजरात में कोयले की कमी

387. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में कोयले की अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयले की मांग में विशेष रूप से बीजली घरों तथा इस्पात संयंत्रों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण जिन्हें वैगनों के आबन्टन में उच्च प्राथमिकता प्राप्त है गुजरात सहित देश भर के कम प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं को हाल ही के कुछ महीनों में कोयले की कमी का सामना करना पड़ा है।

सोवियत संघ को कोर्बा के अलुमिना का निर्यात

388. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश स्थित कोर्बा संयंत्र में निर्मित अलुमिना सोवियत संघ को निर्यात किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां तो कितना और करार की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) तथा (ख) सोवियत रूस ने भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० के कोरबा संयंत्र से 1974 के दौरान 50.000 टन कैल्साइन्ड एल्यूमिना खरीदने की इच्छा प्रकट की है। निर्यात की शर्तों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि यह मामला दोनों के बीच विचाराधीन है।

ब्रिटेन में अवैध प्रवेश को रोकने के लिये भारत ब्रिटेन करार

389. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो उसका सारांश क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ब्रिटिश संसदीय उपगृह मंत्री श्री डेविड लेन की यात्रा के दौरान ब्रिटेन में अवैध प्रवेश की समस्या पर बातचीत हुई जिसमें ब्रिटिश सरकार ने अवैध आप्रवास में धोखाधड़ी को रोकने में भारत सरकार से अनौपचारिक तौर पर सहयोग मांगा इसके बारे में कोई विशेष करार नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी सैनिक दल द्वारा पाकिस्तान की यात्रा

390. **श्री बूटा सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सैन्य-विशेषज्ञों के एक दल ने जनवरी 1974 में पाकिस्तान की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का मुख्य प्रयोजन क्या था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) ऐसी सूचना मिली है कि चीनी दल ने पाकिस्तानी सैन्याध्यक्ष के निमन्त्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया था जो सम्भवत: गत वर्ष पाकिस्तानी दल द्वारा चीन का दौरा करने के बदले में किया गया ।

अडरा के प्रादेशिक सेना कार्मिकों में असंतोष

391. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अडरा (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में प्रशिक्षणाधीन प्रादेशिक सेना कार्मिकों में गत 6 महीनों में कोई असंतोष रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कार्मिकों की शिकायतें क्या थीं और उनको निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या आन्दोलन के कारण कार्मिकों के विरुद्ध कोई दान्डिक कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

प्रादेशिक सेना के कार्मिकों की सेवा शर्तें

392. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक विवादों में प्रादेशिक सेना के प्रयोग के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या प्रादेशिक सेना में भर्ती किए गए कार्मिकों को भर्ती से पूर्व यह सूचित किया गया था कि उन्हें हड़तालों के दौरान काम करना होगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या शर्तों की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 की धाराओं के अनुसार प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को अन्य बातों के साथ-साथ सिविलीयनों की सहायता भी करनी होती हैं । अत: आवश्यक सेवाओं को भंग होने से रोकने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है ।

(ख) प्रादेशिक सेना में भर्ती किए गए व्यक्ति उक्त अधिनियम की धाराओं से बाध्य है ।

(ग) प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के खण्ड 7 का एक उद्धरण संलग्न है, जिसमें सैनिक सेवा के लिए दायित्व का उल्लेख किया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6169/74]**

औद्योगिक कारखानों द्वारा इस्पात का कथित दुरुपयोग

393. श्री वसंत साठे :

श्री गजाधर मांझी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कारखाने नियमित साधनों से जारी किये गये इस्पात का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमित साधनों से जारी किये गये इस्पात के प्रयोग को सत्यापित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में हठात् जांच की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तथा इस्पात के दुरुपयोग की प्रभावी रोकथाम के लिये किन अन्य उपायों पर विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा आवंटित इस्पात सामग्री के दुरुपयोग के बारे में यदाकदा रिपोर्टें मिलती रहती है। इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए गये हैं/किए जा रहे हैं। लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश 1956 में विशेषत: यह व्यवस्था करने हेतु संशोधन किया गया है कि जिस कार्य के लिए इस्पात का आबंटन किया गया हो उसका अथवा उसकी मांग की गई हो, उसका उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग इस आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय होगा। आवंटित इस्पात सामग्री का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपुर, हैदराबाद और नई दिल्ली में लोहा और इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय आकस्मिक जांच भी करते हैं और यदि दुरुपयोग का कोई मामला सामने आता है तो वे उचित कार्रवाई करते हैं। जब भी आवश्यक होता है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/राज्य पुलिस प्राधिकारियों से भी सहायता ली जाती है।

Pakistan declined to accept Biharies

395. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Pakistan has declined to accept two lakh Biharies; and

(b) if so, the reasons therefor and Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) Under the terms of the Delhi Agreement, Pakistan is committed to accept all its nationals in Bangladesh who belong to the categories of persons of West Pakistani origin, Central Government employees and divided families. In addition to this 25,000 persons belonging to hardship category have also to be taken by Pakistan. By 10th February 1974 Pakistan had accepted 51,021 persons from Bangladesh belonging to the first three categories specified above.

Fire-Arms Manufactured at Kanpur

396. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some Defence equipments are manufactured in Kanpur, Uttar Pradesh; and

(b) if so, the nature of the fire arms manufactured there and whether it is proposed to set up a new factory also ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) It is not in public interest to disclose the nature of the fire arms under manufacture.

Government has sanctioned a project for the manufacture of an Indian Field Gun. Production of this gun has been planned by augmenting the existing capacity in the Ordance Foctories.

Strengthening of Military Power by U. S. A. and others in Indian Ocean

397. Shri Phool Chand Verma :
Shri B. S. Chowhan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether U. S. A. and other big powers propose to go ahead with their scheme of strengthening thier Military power in the Indian Ocean ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government is aware that the United States, as a result of negotiations with the Government of U.K., has announced its plans to expand the military facilities on the island of Diego Garcia.

(b) Our grave concern has been conveyed to the Governments of the United States and the United Kingdom at this development which runs counter to the United Nations General Assembly Resolution, declaring the Indian Ocean as a Zone of Peace and calling upon the Great powers to halt the further escalation of expansion of their military presence in the Indian Ocean.

Blackmarket in Steel Allotted from Indore Yard of Hindustan Steel Limited

398. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the quota allotted to establishments/institutions from the Yard of Hindustan Steel Limited, Indore was sold by the establishments/institutions in blackmarket in large quantity during the last years ; and

(b) if so, the number of such establishments/institutions and the action taken against each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) and (b) Under the present system of distribution, there is no allotment of quotas. Steel materials from the main producers/stockyards are released in accordance with the policy in this regard. However, the question of any misutilisation of steel materials released through the stockyard of Hindustan Steel Limited at Indore is being investigated and full information will be laid on the Table of the House.

Allotment of Steel Quota from Indore Yard of Hindustan Steel Limited

399. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of establishments and individuals who have been allotted quota of steel from the Indore Yard of Hindustan Steel Limited together with the quantity of quota allotted to each of them during the last three years ;

(b) the names of the steel items allotted to the establishments and the quantities thereof; and

(c) the names of the steel items alloted to the individuals and the quantities thereof ;

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) Under the present system of distribution, there is no allotment of quotas. Steel materials are released from the main producers stockyards in accordance with the policy in this regard.

(b) and (c) Information regarding actual releases of steel materials from the Indore stockyard of Hindustan Steel Limited is being collected and will be laid on the Table of the House.

Non-Deposit of E. P. F. by Textile Mills in Indore and Ujjain

400. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Labour** be pleased to state.

(a) the number and names of textile mills in Indore and Ujjain which have not so far deposited the amount of Provident Fund in respect of their employees indicating the amount outstanding against each; and

(b) the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The Provident Fund Authorities have reported that the information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

ध्यानाकर्षण के बारे में

RE CALLING ATTENTION

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : श्रीमान जी, गुजरात की स्थिति की ओर ध्यान दिलाने से पूर्व मैं आप से अनुरोध करता हूं कि जहां आप ने कृपा करके इस महत्वपूर्ण मामले को ध्यानाकर्षण के रूप में पेश करने के लिये स्वीकार किया है, वहां गुजरात से अन्य सदस्यों को बैलट प्राप्त नहीं हुआ है । अतः मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके गुजरात से अन्य सदस्यों को कुछ अन्य प्रश्न पूछने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गुजरात में पुलिस द्वारा गोली चलाने की बढ़ती हुई कथित घटनाएं

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : श्रीमन्, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"गुजरात के विभिन्न भागों में पुलिस द्वारा गोली चलाने की बढ़ती हुई घटनाओं में छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार"

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य भागों में हुए दंगों जैसे महत्वपूर्ण मामले को उठाया जाता है और जब मेरे मित्र श्री प्रसन्नभाई मेहता ने विशेष रूप से गृह मंत्री को उत्तर देने की प्रार्थना

की है, तो राज्य मंत्री उनकी ओर से उत्तर देने के लिये क्यों खड़े हो रहे हैं? गृह मंत्री कहां हैं। क्या वह इस लिये यहां नहीं है कि गुजरात की स्थिति की तुलना में उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिक महत्वपूर्ण हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक ओर तो आप यह शिकायत कर रहे हैं कि आप के सदस्य उपस्थित नहीं हैं? कोई बात आप स्वयं पूछ रहे हैं और अपने आप ही उसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गृह मंत्री उपस्थित क्यों नहीं हैं। क्या सरकार का विचार यह है कि गुजरात का मामला उत्तर प्रदेश के चुनाव की अपेक्षा कम महत्व रखता है?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति रखिये। कृपा करके बैठ जाइये। यदि आप अपने स्थगन प्रस्ताव को इस आधार पर वापस ले सकते हैं कि कई सदस्य चुनाव के सिलसिले में बाहर गये हुये हैं, तो आप दूसरों को इस बात के लिये दोषी कैसे ठहरा सकते हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : चूंकि गुजरात के किसी अन्य संसद् सदस्य को बैलट प्राप्त नहीं हुआ है, इस लिये मैंने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की थी कि वह गुजरात के अन्य सदस्यों को भी प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : तर्क मत कीजिये।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : इस वर्ष के आरम्भ से गुजरात के विभिन्न भागों में लोगों के विभिन्न दलों द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुओं की कम सप्लाई और उनके मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि से आन्दोलन उठ खड़े हो गए। इन आन्दोलनों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर सरकारी गोदामों, खाद्यान्नों की दुकानों, तेल डिपुओं, नगर पालिका और राज्य परिवहन बसों पर हमले किए गए और आग लगाई गई और फलस्वरूप पुलिस को इन आन्दोलनों को रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा।

9 फरवरी, 1974 से पहले, जब संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा एक उद्घोषणा जारी की गई, पुलिस ने 30 स्थानों पर गोलियां चलाई जिसके फलस्वरूप 45 व्यक्तियों की जानें गई और 137 व्यक्ति घायल हुए। एक पुलिस उप-निरीक्षक और दो पुलिसमैन भी मारे गए और आन्दोलनों के दौरान 919 पुलिस अधिकारी और पुलिसमैन घायल हुए। 10 फरवरी, 1974 के पश्चात् 20 तारीख तक पुलिस को 6 स्थानों पर गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 20 व्यक्ति घायल हुए। कल भी अहमदाबाद में स्थिति बहुत ही असंतोषजनक थी और पुलिस को कई स्थानों पर गोली चलानी पड़ी थी जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 25 व्यक्ति घायल हुए। सरकार इन दुखद घटनाओं पर शोक व्यक्त करती है तथा इन आन्दोलनों के दौरान मरने वाले लोगों के शोकसन्तप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है।

अभावों तथा अधिक मूल्यों के कारण उत्पन्न समस्याओं का राज्य को सामना करना पड़ रहा है और राज्य की जोर पकड़ रही आर्थिक समस्याओं का संतोषजनक हल निकालने के लिए प्रशासन को उस ओर अधिक ध्यान देना होगा। मैं गुजरात के छात्रों तथा अन्य लोगों से अपील करता हूं कि वे तत्काल पुनः सामान्य स्थिति लाने में अपना पूर्ण सहयोग दें ताकि राज्य की समस्याओं को हल किया जा सके।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान से सुना है । मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं और मुझे आशा है कि सभा की भी इससे सन्तुष्टि नहीं होगी... **(व्यवधान)**

श्री मूलचन्द डागा (पाली) **:** आप समूची सभा की ओर से कैसे बोल सकते हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं कह रहा हूं कि इससे सभा सन्तुष्ट नहीं हुई है क्योंकि इसमें गुजरात में हुये हाल के दंगे के मूल कारण नहीं बताये गये हैं। सारा देश जानता है कि गुजरात के लोग $1\frac{1}{2}$ मास से अधिक समय से आन्दोलन कर रहे है और वहा के लोगों को कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। मैं राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाया हूं कि व अक्षम हैं, भ्रष्ट हैं तथा स्थिति से निपटने में असफल रहे हैं । राज्य सरकार दो मुख्य बातों में बुरी तरह असफल रही है। प्रथम खाद्यानों, खाद्य तेलों, चीनी आदि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखने में, द्वितीय सार्वजनिक वितरण पद्धति के द्वारा लोगों को पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर खाद्यानों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात के लोग सांविधानिक और शांति पूर्ण तरीकों में विश्वास रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल तथ्यों का ही उल्लेख कर सकते हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : गुजरात में आज भी स्थिति तनावपूर्ण है। राज्य में सत्तारूढ दल ने वहां ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अब लोगों की सहनशक्ति नहीं रही । सरकार ने उन लोगों तथा अन्य राजनीतिक दलों द्वारा उठाये गये मामले तथा पर्याप्त मात्रा में खाद्यानों की सप्लाई करने की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मामले में वह किसी कागज का केवल उल्लेख कर सकते हैं, वे इसे पढ़ कर सुना नहीं सकते। क्योंकि यह एक गलत परम्परा बन जायेगी।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ने खाद्यानों की पर्याप्त सप्लाई के लिये लोगों की उचित मांग की उपेक्षा की है। मेरे दल ने सत्याग्रह किया। संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को अपने आप को गिरफ्तारी के लिये पेश किया । कुमारी मणिबेन पटेल की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल प्रधान मंत्री को मिला। किन्तु, इसका कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि सत्तारूढ़ दल सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता था । सतारूढ़ दल ने लोगों की कठिनाईयों तथा अत्यधिक कष्टों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि उनका केन्द्र तथा राज्य दोनों में भारी बहुमत था। गहूं, बाजरा और मीठे तेल के मूल्य बढते गये किन्तु उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। सूखे वाले वर्ष में भी इतने मूल्य नहीं बढे थे, जितने कि इस वर्ष बढ़े हैं जब कि वर्षा अच्छी हुई है ।

विभिन्न संगठनों ने बार बार सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने के लिये कहा कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यानों की सप्लाई की जाये और जीवन की आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध किया जाये । किन्तु सरकार के पास 1972 में विधान सभा के चुनाव होने के पश्चात लोगों के बारे में सोचने के लिये समय ही नहीं था। सत्तारूढ़ दल के मंत्री और विधायक अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये आपस में लड़ते रहे ।

जनवरी, 1974 में एक इंजीनियरी कालेज के मेस संबंधी शुल्क को बढ़ा दिया, जिससे छात्रों में रोष फैल गया । बढ़ती हुई महंगाई का उनके माता पिता पर प्रभाव पड़ा ।

समाज के सभी वर्गों ने छात्रों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। छात्रों ने भी उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई करने की मांग की।

श्री नरेन्द्र कुमार सांलवे (बेतुल) : हम सभी इस बात से सहमत हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। फिर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मामले में एक भाषण को एक प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिये **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मेहता, जैसा कि आप जानते हैं, कि इसके लिये एक प्रक्रिया निर्धारित है। प्रश्न पूछने से पूर्व थोड़ी प्रस्तावना देने की अनुमति होती है। आप अपना प्रश्न पूछ कर इसे समाप्त क्यों नहीं करते।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि आप ने एक स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी और इसलिये मैं आपकी अनुमति से सभा के सामने तथ्य रखना चाहता हूं।

राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार एक दूसरे पर दोष लगाती रही। सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भी एक बैठक में मूल्यों में वृद्धि के प्रति विरोध प्रकट किया तथा खाद्यान्नों की सप्लाई करने में चिमनभाई पटेल सरकार की असमर्थता के लिये चिन्ता व्यक्त की। चिमनभाई पटेल मन्त्रिमण्डल के कुछ मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री के ही विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये।

यह बात सभी जानते हैं कि मुख्य मंत्री ने मुंगफली तेल पर लगा प्रशुल्क इसलिये हटाया ताकि दल के लिये 25 लाख रुपया एकत्र किया जा सके। यह बताया जाता है कि इस वसूल किये गये धन का काफी भाग उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा के चुनावों पर खर्च करने को दिया गया .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके आप बैठ जाइये। मेरे कहने के बावजूद भी आप अपना प्रश्न पूछ करके इसे समाप्त नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : आन्दोलन को कुचलने के लिये तीव्र शस्त्र कार्यवाहियों से 60 से 70 निर्दोष व्यक्तियों की जानें चली गयीं। मैंने अपने आप को इस सभा में गुजरात राज्य की स्थिति का वर्णन करने तक ही सीमित रखा है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं।

गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिये इतना अधिक समय क्यों लगा? सरकार लोगों की लोकप्रिय और उचित मांग के अनुसरण में राज्य विधान सभा को भंग करने तथा तुरन्त नये चुनाव कराने के बारे में विचार क्यों नहीं करती? केन्द्रीय सरकार ने गुजरात के लोगों को उचित मूल्यों पर तथा समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न तथा जीवन की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई क्यों नहीं की? क्या यह सच है कि गुजरात में लोगों द्वारा आन्दोलन शुरू किये जाने के पश्चात् गोली का चलाया जाना इतना अधिक हो गया कि गुजरात के समान भारत के किसी अन्य राज्य में इतनी जानें नहीं गयी और स्वतंत्रता के पश्चात् इतनी अधिक गोली किसी राज्य में भी नहीं चलायी गयी जितनी कि गुजरात में?

श्री राम निवास मिर्धा : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पुलिस द्वारा गोली चलाने की बढ़ती हुयी घटनाओं तथा उससे संबंधित मामलों के बारे में था। किन्तु माननीय सदस्य ने कई अन्य बातें और मामले उठाकर अपने भाषण को लम्बा कर दिया है। मैंने अपने वक्तव्य में बता

[श्री राम निवास मिर्धा]

दिया है कि गुजरात में खाद्य स्थिति किसी समय जटिल हो गयी थी। आवश्यक वस्तुओं की कमी भी थी। केन्द्रीय सरकार ने यथासम्भव खाद्यान्नों की सप्लाई करके राज्य सरकार की सहायता करने का प्रयास किया था। माननीय सदस्य ने पूछा है कि सरकार इस समय स्थिति को सुधारने के लिये क्या कर रही है। स्थिति अब काफ़ी सुधर चुकी है। खाद्यान्नों की कीमतें कम हो रही हैं। अन्य राज्य सरकारें भी वहां खाद्यान्न भेज रही हैं और यदि विपक्षी दलों के सदस्य वहां के प्रशासन के साथ सहयोग करें, तो स्थिति को काफ़ी सीमा तक सुधारा जा सकता है।

कुछ दलों ने इस कठिन स्थिति का लाभ उठाकर आन्दोलन का मार्ग अपनाया जिसने कभी कभी हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। यही कारण था कि कुछ मामलों में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस के व्यक्तियों को भी कष्ट सहन करने पड़े हैं। इन हिंसात्मक आन्दोलनों में सैंकड़ों की संख्या में वे घायल हुए और उनमें से कुछ मर भी गये हैं...

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमान जी ..... (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा (तुमकूर) : उनके द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पुलिस के व्यक्तियों की स्वयं पुलिस के व्यक्तियों द्वारा ही हत्या की गयी।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कितने जमाखोरों और चोर बाजारी करने वालों को गोली मार दी गयी ?

Mr. Speaker ; You can't discuss the matter quietly. In the House one has to listen others. If you think that it is proper to quarrel and make voice, there is no need of this House. You can decide outside the House.

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि आन्दोलनों के दौरान एक पुलिस सब-इंस्पैक्टर और एक पुलिस मैन मारे गये और 919 पुलिस के अधिकारी घायल हुये। पुलिस को गोली चलानी पड़ी क्यों कि आन्दोलनों ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं ने तो कुछ विशेष प्रश्न पुछे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह एक सीधा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रश्न नहीं है। आप ने कई प्रश्न पुछे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं ने बताया है कि वहां स्थिति ऐसी पैदा हो गयी कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू करने में इतना अधिक समय क्यों लगाया—मेरा कहना यह है कि सरकार ने अधिक समय नहीं लगाया। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुई थी और इसने उचित समय पर उचित कार्यवाही की।

विधान सभा को भंग करने की मांग के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए तथा ऐसी स्थिति को पैदा करने के लिए जिसमें सहयोग करने की प्रार्थना करता हूं जिसमें लोगों की आर्थिक दशा तथा खाद्यानों के वितरण के काम को सुधारा जा सके।

Shri M. C. Daga (Pali) : Mr. Speaker, Sir, in democracy threats have got no place. When we resort to arson and root instead asking for food. . . .

Shri S. A. Shamim (Srinagar) ; Who does this?

Shri M. C. Daga ; You incite for this. I think that the problems can be solved in the Parliament or the State Legislative Assembly. The question was whether you wanted to keep the democracy alive. (*Interruptions*). . . in which you have no belief. . .(*Interruption*). . . If you have belief in democracy, you will have to learn the way to get it functioned properly. Please let me know that after 9th February. . : (*Interruptions*). . .

Mr. Speaker ; Some such method should be adopted so that members may express their views. I want that everything should be expressed in the House quietly and in smooth manner.

Shri M. C. Daga ; Some political leaders come up by service, but some other people take the advantage of agitations and become leaders. I want to ask why our home department is not taking action against those unsocial elements who demand the abolition of State Assemblies and indulge in other anti-social activities.

One day people can go to the houses of Members of Parliament and stage dharna like this(*Interruptions*). Mr. Speaker, Sir, please ask Mr. Shamim that he should not kill the democracy like this and should not interrupt in this way.

Shri S. A. Shamim ; I have been sent here to speak.

Shri M. C. Daga ; You have not been sent here to interrupt. You have been sent here to speak properly.

There was the problem of shortage of food grains but instead of solving it, it is not proper to demand the dissolution of the State Assembly. It can be settled in the State Assembly.

Some leaders have asked the people to start agitation and stage dharna to compel the legislators to resign from the membership of the Assembly. I want to know that what action has been taken against those people?

What is this Nov-Nirman Samiti by whom it is being run. Action should be taken against such people. This agitation is not supported by public but it is a politically motivated agitation. I want to know the action which is proposed to be taken in this regard.

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमान जी, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने के पश्चात् भी गुजरात में स्थिति शान्ति पूर्ण नहीं हुई है। वहां आन्दोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया है और लोगों की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रशासन के साथ सहयोग करने की बजाय विरोधी दल हिंसात्मक आन्दोलन कर रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री प्रसन्नभाई मेहता : किन्तु आप ने परामर्श की ओर ध्यान नहीं दिया। **(व्यवधान)**

श्री राम निवास मिर्धा : मैं तो वहां की स्थिति के बारे में बता रहा हूं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि वहां सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वहां सामान्य स्थिति पैदा की जाये ताकि गरीबों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके और आवश्यक वस्तुओं को वहां भेजा जा सके और प्रशासनिक उपायों के द्वारा लोगों को राहत दी जा सके।

[श्री राम निवास मिर्धा]

मैं माननीय सदस्यों को अपील करता हूं कि वे सरकार के कामों में सहयोग दे और गुजरात की शान्तिपूर्ण जनता के विरुद्ध कड़े उपायों को लागू न करें।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस द्वारा गुजरात में अनेक लोगों को घरों से बाहर निकाला गया था और उन्हें गोली मार दी गयी थी। क्या युवकों को नंगा करके गलियों में घुमाया गया था तथा गलियों में ही गोली मार दी गयी थी।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या बलात्कार के मामले भी किये गये थे, जहां पुलिस इतनी निर्दयी हो गयी थी कि वे अपनी हत्या स्वयं करने लगे और पुलिस के एक वर्ग ने पुलिस के दूसरे वर्ग की भी हत्या की।

मैं जानता हूं कि उन्होंने सब कुछ राज्य सरकार के जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिये किया जिन्होंने सारा खाद्यान्न छुपा लिया था और जिसके कारण गुजरात में लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ा? क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सब कुछ इसी कारण हुआ था कि सत्तारुढ दल ने जमाखोरी तथा चोरबाजारी करने वालों और एकाधिकारियों के सामने हथियार डाल दिये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चिमन भाई पटेल मंत्रि मण्डल के सिविल सप्लाई के मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह जाले जिन के बारे में यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मुख्य मंत्री के साथ मिल कर खाद्य तेल के बडे बडे व्यापारियों अथवा तेलिया राजाओं से जैसा कि उन्हें पुकारा जाता है, 31 लाख रुपये घूस ली थी . . .

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना): किसी ने उनका गलत मार्गदर्शन किया है यह बात गलत है।

श्री बीरेन दत्त : गुजरात कांग्रेस के प्रधान श्री जीनादारजी ने 70 लाख रुपयें से अधिक धनराशि खाद्य राहत आबंटन से हथियायी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्थानांतरण आदि के लिये धन लिया जाता है। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या उर्वरक, डीजल, सीमेंट, इस्पात आदि के वितरण और आबंटन में खुले आम भ्रष्ट तरीके अपनाये गये थे, क्या इन्ही बातों से ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी जैसी कि अभी भी वहां बनी हुयी है? क्या सरकार गुजरात की विधानसभा को भंग करने के बारे में विचार कर रही है ताकि यथाशीघ्र गुजरात में शान्ति स्थापित की जा सके और कई और लोगों की जानें न जायें।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने पुलिस द्वारा कथित अत्याचारों के कुछ उदाहरण दिये है। मैं इस समय उनके बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। किन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी, उनकी पूरी तरह जांच की जायेगी। और यदि कोई दोषी पाया गया, तो सभी संबधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री सरोज मुखर्जी, संसद सदस्य की कथित गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. ALLEGED ARREST OF SHRI SAROJ MUKHERJEE, M.P.

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : 26-11-73 को श्री सरोज मुखर्जी, संसद सदस्य ने अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 15-11-73 को कलकत्ता पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी और अध्यक्ष को अपनी गिरफ्तारी के बारे में पुलिस द्वारा सूचना न देने के बारे में बताया। श्री मुखर्जी के अनुसार उनकी गिरफ्तारी संसद सदस्य के रूप में उनके विशेषाधिकार का भंग होना है।

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 9 राजनीतिक दलों ने 15-11-1973 को कलकत्ता में राजा सुबोध मालिक स्क्वेयर से अपने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के एक अंग के रूप में एक जुलूस निकाला। जलूस का नेतृत्व इन दलों के नेताओं ने किया जिनमें श्री सरोज मुखर्जी संसद सदस्य भी सम्मिलित थे।

एसप्लेनेड रो ईस्ट स्थान पर पहुंच कर प्रदर्शनकारियों के हिंसक रूप धारण किया और उन्होने पुलिस का घेरा तोड दिया और पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने 610 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। एक भी नेता गिरफ्तार नहीं किया गया। जब गिरफ्तार व्यक्तियों को कलकत्ता की प्रेसीडेंसी जेल ले जाया जा रहा था, तो श्री सरोज मुखर्जी संसद सदस्य तथा कुछ अन्य नेताओं ने गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ जाने पर जोर दिया यद्यपि उन्हें एसप्लेनेड रो ईस्ट की पुलिस पार्टी के मुख्य अधिकारी ने बताया कि वे हिरासत में नहीं हैं। श्री सरोज मुखर्जी, संसद सदस्य अन्य नेताओं के साथ उसी दिन मध्यान्ह पश्चात प्रेसीडेंसी जेल के द्वार पर पहुंच गये, उन्होने जेल के द्वार के निकट टेंट में अपने स्थान ग्रहण कर लिए उन्हें फिर बताया गया कि वे पुलिस हिरासत में नही है किन्तु उन्होने द्वार के निकट ठहरने का आग्रह किया। गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल के अन्दर पहुंचा कर बाद में पुलिस जेल के द्वार से श्री सरोज मुखर्जी और अन्य नेताओं का उनके अनुरोध पर उनके घर पहुंचा दिया।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैं एकस्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता है कि श्री सरोज मुखर्जी एसप्लेनेड रोड से प्रेसीडेंसी जेल में कैसे पहुंचे गये? उन्होंने एक पुलिस वैन में यात्रा की। यदि यह बात है, तो बिना गिरफ्तार हुये वैन में कैसे पहुंच गये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उनके साथ जाने के लिये आग्रह किया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, वह सही नहीं है। माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं और उन्होने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ऐसी बात पहले भी हो चुकी है। मंत्री महोदय ने सभी को गुमराह किया है। उन्हें गिरफ्तार कर के प्रेसीडेंसी जेल ले जाया गया था।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इस मामले को अवश्य ही विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये। उन्होंने गलत वक्तव्य दिया है। आप को इस पर अपना निर्णय देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य यहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें बिना गिरफ़तार किये पुलिस वैनमें कैसे ले जाया जा सकता है। इस बारे में आप का निर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये। मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें गिरफ़तार नहीं किया गया। यदि उन्हें नजरबन्द किया गया है, तो वह न्यायालय में जा सकते हैं। यह सभी इस बारे में निर्णय नहीं कर सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री ने इस बात से इन्कार नहीं किया है कि सरोज मुखर्जी ने पुलिस की वैन में प्रेसीडेंसी जेल गये जो एस्प्लेनेड रोड ईस्ट से 5 मील दूर है। जब तक एक व्यक्ति को गिरफ़तार न किया जाये, तब तक वह पुलिस वैन में कैसे जा सकता है? मेरी प्रार्थना है कि आप वकील के समान इस ओर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि अध्यक्ष को सूचित नहीं किया जाता तो विशेषाधिकार समिति भी इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकती। वे कहते हैं कि उन्होंने उन्हें गिरफ़तार नहीं किया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के विरूद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें अवैद्य रूप से हिरासत में रखा गया था तो वह न्यायालय में जा सकते हैं। अध्यक्ष न्यायालय का कार्य नहीं कर सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय बताएं कि क्या श्री सरोज मुखर्जी ने एसप्लेनड रोड ईस्ट से प्रेजीडेंसी जेल पुलिस की गाडी में गये थे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी पैदल चलने वाले को पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया जाता है तो क्या वह वंदी बन जाता है।

श्री राम निवास मिर्धा : उन्हें बार बार बताया गया था कि वह वंदी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मव बसु : श्री सरोज मखर्जी को पुलिस की गाड़ी में यात्रा करने मे बाधित किया गया अतएव वह बंदी थे।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें गिरफ्तार किया होता तो उसकी जानकारी अध्यक्ष को दी जाती। आप अपनी बात को बाहर सिद्ध करे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आपको सदस्य के वक्तव्य का विश्वास करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य ठीक हैं और मंत्री महोदय ने गलत बताया है। माननीय मंत्री को जानकारी लाने के लिए कहा गया था और उन्होंने उपलब्ध जानकारी सदन को दे दी है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्टस लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा मोटार गाडी कल पुर्जों के उचित विक्रय मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति –

(एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्टस लिमिटेड के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महा-लेखापरिक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6156/74]

(2) (एक) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मोटर गाड़ी कल पुर्जों के उचित विक्रम मुल्य संबंधी प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (1968) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6157/74]

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महा सचिव : (एक) मैं पिछले सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) विनियोग (रेल) संख्या 4 विधेयक, 1973.

(2) विनियोग (संख्या 4) विधयक, 1973.

(3) विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1973.

(4) उड़ीसा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973.

(5) आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1973.

(दो) मैं पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 13 विधेयकों की प्रतियां भी, राज्य सभा महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणिकृत. सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधियां) विधेयक, 1973.

(2) टेक्सटाइल समिति (संशोधन) विधेयक, 1973.

(3) प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1973.

(4) भारतीय रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973.

(5) एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटड (उपक्रमों का अर्जन) विधेयक, 1973.

(6) बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1973.

(7) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1973.

(8) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1973.

(9) कोंकण यात्री पोत (अर्जन) विधेयक, 1973.

(10) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1973.

(11) मुल्की नियम (निरसन) विधेयक, 1973.

(12) दिल्ली नगर कला आयोग विधेयक, 1973.

(13) दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1973.

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक

DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय का बढ़ाया जाना

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बैतूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले तथा कतिपत सम्बन्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय 30 अप्रैल, 1974 तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1971, धनकर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले तथा कतिपय सम्बद्ध मामलों का उपलब्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय 30 अप्रैल, 1964 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

motion was adopted.

संविधान (32 वां संशोधन विधेयक)

CONSTITUTION (THIRTY-SECOND AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय का बढ़ाया जाना

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय शीतकालीन सत्र, 1974 के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय शीतकालीन सत्र, 1974 के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

36 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 36 वें प्रतिवेदन से, जो 19 फरवरी, 1974 को सभापटल पर रखा गया था, सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 36 वें प्रतिवेदन से, जो 19 फरवरी, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा संसद सदस्यों को पीटे जाने का समाचार

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर (औसग्राम) : मैं नियम 377 के अपील निम्नलिखित गम्भीर मामला उठाता हूं :

10 फरवरी 1974 को जगदल, जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल, में श्री सोमनाथ चटर्जी और इन्द्रजीत गुप्त संसद सदस्यों को पीट गया तथा मुझे लाठी द्वारा और राइफल द्वारा घायल किया गया । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को वक्तव्य देने तथा पुलिस अधिकारियों को दण्ड देने के लिये निवेदन करता हूं ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch Till Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) विधेयक—जारी
PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह विधेयक अनावश्यक और निरर्थक तो है ही साथ ही अनुचित तथा हानिकारक विधायी अधिनियम होगा क्योंकि इससे लोकमान्य सिद्धान्तों पर आघात पहुंचता है। इस विधेयक का उद्देश्य बताते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि वह बहुत अधिक संख्या में उम्मीदवारों के खड़ा होने तथा अरुचिपूर्ण ढंग से नामांकन पत्र दाखिल करने तथा बाद में चुनाव याचिकायें दायर

[श्री पी० जी० मावलंकर]

करने का समाप्त करना चाहते हैं। किन्तु यदि हम देश में लोक तंत्र परम्पराओं को स्थापित करना चाहते हैं तो हमें अधिक उम्मीदवारों को खड़ा होने से रोकना नहीं चाहिए। फिर आप संसद सदस्यों एवं विधायकों के हस्ताक्षरों का सत्यापन कैसे करेंगे क्योंकि उनके कोई नमूने के रूप में हस्ताक्षर नहीं हैं।

जमानत के रूप में 2500 रु० जमा करने की व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस जमानत से महत्वहीन नामांकनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे कम साधनों वाले इमानदार व्यक्ति राष्ट्रीय महत्व के विषय पर अपना योगदान नहीं दे पाएंगे।

अतएव मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके इस विधेयक को वापिस ले ले। इस विधेयक पर विचार करते समय संयुक्त समिति ने सहमति का जो सुझाव दिया है उस 'सहमति' को न्यायालय में सिद्ध करना कठिन है।

यदि सरकार इस विधेयक को वापिस नहीं लेती तो सभा को इसे रद्द कर देना चाहिए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : वादविवाद में उठायी गई कुछ बातों पर संयुक्त समिति में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। सदस्यों को विधेयक का मूल रूप तथा समिति द्वारा सुझाया गया परिवर्तित रूप भी प्राप्त हो गया है। सरकार संयुक्त समिति में तथा इस सभा में रखे गये विचारों को खुले रूप में देखती है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। एक सदस्य ने समानुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर संसद के चुनाव न कराने के कारण पूछे हैं। हम इस विधेयक द्वारा संविधान का संशोधन नहीं कर रहे हैं। इससे तो केवल राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कानून में परिवर्तन किया जा रहा है। लोक सभा अथवा राज्य सभा के लिये चुनाव की क्या रीति है। इस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पर चर्चा करते समय उत्तर दिया जा सकता है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि जबतक राष्ट्रपति स्वविवेक से कार्य नहीं करता उसके पद की गरिमा सुरक्षित नहीं रह सकती। परन्तु यह सुझाव लोकतंत्र के संसदीय सिद्धांतों के विरुद्ध है।

संविधान की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करना होता है। सरकार का गठन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के आधार पर होता है।

कुछ सदस्यों ने उप-राष्ट्रपति के पद के बनाये रखने पर प्रश्न उठाया है और राज्य सभा द्वारा ही अपना सभापति चुनने का सुझाव दिया है। यह मामले संविधान के नव-निर्माण से सम्बन्धित हैं।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा 10–10 सदस्यों द्वारा नामांकन तथा समर्थन के औचित्य के बारे में पूछा गया है। यह व्यवस्था इसलिए रखी जा रही है क्योंकि प्रत्येक चुनाव में ऐसे व्यक्ति भी रहें है जिन्हे एक भी मत नहीं मिला। चुनाव जीतना या हारना अलग बात है। कुछ व्यक्तियों ने ऐसा निश्चय कर लिया कि वह प्रत्येक चुनाव में खड़े होंगे। मुख्यत: सभी चुनाव दो उम्मीदवारों के बीच रहे हैं। निश्चय ही इस पद के लिये खड़े होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मत तो प्राप्त करने ही चाहिए।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों के लिए खड़े होने वाले व्यक्तियों को कुछ संसद सदस्यों तथा विधायकों का समर्थन तो होना ही चाहिए। इस बारे में सामान्य व्यक्ति का अधिकार छीना नहीं जा रहा है। अधिनियम में प्रस्तावक और समर्थक की व्यवस्था है। संयुक्त समिति ने राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये बहुत लाभदायक सिफारिशें की हैं।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार निर्वाचन याचिकायें दायर करने के लिये 10 सदस्य होने चाहिए। अतः यह बात मान ली गई है कि उच्चतम पद के संबंध में महत्वहीन मुकदमे बाजी नहीं होनी चाहिए।

यह भी कहा गया है कि 'सांठ-गांठ' के स्थान पर 'सहमति' शब्द क्यों रखा गया है। यह सामान्य धारणा है कि सहमति प्रमाणित करना बहुत कठिन है जबकि सांठगांठ प्रमाणित करना उतना कठिन नहीं है। मैं समझता हूं कि यह दोनों ही कठिन अथवा सरल हो सकते है। कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से किसी बात को प्रमाणित करना प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करने की तुलना में बहुत कठिन हो जाता है। सहमति शब्द को केवल इसलिए प्रयोग में लाने कारण है। यदि कोई सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को अथवा राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति अधिनियम 1962 के बाद वाद-विवाद पर ध्यान देगा तो उसे यह पता चलेगा।

मैंने यह जानने की कोशिश की है कि अलग अलग स्थानों पर "सांठगांठ" और "सहमति" शब्दों का उपयोग क्यों किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि इन शब्दों का उपयोग उचित ही है। 'सहमति' शब्द की व्याख्या तुलनात्मक दृष्टि से सरल हो गयी है।

इस सम्बन्ध में मैंने अन्य देशों के संविधानों को भी देखा है। मुझे इस प्रकार का कोई भी कानून नजर नहीं आया जिसमें विशषरूप से राष्ट्रपति के चुनाव हेतु व्यवस्था की गयी हो। लेकिन हमारे संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यवस्था की गयी है। व्यवस्था के अनुसार इस बात का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा कि चुनाव ठीक है अथवा गलत जिसके लिय हम आवश्यक कानून बनायेंगे।

जहां तक राशि जमा करने का सम्बन्ध है, निर्धन व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने का कोई प्रश्न नही है। किन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसे चुनाव में एक गम्भीर व्यक्ति राशि जमा कराने से पहले यह विचार करेगा कि क्या स्थिति सम्भालने के लिए उसे उचित अवसर मिलेगा। यह नाममात्र का ही नियंत्रण है जिससे किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका नही जा सकता।

ऐसा भी कहा गया है कि महत्वहीन याचिकायें होती हैं और महत्वहीन उम्मीदवार होते हैं। यदि ऐसे मामले होते हैं तो इसमें क्या खराबी है कि कानून इस ओर ध्यान दे और यह सुनिश्चित करे कि महत्वहीन व्यक्ति न आने पायें। वास्तविक व्यक्तियों को चुनाव के क्षेत्र में लाने के लिए यह ठोस कदम है।

सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया है। विधेयक में यह कोई नई बात नही जोड़ी गई है। यह इस संशोधन का अंग नहीं है। सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर देश के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति जाकर चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव की उम्मीदवारी के लिये आधारभूत प्रतिबंध है कि वह सदन की सदस्यता के लिये पूर्णरूप से योग्य है। वह सदस्यता के लिए तब तक योग्य नहीं हो सकता जब तक कि वह निर्वाचक नही होता और मतदान नहीं होता। इस प्रयोजन के लिए निर्वाचक सूची की सत्यापित प्रतिलिपि की आवश्यकता होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 से 9 और संशोधित रूप में पास करने पर प्रस्ताव

Clauses 2 to 9 and Motion to pass as amended

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adoped.

खंड 2 तथा 3 को विधेयक में जोड दिया गया ।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

श्री मूलचन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

This is a progressive legislation brought forward after 25 or 26 years. This bill provides for 10 proposers and 10 seconders and also deposit of Rs. 2500·00. These are the provisions which may delay those without money from contesting the elections. There was hardly any justification for such a provision.

श्री एच० आर० गोखले : मैं श्री डागा से अनुरोध करता हूं कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा आपको क्या कहना है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं इस पर बल नहीं देता ।

संशोधन संख्या 3 सभा को अनुमति से वापस लिया गया ।

Amendment No. 3 was by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 4 को विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5 तथा 6 को विधेयक में जोड दिया गया ।

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

खंड 7

श्री मूलचन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं, कि :

Why do not want the Government to delete the word Connivance?"

श्री एच० आर० गोखले : मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि अपने संशोधन पर बल न दें ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं इस पर बल नही दे रहा ।

संशोधन संख्या 4 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

Amendment No. 4 was by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 7 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खंड 8 तथा 9 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.

खंड 1

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पंक्ति 1, पृष्ठ 4 :—

'1973' के स्थान पर

'1974' प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संख्या 2]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

पंक्ति 1, पृष्ठ 4 :

'1973' के स्थान पर

'1974' प्रतिस्थापित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"Twenty Fourth Year" (चौबीसवे वर्ष) **के स्थान पर** Twenty Fifth Year (पच्चीसवे वर्ष) **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"Twenty Fourth Year" (चोबीसवे वर्ष) **के स्थान पर** "Twenty Fifth Year" (पच्चीसवे वर्ष)' **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The title was added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : This Bill is anti-democratic and may lower the honour and image of the President and Vice-President. The Government should withdraw this Bill. I oppose this Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : "प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 63, विपक्ष में 17,

Ayes 63, Noes 17,

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

काठगढ़ में रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RAILWAY ACCIDENT AT CATAGARH

उपाध्यक्ष महोदय : अगले विषय पर चर्चा शुरु करने से पहले हम रेल की टक्कर से हुई दुर्घटना के बारे में रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री से वक्तव्य सुनेंगे।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मुझे अत्यन्त दुख और खेद के साथ सदन को एक गम्भीर दुर्घटना के बारे में सूचित करना पड रहा है जो आज बहुत बड़के उत्तर रेलवे पर मुरादाबाद के निकट हुई है।

2. लगभग 00.45 बजे 66 डाउन देहरादून – वाराणसी जनता एक्सप्रेस मुरादाबाद बरेली इकहरी लाइन खंड पर कठघर लेफ्ट बैंक स्टेशन पर एक खडी हुई माल गाडी से टकरा गयो।

3. इस दुर्घटना के फलस्वरूप दोनों गाडियों के इंजन पटरी से उतर गये। तीसरे दर्जे का एक सवारी डिब्बा जो एक्सप्रेस गाडी के इंजन से सटा हुआ था, पटरी से उतर गया और धंस गया।

4. दुर्घटना के बारे में सूचना मिलते ही रेलवे डाक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारीयों के साथ रेलवे चिकित्सा यान तुरन्त ही घटना स्थल पर भेज दिया गया। मुरादाबाद मण्डल और उत्तर रेलवे मुख्यालय और रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गये है।

5. उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार 40 व्यक्ति मारे गये और 56 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से 8 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल बताया गया है। उन्नीस घायल व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद मुरादाबाद के रेलवे और सिविल अस्पतालों में भरती कर लिया गया है। शेष 37 व्यक्तियों को जिन्हें मामूली चोटें आयीं थीं प्राथमिक चिकित्सा के बाद भेज दिया गया।

6. मुझे दुर्घटना के बारे में मुरादाबाद में उस समय सूचना मिली जब मैं लखनऊ मेल से यात्रा कर रहा था और मैं तुरन्त ही घटना स्थल की ओर चल पड़ा ताकि घटनास्थल पर बचाव और सहायता काय का अनुमान और पर्यवेक्षण कर सकूं।

7. जो लोग इस दुर्घटना से फलस्वरूप मारे गये हैं या स्थायी रुप से बिलकुल बेकार हो गये है उन्हें 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जायेगी। अन्य घायल व्यक्तियों को भी निर्धारित दर से क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

8. उत्तरी क्षेत्र क रेलवे संरक्षा के अपर आयुक्त इस दुर्घटना ी सांविधिक जांच करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : रेल मंत्री को इस बात पर तुरन्त त्यागपत्र देना चाहिये **(व्यवधान)**

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : I may be permitted to say a few words because this accident has taken place in my District.

उपाध्यक्ष महोदय : सम्भलीजी अब आप सभापति तालिका के सदस्य हैं। यहां आसीन होने पर आपको इन नियमों का पता लगेगा कि मंत्री के वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। आप भविष्य में किसी अन्य अवसर पर इस विषय पर बोल सकते हैं। नियम स्पष्ट हैं। **(व्यवधान)**

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक

WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) BILL

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : उद्योगों के बढ़ने से बड़े नगरों में नदी नालों और कुओं आदि के प्रदूषण की समस्या ने हाल के कुछ वर्षों में बहुत जटिल रूप धारण कर लिया है। रसायनिक खादों और कीटनाशी औषधियों से प्रयोग से भी प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हुई है। देहातों में बड़ी संख्या में लोग अब भी नदी जल ही पीते हैं। औद्योगिक प्रयोगों एवं सिंचाई के लिये भी जल साफ होना चाहिए।

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

प्रदूषण रोकने के लिए प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति 1962 में गठित हुई थी। उस समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया। उस पर स्थानीय सरकारों की केन्द्रीय परिषद ने भी विचार किया। परिषद ने निर्णय लिया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये संसद एक कानून तैयार करे। तदानुसार एक विधेयक तैयार किया गया और उस पर 1965 में हुई परिषद की बैठक में विचार हुआ। इन समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निश्चय किया कि केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर ऐसे प्राधिकार बनाये जाये जो नदियों और कुओं का जल प्रदूषण रोकें। यह विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है अतः सरकार ने इस पर राज्यों के विचार जानने के लिये प्रचालित किया। गुजरात, हरयाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल और कर्नाटक राज्यों ने दिसम्बर, 1969 में अनुच्छेद 252(1) के अंतर्गत संकल्प पारित किय। इस बीच आसाम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मध्य-प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्यों ने भी ऐसे संकल्प पारित किये। संशोधनो सहित अधिनियम पारित होने पर सभी राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों पर लागू होगा। अन्य राज्यों को ऐसी ही कार्यवाही करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है ताकि देश भर के लिये जल-प्रदूषण रोकने के लिये समान कानून बन सके।

सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण) विधेयक 1969 में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया जिसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया। उक्त समिति ने दिसम्बर, 1972 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

इस विस्तृत प्रतिवेदन के तैयार करने के लिये मैं समिति के सभापति तथा उसके सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

इस विधेयक द्वारा केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना की जा रही है। केन्द्रीय सरकार को जल प्रदूषण के मामलों पर परामर्श देने तथा राज्यों के बोर्डों की कार्यवाहियों के क्रियान्वित करने के अतिरिक्त तकनीकी जानकारी के लिये भी सरकार को मार्गदर्शन करेगा। केन्द्रीय बोर्ड में 16 सदस्य होंगे और एक पूर्णकालीन सभापति होगा। राज्य बोर्डों का गठन भी वैसे ही होगा। और ये बोर्ड नदी, नालों और कुओं आदि में प्रदूषण निवारण नियंत्रण आदि के लिये व्यापक कार्यक्रम तैयार करेंगे और उन्हें कार्यान्वित करेंगे। ये कुओं नालों आदि को प्रदूषित करने वालों उद्योगों के स्थलों के बारे में भी परामर्श देंगे। न केवल नये उद्योगों को नियंत्रित किया जायेगा अपितु वर्तमान उद्योगों को भी इसके अधीन लिया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी व्यवस्था है। ये प्रयोगशालाएं विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्रित नमूनों का विश्लेषण करेंगी कि क्या प्रदूषण हो रहा है अथवा नहीं। इन विश्लेषन रिपोर्टों के आधार पर प्रदूषण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

सरकार इस बारे में एक उपकर लाने के लिए एक पृथक विधेयक लायेगी ?

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाये रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिए पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए उनसे सम्बन्धित शक्तियां और कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त और समनुदेशित करने ओर उनसे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदत्ता बनाये रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिए पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए उनसे सम्बन्धित शक्तियां और कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त और समनुदेशित करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

डा० सारदीश राय (बोलपूर) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इसे निर्माण और आवास मंत्री द्वारा क्यों लाया जा रहा है। दोनों सदनों की संयुक्त समिति में तथा इस विधेयक के निर्माण में स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने योगदान दिया। मेरा सुझाव है कि अधिनियम बनने पर इसकी क्रियान्विति का कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

न केवल जल प्रदूषण अपितु वातावरण प्रदूषण से भी बहुत अनिष्ट हो रहा है। प्रदूषण के कारण हुगली में मछली अब उपलब्ध नहीं होती। नागदा में नदी के प्रदूषण के कारण उसके किनारे पर बसने वाले लोग अपने पशुओं को चरने नहीं देते।

मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि सरकार इस अधिनियम को लागू नहीं करना चाहती। 12 वर्ष तो इस विधेयक के लाने में लग गये। हमें शंका है कि सरकार इसे ठीक प्रकार से लागू नहीं करेगी। कई ऐसे अधिनियम जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधि अपमिश्रण अधिनियम आदि ठीक प्रकार से लागू नहीं किये जाते। सरकार को इस बात के लिए कठोर तथा तुरन्त कदम उठाने चाहिए कि उद्योग अपने मल आदि को ठीक प्रकार से हानि रहित कर दें।

सरकार को क्रियान्विति में दृढ़ता बरतनी चाहिए।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। इसे रसायन, कागज उर्वरक, रेयन और सिमेंट का उत्पादन करने वाले उद्योगों पर लागू किया जायेगा कि नहीं। प्रदूषण विरोधी कार्यक्रमों पर बहुत अधिक लागत आयेगी क्या सरकार इन कदमों को स्वयं उठायेगी तथा बाद में उसकी लागत संबन्धित उद्योगो से वसूल करेगी। इस बारे में भावी योजना बहुत आवश्यक है। योजना आयोग ने प्रदूषण विरोधी उपायों को हाथ में लेने का आश्वासन दिया है।

कुछ उद्योग नदियों के किनारों पर खड़े हो रहे हैं। ऐसी उद्योगों को आरम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन से नदियों का जल प्रदूषित तो नहीं होगा।

मंत्री महोदय ने प्रत्येक राज्य में बोर्डों की स्थापना की बात कही है। उन्होंने उपकर के बारे में उल्लेख किया है। इस उपकर का अर्थ क्या है। यह किससे वसूल किया जायेगा तथा इसका उपयोग किस प्रकार होगा। क्या इसका उपयोग केन्द्र तथा राज्य के बोर्डों के व्यय का भार वहन करने के लिये किया जाएगा अथवा प्रदूषण विरोधी उपायों में। विधेयक के एक खण्ड में नाले और कुओं में नहाने अथवा कपड़े धोने की मनाही करने अथवा उसे विनियमित करने के संबन्ध में है। इस बात का ध्यान रखा जाये कि इस विधान से लोगों को तंग न किया जाये।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : सरकार अच्छे विधेयक या तो लाती नहीं और यदि लाती भी है तो उपरी मन से। यह विधेयक जल प्रदूषण से संबन्धित है। वायु प्रदूषण का क्या होगा? क्या वातावरण के प्रदूषण का मामला इस से जुड़ा हुआ नहीं है। 1968 में स्वीडन के शिष्ट मंडल ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण के मामले को उठाया था और 1969 में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रत्येक सरकार को बड़ी सावधानी से इस विषय की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपने देशों में इस संकट का निवारण कर सके।

1968 या 1969 में डा० एम० एन० राव, भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता के तत्कालीन निदेशक ने भारत सरकार के अनुदेश से वायु और जल दूषण के संबन्धों में सर्वेक्षण किया था और उनके प्रतिवेदन में केवल वायु प्रदूषण को सम्मिलित किया गया था। उस प्रतिवेदन का क्या हुआ? मुझे पता चला है राज्यों में प्रचलित किये गये विधेयक में वायु और जल दोनों प्रदूषण का उल्लेख था। उस विधेयक का क्या बना?

जिस जल से पहले आग बुझाई जाती थी उससे ही आग लगने लग गई है। प्रत्येक गांव में जल-प्रदूषित होता है। यह गरीबों से उत्पन्न होने वाला एक खतरा है। प्रदूषण के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों आदि के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चहिए। पूंजीपति लोग अपनी फैक्टरियों की गंदगी दूर करने के लिये समुचित कदम नहीं उठाते।

देश में बड़े नगरों में मल से बहुत गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। अनेक नगरों में मल को छोटे छोटे खड्डों में फेंक दिया जाता है। वर्षा के बाद वहां पेय जल के सब स्रोत खराब और दूषित हो जाते है। इस समस्या से गम्भीरता से निपटने की आवश्यकता है।

सिंचाई आदि के लिये भी प्रदूषित जल दिया जाता है। खण्ड 33 के अधीन बोर्ड किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रदूषण के लिय उसके उत्तरदायित्व का मामला प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के पास ले जा सकते हैं।

खण्ड 4 (i) में 3 महीने के कारावास अथवा 5000 रुपए तक जुर्माने की व्यवस्था है। यह "अथवा" शब्द क्यों रखा गया है। इससे तो कारखाने वाले 500 अथवा 5000 रुपए देकर प्रदूषण सम्बन्धी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं।

मंत्री महोदय को विधेयक की इस प्रकार की कमियों को दूर करना चाहिए।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : इस विधेयक के लाने के लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

हमारे देश में 500 से अधिक नदियाँ है जिसे मनुष्य अधिक प्रदूषित कर रहे हैं। प्राचीन काल में गंगाजल को अमृत समझा जाता था परन्तु आज वही गंगाजल दूषित हो गया है।

इस प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। अशोक के समय पाकिस्तान और बर्मा समेत भारत की जनसंख्या एक करोड़ थी। ब्रिटिश राज्य में 30 करोड़ तथा उसके 25 वर्ष पश्चात् 60 करोड़ हो गई। जनसंख्या पर नियंत्रण किये बिना आप प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं कर सकते। वायुमंडल में अधिकाधिक आक्सीजन बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि अधिकाधिक वृक्ष और वनस्पति उगाएं। फिर भी हमने लगातार सारे वनों को काट कर समाप्त कर दिया। सरकार को वनारोपण की अधिकाधिक योजनाए आरम्भ करनी चाहिए।

जल और वायुमंडल को दूषित करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाये जाने चाहिए। लगता तो यही है कि न पानी ही शुद्ध किया जायेगा और न ही दूषण को रोका जायेगा। किन्तु रिश्वत और भ्रष्टाचार बढ़ेंगे।

यह विधेयक तो अच्छा है परन्तु इसकी क्रियान्विति भी ठीक प्रकार होनी चाहिए।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं इस विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं। निस्संदेह ही यह एक प्रगतिशील विधेयक है।

मैं अपने माननीय मित्र श्री एम० रामगोपाल रेड्डी को, जिन्होंने यह कहा है कि जल मनुष्यों द्वारा प्रदूषित किया गया, बताना चाहता हूं कि जल को मनुष्यों ने प्रदूषित नहीं किया है। यह सच है कि मनुष्य नदियों के जल में नहाते हैं तथा कपड़े इत्यादि उनमें धोते हैं। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जल प्रदूषित हो जाता है। अतः यह प्रदूषण रासायनिक उद्योगों के अवशिष्टों से ही होता है।

गत 15 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व की सभी सरकारों का ध्यान प्रदूषण संबंधी समस्या को रोकने तथा ऐसे कठोर उपाय करने की ओर दिलाया है जिससे औद्योगिकीकरण से यह संकट समस्त जनसंख्या में न फैलने पाये। जैसा कि बताया गया है कि हमारी प्रधान मंत्री भी स्टाकहोम सम्मेलन में सम्मिलित हुयी थी और उन्होंने विश्व का ध्यान प्रदूषण संबंधी समस्या की ओर दिलाया था। किन्तु, यह खेद की बात है कि 12 वर्षों के पश्चात् इस विधान को सभा के समक्ष लाया गया है। यह बात ठीक है कि जल प्रदूषण को वायु प्रदूषण से पृथक नहीं किया जाना चाहिये।

रासायनिक उद्योग ही जल-प्रदूषण के लिये जिम्मेदार हैं और ये उद्योग वायुप्रदूषण की समस्या भी पैदा कर रहे हैं। जलप्रदूषण और वायु प्रदूषण की समस्याओं को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें सरकार को कुछ ऐसे संशोधन करने चाहिये ताकि वायु-प्रदूषण निवारण के मामले को भी एक साथ ही लाया जाये। इससे कार्यवाही और भी प्रभावी बन जायेगी और रासायनिक उद्योग समूहों और इसके साथ ही पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूहों के आसपास रहने वाले लोगों को इन समस्याओं से हानि नहीं पहुंचे।

समुद्रतट के आसपास के जल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। चेम्बूर में, समुद्रतट के आसपास लगभग 10 मील के क्षेत्र में सारा जल प्रदूषित है। युगों से इस जल का प्रयोग मत्स्यपालन उद्योग के लिये किया जाता रहा है किन्तु अब मत्स्यपालन उद्योग लगभग समाप्त हो गया है। उस जल का उपयोग अन्य उद्योगों ने मछेरों को इसका मुआवजा देकर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उस जल का उपयोग अन्य उद्योगों द्वारा भी नहीं किया जा सकता है।

चेम्बूर क्षेत्र के अतिरिक्त बेलापुर पट्टी नामक एक अन्य औद्योगिक क्षेत्र में भी कुछ बड़े पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूह हैं। थाना ग्रीक क्षेत्र में व्यापारिक गन्दगी आ जाने से वहां के सभी उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लवण-पटल समाप्त हो गये हैं। पीढ़ियों से रहने वाले ग्रामीणों के पास जीवननिर्वाह के लिये वहां कोई भी साधन नहीं रहा है। उद्योगों पर प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण लोग कारखानों में काम न करते हुए भी उन बीमारियों से पीड़ित हैं जो उस क्षेत्र में वायु तथा जल प्रदूषण से पैदा हुयी हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीसरा औद्योगिक क्षेत्र कल्याण के पास है जिस पर कुप्रभाव पड़ा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय रंग-सामग्री के बड़े बड़े उद्योग हैं। इसके परिणाम स्वरुप उल्हास नदी का जल, जिसे पीढ़ियों से पीने के लिये उपयोग में लाया जाता था, अब इतना दूषित हो गया है कि इसे पीने या कृषि के उपयोग में लाये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझा जाता है।

[श्री राजा कुलकर्णी]

इसके परिणाम स्वरूप मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पेट्रो रासायनिक समूह आदि इस समय पीड़ित है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को लाभ पहुंचे।

कारखाने संबंधी कानून में भी कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये प्रकाश या वायु अथवा पेय जल की समस्या को प्रभावी रूप से नहीं निपटाया गया है। हम चाहते हैं कि इसके लिये कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे श्रमिकों सहित लोक प्रतिनिधियों को भी इस व्यवस्था के कार्यकरण में सम्मिलित किया जाये। मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : I support Water (Prevention and Control of Pollution) Bill. Dr. Ranen Sen has said something in this regard. He is an experienced Trade Unionist and he is well versent in this subject. I want to draw his attention towards the penalities and its procedure.....

डा. हेनरी आस्टिन पीठासीन हुये।

DR. HENRY AUSTIN *in the Chair.*

I want to draw the attention of Dr. Henry Austin to Chapter VII of the penalities and procedure where the amount of penality is Rs. 1000 per day for continued failure this punishment provided in the Bill is adequate to have a deterrent effect on the unscrupulous employers.

It is hoped that the Trade Union leaders would also extend their support in implementing the provisions of this Bill.

It is better if eminent scientists are included in the State Boards so that we can avail of their valuable advice in regard to this problem of pollution. I appreciate the effort of the Government in this regard and support this Bill again.

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के खंड 41(1) में उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों तथा कम्पनियों से निपटने के लिये समुचित व्यवस्था की गयी है। किन्तु इस में सरकारी विभागों द्वारा किये जाने वाले अपराधों के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है। यदि यह सिद्ध कर दिया जाये कि यह अपराध किसी विभाग के मुख्य अधिकारी की जानकारी के बिना हुआ है, तो वह दंड का अधिकारी नहीं होगा।

नगर निगम, नगरपालिकाओं; पंचायतों तथा अन्य इस प्रकार के निकायों के सम्बन्ध में भी एक बात है, हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। इस बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

Shri M. C. Daga (Pali) : I want to know, whether the promising of the Bill would be properly implemented. This Bill should have been brought long before.

The whole power is vested with the municipalities, local bodies and municipal corporations etc. but they have got no power to implement it.

मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या आप के अधिकारियों ने इस बात की ओर भी ध्यान दिया है कि नहीं।

इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि तीन निकाय होंगे एक केन्द्रीय बोर्ड, दूसरा राज्य बोर्ड तथा तीसरा संयुक्त बोर्ड। केन्द्रीय बोर्ड में पांच अधिकारी मनोनीत किये जायेंगे। मेरा सुझाव है कि इन अधिकारियों की संख्या कम कर दी जाये और इसके स्थान पर इसमें स्थानीय निकायों को प्रतिनिधित्व दिया जाये, ताकि वे इस संबंध में अपना बहुमूल्य परामर्श दे सकें।

यह भी उपबन्ध किया जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अथवा उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिस में चरित्र हनन किया गया हो, तो उसे बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जायेगा। किसी व्यक्ति को हमेशा के लिये सदस्य बनने से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। नैतिक पत्तन के दोषी व्यक्ति को तीन वर्षों के लिये सदस्य बनने से वंचित रखा जा सकता है।

केन्द्रीय और राज्य बोर्डों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले विदेशों का पालन करना होगा। यदि इन बोर्डों ने अपनी अपनी सरकारों के विदेशों के अनुसार ही कार्य करना है, तो इन बोर्डों को नियुक्त करने का कोई लाभ नहीं है।

खण्ड (2) के अनुसार यह उपबन्ध किया जा रहा है कि अपीलीय प्राधिकरण होगा और इसके तीन सदस्य होंगे। किन्तु ये तीन व्यक्ति कौन होंगे, यह नहीं बताया गया है। अपील के बाद पुनर्विचार की शक्ति भी प्रदान की गयी है। किन्तु सरकार इसे कार्यान्वित किस प्रकार करेगी। आप किसी कारखाने से गन्दे पानी को किस प्रकार रोकेंगें ?

इस में यह उपबन्ध भी किया गया है कि ऐसा हो सकता है कि राज्य सरकार के परामर्श तथा सिफारिश से इस विधेयक के उपबन्धों को समूचे राज्य तथा किसी राज्य के कुछ भागों पर लागू न किया जाये। यदि यह अच्छा विधेयक है तो इसे समूचे राज्य में लागू किया जाना चाहिये। नगर पालिकाओं तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं को शक्तिया प्रदान की जानी चाहिये।

The use of bringing any Bill when its provisions are not enforced.

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हमारी मुख्य नदियों में से सोन नामक एक नदी का जल एक कारखाने के कारण 60 मील से अधिक प्रदूषित हो गयी है।

खण्ड 4 में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि राज्य बोर्ड में कार्य करने के लिये राज्य में राज्य सरकार द्वारा 5 व्यक्ति मनोनित किये जायेंगे जो राज्य में कार्यकर रहे स्थानीय निकायों में से ही लिये जायेंगे। प्रदूषण को रोका जाना चाहिये मेरा सुझाव कि उन स्थानीय निकाय के, जिन के क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा हो, अधिकारियों को राज्य बोर्ड में शामिल करने के लिये उपबन्ध किया जाना चाहिये। यदि आवश्यक हो; तो राज्य बोर्डों के क्षेत्रीय बोर्ड होने चाहिये जिसमें पंचायतों के सदस्य कार्य करें।

इस के अतिरिक्त, मुझे धारा 16(2) (छ) के उपबन्ध को देख कर दुख हुआ है, जिसमें संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से नाले अथवा कुएं के स्तर में परिवर्तन करने आदि का उपबन्ध किया गया है। प्रदूषण को रोका जाना चाहिये। मेरे विचार में इस संबंध में हर तरह से प्रयास किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त खण्ड 19(1) के द्वारा इस विधेयक को लागू किये जाने पर कुछ सीमा लगाने का प्रयास किया गया है। यदि हम शुरू में ही इस विधेयक को लागू किये जाने पर समय लगाते है, तो शुरू में ही यह गलत कदम होगा। इस विधेयक को समान रूप से राज्य के सभी क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिये और केवल उन क्षेत्रों को छोड़ा जा सकता है जहां जल नहीं है।

खण्ड 47(2) में दण्ड संबंधी उपबन्ध किये गये हैं।

विरोध के बावजूद भी नदी का पानी गन्दा किया जा रहा है। बड़ी फर्मों के सम्बन्ध में विधेयक में जो दंडात्मक प्रावधान किये गये हैं, मेरे विचार से वे पर्याप्त नहीं हुये हैं। दंडात्मक प्रावधान जो स्थिति को ठीक करने में सहायक हों विधेयक में लाये जाने चाहियें।

The Minister of Works and Housing (Shri Bhola Paswan Shastri) : All the members, who have participated in this discussion have supported the objectives of the Bill. There is no difference of opinion in this regard. Various suggestions have been made to tackle this problem. These suggestions will be kept in mind by the Government.

[Shri Bhola Paswan Shastri]

It has been said that a person guilty of moral turpitide has been debarred from being a member of the Board for all the times. It is good if such a person is not allowed in the Board.

The provision of clause 24 will not be used to harass anybody but the pollution of water would be checked.

Reference has been made to the need for checkng air pollution. No doubt air pollution is an allied problem but its solution is different. A Bill dealing with air pollution is being processed.

It has been suggested that local bodies should be involved in this task. Representative of local bodies can be appointed members of the board. It has been asked as to what is the necessity for having a Central Board. There are union territories which are under the Central Government. The Central Board has to deal with this problem in the union territories. Then it has to coordinate work of different State Boards.

The Government is serious about implementing the provisions of this bill and thus tackling the problem of the pollution. Even public undertakings will not be spared it they pollute continue to the water.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है,

"कि जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ् प्रदत्ता बनाने रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिये पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिये उनसे सम्बन्धित शक्तियां और कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त ओर समनुदेशित करने और उनसे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 64 और 1 संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

Clauses 2 to 64 and 1 Motion to pass, as amended

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खंडश: विचार आरम्भ होगा ।

खंड 2

सभापति महोदय : इसके लिये कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

सभापति महोदय : इस खंड पर संशोधन आये हैं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय खंड 3 के लिये अपना संशोधन संख्या 16 पेश कर सकते हैं ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 14 और 15 में;

"Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Karnataka and Kerala" ["गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल"] के स्थान पर,

"Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tripura and West Bengal".

["आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल"] प्रतिस्थापित किया जाए। (संख्या 16)।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे संशोधन संख्या 2 और 3 मनोनित किये जाने वाले अधिकारियों के बारे में हैं नगर निगम/नगरपालिका में मेयर अथवा अध्यक्ष दो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने के लिये होने चाहियें। दूसरा संशोधन सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले अधिकारियों के बारे में है। राज्य सरकार द्वारा तीन अधिकारी मनोनोत किये जाने चाहियें जिन्हें पानी के उपभोग तथा प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के बारे में ज्ञान अथवा अनुभव प्राप्त हो।

Shri Bhola Paswan shastri : This is not reasonable. We want members who represent the different interests.

श्री यमुनाप्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 13 में;

"Boards" ["बोर्डों"] के स्थान पर

"Board, of whom not exceeding two shall be from those" ["बोर्ड जिनमें उनमें से अनधिक दो व्यक्ति होंगे"] प्रतिस्थापित किया जाये। (संख्या 17)

श्री मूलचन्द डागा : सभा की अनुमति से मैं अपना संशोधन संख्या 1 और 2 वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या 1, 2 सभा की अनुमति से वापस लिये गये।
Amendment Nos. 1 & 2 were by leave withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ 3, पंक्ति 14 और 15 में;

"Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Karnataka and Kerala". ["गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल"] के स्थान पर

"Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tripura and West Bengal."

["आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मिर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल"] **प्रतिस्थापित किया जाए।** (संख्या 16)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ 4, पंक्ति 13 में;

"Boards" ("बोर्डों") के स्थान पर

"Board, of whom not exceeding two shall be from those" ["बोर्ड जिनमें उनमें से अनधिक दो व्यक्ति होंगे"] प्रतिस्थापित किया जाये। (संख्या 17)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 as amended was added to the Bill.

खंड 4

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Bhola Paswan Shastri : I do not accept.

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सभा की अनुमति से मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 3 was by leave withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : क्या आप इन पर मतदान चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं । मैं सभा की अनुमति से इन्हें वापस लेता हूं ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 4 और 5 वापस लिये गये ।

The amendments Nos. 4 & 5, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खंड 6

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 18 और 19 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18 और 19 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 18 & 19 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खंड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 7 and 8 were added to the Bill.

खंड 9

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : क्या आप इस पर मतदान चाहते है ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं ।

11—38 L.S.S./73

संशोधन संख्या 20 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment No. 20, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the bill.

खंड 10

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : क्या आप इस पर मतदान चाहेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं ।

संशोधन संख्या 21 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

Amendment No. 21, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the bill.

इसके पश्चात् खंड 11 से 15 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 11 to 15 were then added to the Bill.

खंड 16

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Tte motion was adopted.

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खंड 17 से 24 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 17 to 24 were added to the Bill.

खंड 25

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 22 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है
"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 25 was added to the Bill.

खंड 26 और 27 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 26 to 27 were added to the Bill.

खंड 28

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 23 वापस लिया गया।
The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है
"कि खंड 28 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 28 was added to the Bill.

खंड 29 से 60 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 29 to 60 were added to the Bill.

खंड 61

सभापति महोदय : श्री मूलचंद डागा ने इस खंड पर अपना संशोधन दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है
"कि खंड 61 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 61 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 61 was added to the Bill.

खंड 62

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करता हूँ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 8 और 9 वापस लिये गये।
The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 62 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 62 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 62 was added to the Bill.

खंड 63

सभापति महोदय : इस खंड पर भी श्री मूलचन्द डागा ने संशोधन दिया है। वह अनुपस्थित है। अतः उन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है। प्रश्न यह है

"कि खंड 63 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 63 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 63 was added to the Bill.

खंड 64 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 64 was added to the Bill.

खंड 1

संशोधन किये गये

पृष्ठ 2, पंक्ति 11,--

"1963" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (संख्या 13)

पृष्ठ 2, पंक्ति 13 में,--

"Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Karnataka and Kerala"

["गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मिर, कर्नाटक और केरल"] के स्थान पर

"Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tripura and West Bengal"

["आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मिर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल"] **प्रतिस्थापित किया जाय।** (संख्या 13)

पृष्ठ 2, पंक्ति 17 और 18 में,--

"Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Karnataka and Kerala"

["गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मिर, कर्नाटक और केरल"] के स्थान पर

"Assam, Bihar, Gujarat, Hariyana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmi Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tripura and West Bengal"

["आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मिर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल,"] प्रतिस्थापित किया जाए। (संख्या 14)

(श्री भोला पासवान शास्त्री)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि खंण्ड, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 6 में Twenty-fourth ('चौबीसवें') के स्थान पर Twenty-fifth ("पच्चीसवें") रख दिया जाये (संख्या 12)

(श्री भोला पासवान शास्त्री)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The enacting formula, as amended, was added to the Bill.

प्रस्तावना

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 3 और 4 में—

"Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Karnataka and Kerala"

["गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मिर, कर्नाटक और केरल"] के स्थान पर

"Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tripura and West Bengal"

["आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल"] प्रतिस्थापित किया जाए (संख्या 11)

(श्री भोला पासवान शास्त्री)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि प्रस्तावना, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

प्रस्तावना, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

The Preamble, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री भोला पासवान शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये"।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जायें"।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : This Bill is a step in the right direction to ensure the supply of pure drinking water. This Bill aims at checking the pollution of pure water.

I request the hon. Minister to include the representatives of the Labour Unions in the committees to be set up for this purpose. The Boards or Committees can get the correct information only if the representatives of the Labour Unions are included in these bodies.

I suggest that the Central Government should finance the Muncipalities and Corporations so that they could take necessary steps to avoid the pollution of water and ensure supply of pure drinking water both in the rural and urban areas.

We support the Bill with the hope that you will succeed in fulfilling its objectives.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस देश में पानी की कमी की समस्या के अतिरिक्त एक यह समस्या भी है कि लोगों को गंदा पानी पीने को मिलता है। मुझे आशा है कि इस प्रकार के बोर्ड गठित करने से नौकरशाही को बढ़ावा नहीं मिलेगा तथा कार्यकुलशता में कमी नहीं होगी।

इन बोर्डों में विशेषज्ञ भी होने चाहिये। यदि नौकरशाहों को इस संबंध में विशेष जानकारी न हो तो इस विधेयक का उद्देश्य विफल हो जायेगा। मुझे आशा है कि विशेषज्ञों को इसमें स्थान दिया जायेगा।

The Minister of Works and Housing (Shri Bhola Paswan Shastri) : The Government have heard the views of the hon. Members patiently. I request that the Bill may be passed.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक के बारे में

RE. PUBLIC FINANCIAL INSTITUTION LAWS (AMENDMENT) BILL

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 11 पर चर्चा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इस संबंध में मैं ने विरोधी दलों के कुछ नेताओं से बात की थी। वे इस बात के लिये सहमत हो गये कि हम इस मद पर आज चर्चा न करें। अतः अगले मद पर चर्चा शुरू की जाय।

लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव

PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL

Motion to consider, as passed by Rajya Sabha

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 12 पर चर्चा करेंगे।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये"।

देश के विभाजन से वक्फ सम्पति के मामले में अनेक समस्याएं पैदा हुइ। अतः लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 की अवधि 15 अगस्त, 1967 तक बढ़ायी गयी। यह अवधि दो बार बढ़ायी गयी। इसे 31-12-1972 तक बढ़ाया गया। लेकिन दिल्ली में वक्फ सम्पत्ति का सर्वेक्षण कार्य अब तक भी पूरा नहीं हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य अवधि को फिर से 31-12-1975 तक बढ़ाना है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये"।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Huge property has been accumulated in our country in the name of Trust. This property is being misutitised. The Government wanted to check this sort of misutilisation but the Government has sought the extension for this purpose so many times. The wakfs property is not being utilised in the public interest. It is not the muslim community alone which is benefitting from wakfs property. The Government is not taking any action to check the misutilisation of this property.

I suggest that wakfs property should be utilised for the welfare of muslim community through out the country for which Government should come with a Bill of permanent nature.

श्री एफ० एच० मोहसिन : में इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि वक्फ सम्पत्ति का सदोपयोग किया जाये। यह बात भी ठीक है कि इस सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है।

यह विधेयक केवल दिल्ली के लिये ही है। राज्यों के लिये राज्य वक्फ बोर्ड बने हुये है और राज्यों का उन पर नियंत्रण है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि इस सम्पत्ति का लाभ समाज को मिलना चाहिये। वक्फ सम्पत्ति का सर्वेक्षण कार्य पूरा न करने का कारण यह है कि इस हेतु पूरा स्टाफ नहीं था। अब दिल्ली प्रशासन से पूरा स्टाफ देने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। हमारी सूचना के अनुसार 300 मामलों में कब्जा वापस लेने के लिये दावे दायर किये गये है। 300 अथवा 350 दावे और होने है जो सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही सम्भव है। इसी उद्देश्य से हम यह विधेयक लायें हैं। अब हम 1975 तक की अवधि चाहते हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि दिल्ली संघ राज्य में यथा प्रवृत्त लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 2 और 1

संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव
Clauses 2 and 1 motion to pass, as amended.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 2, विधयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 was added to the Bill.

खंड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"1973" के स्थान पर "1974" प्रस्थापित किया जाये ।

(श्री एफ० एच० मोहसिन) (संख्या 2)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"Twenty fourth" (चौबिसवें) **के स्थान पर** "Twenty-fifth" **(पच्चीसवें) प्रस्थापित किया जाय ।**

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The Title was added to the Bill.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक

CINEMATOGRAPH (SECOND AMENDMENT) BILL

Motion to consider, as passed by Rajya Sabha

राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये" ।

सभापति महोदय : ये कल अपना भाषण जारी रखें ।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 22 फरवरी, 1974/3 फाल्गुन 1895 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, February 22, 1974/Phalguna 3, 1895 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 3—38 लोक सभा/73—26-4-1974—490